नौंवा सम्मेलन

भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र

महासचिव की रिपोर्ट

सदस्यता पर रिपोर्ट

बी टी आर मैमोरियल ट्रस्ट पर रिपोर्ट

आयोग के दस्तावेज

21- 26 अप्रैल, 1997

वी जी भास्करन नायर नगर

कोची, केरल

महासचिव की रिपोर्ट

प्रिय साथियो,

1. श्रद्धांजलि

1.1 सी आइ टी यू का नवम महाधिवेशन ऐसे समय में हो रहा है जब 3-7 मार्च 1994 को पटना में सम्पन्न आठवें महाधिवेशन के बाद की अवधि में देश के आर्थिक एवं राजनीतिक परिदृश्य में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। इनका घटनाक्रम अत्यंत तेज है और अनेक पक्षों से इन घटनाओं का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा है। इसके परिणामस्वरूप हमें राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर नयी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह महाधिवेशन विस्तार में इन घटनाओं पर विचार करेगा ताकि हम महाधिवेशन के पश्चात् आने वाले समय में प्रभावशाली ढंग से इन चुनौतियों का सामना कर सकें।

1.2 हम पहले ही इस अवधि में सदा सर्वदा के लिये बिछुड़ चुके शहीदों तथा महत्वपूर्ण नेताओं को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर चुके हैं। मैं इस रिपोर्ट में उनके नामों को एक बार पुन: दोहराना नहीं चाहता किन्तु इस पर भी मैं उन सभी नेताओं तथा शहीदों का आदरपूर्वक अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आईये, हम भविष्य में उनके द्वारा अधूरे छोड़े गए कार्यों को पूर्ण करने का संकल्प लें।

साम्राज्यवाद के क्रूर हमले

2.1 भूमण्डलीय स्तर पर पिछले तीन वर्षों में साम्राज्यवाद को विश्व भर में श्रमिक वर्ग तथा लोकतांत्रिक जनगण पर हमले करने के मामले में और अधिक क्रूर होते देखा गया है। तथापि सर्वत्र श्रमिक वर्ग द्वारा उसका प्रतिरोध भी किया जाने लगा है। इस समय श्रमिक तथा जनवादी आंदोलन राष्ट्रीय सम्प्रभुता तथा जनगण के ट्रेड यूनियन जनवादी अधिकारों पर साम्राज्यवादियों के नृशंस हमलों को रोकने में सक्षम रहा है।

2.2 गैट समझौते पर हस्ताक्षर करने तथा विश्व व्यापार संगठन का गठन होने से विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अधिक दु:साहसी हो गए हैं। वे तृतीय विश्व के देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर अपना बर्चस्व स्थापित करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर अपने क्रूर पंजों की जकड़ को और सुदृढ़ बनाने के लिये आक्रमक मुद्रा में आगे बढ़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की हाल ही में प्रसारित रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि किस प्रकार विश्व भर में पूंजीवादी विकास के चलते नये नये रोजगारों का सर्जन नहीं हो रहा है और उसमें मानवीय विकास के तत्व का सर्वथा अभाव-सा है। उसने तृतीय विश्व के देशों के श्रमिक वर्ग तथा जन साधारण के शोषण को और बढ़ा दिया है। वह सर्वत्र पारिस्थितिकी तथा पर्यावरणीय संतुलन को बर्बाद कर रहा है जिसके चलते मानव जीवन तथा सभ्यता के लिये गम्भीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। विश्व भर में जिसमें कुछ विशेष उन्नत देश भी सम्मिलित हैं, बढ़ती दरिद्रता स्पष्ट रूप से संकेत करती है कि पूंजीवाद विश्व के सभी महाद्वीपों में मनुष्य द्वारा झेली जा रही समस्याओं का उत्तर नहीं हो सकता। दरिद्रता की इन सोचनीय स्थितियों तथा जनसाधारण की शक्तिहीनता ने इस तीखी वास्तविकता को उजागर कर दिया है कि तथाकथित विश्व अर्थव्यवस्था जनसाधारण के नृशंस (हृदयहीन) पूंजीवादी शोषण को तीव्रतर करने की व्यवस्था के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक तृतीय विश्व के देशों पर अपने बाजार बहुराष्ट्रीय निगमों के सामान तथा सेवाओं के लिये खोलने के उद्देश्य से दबाव डाल रहे होते हैं तो वे स्वयं अपने देशों में संरक्षणात्मक रुझानों का पृष्ठयोषण कर रहे होते हैं। इससे मुक्त बाजार की मूल अवधारणा ही समाप्त होकर रह जाती है।

2.3 युरोपीय आर्थिक समुदाय, नाफ्टा तथा आइ पी ई सी का घटनाक्रम स्पष्ट दर्शाता है कि विकसित पूंजीवादी देशों के विभिन्न गुट अन्य विकसित पूंजीवादी देशों तथा विकासशील देशों के साथ प्रतिस्पर्धा से अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बचाने के लिये एक हो रहे हैं। इन देशों ने तृतीय विश्व के देशों के उत्पादों पर डम्पिंग विरोधी शुल्क लगाने के लिये भी कदम उठाए हैं और यह तर्क देकर कि इन देशों में कामकाजी तथा जीवन स्थितियां आशा के अनुकुल नहीं हैं तथा वहां बाल मजदूरी की संवृत्ति व्याप्त है, वे तृतीय विश्व के देशों पर और शुल्क लगाना चाहते हैं। जर्मनी, अमरीका तथा अन्य विकसित पूंजीवादी देशों द्वारा भारतीय उत्पादों के विरुद्ध लगाया गया डम्पिंग विरोधी शुल्क इसकी एक स्पष्ट उदाहरण है।

2.4 तृतीय विश्व के देशों में एकता का अभाव होने के कारण उन्नत पूंजीवादी देशों के विरुद्ध उनकी सौदेबाजी की शक्ति उल्लेखनीय सीमा तक क्षीण हो गई है क्योंकि वे उन्नत देशों को सस्ते में अपने-अपने

उत्पाद बेचने की होड़ लगाते हैं तथा स्वयं एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते है और एक दूसरे के बाजार का आकार कम करते हैं। इसके विपरीत उन्नत देश उन उत्पादों जिनकी आपूर्ति वे तृतीय विश्व के देशों को करते हैं, पर ऊँचे से ऊँचा मूल्य थोपने की स्थिति में हैं। इस संवृत्ति के परिणामस्वरूप भूमण्डलीय स्तर पर व्यापार की शर्तें उन्नत पूंजीवादी देशों के लिये अधिक से अधिक अनुकूल तथा तृतीय विश्व के देशों के प्रतिकूल बनती चली जा रही हैं।

3. इजारेदार पूंजी का भूमण्डलीयकरण

3.1 ''मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था'' के विकास के नाम पर विश्व में एक नयी नृशंस एवं क्रूर प्रतिस्पर्धी विश्व अर्थव्यवस्था उभर रही है। वर्तमान में लगभग 37,000 बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की अपने मूल देशों से बाहर 170,000 से अधिक इकाईयां स्थापित हो चुकी हैं; उन्होंने विश्व अर्थव्यवस्था विशेष रूप से तृतीय विश्व के देशों जिनकी जनसंख्या 300 करोड़ है, के ऊपर अपने लौह पंजे को और कस दिया है।

3.2 व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र के आयोग (अंकटाड) की ओर से हाल ही में प्रसारित एक रिपोर्ट के अनुसार बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा अपने-अपने मूल उत्पादों की बिक्री की गई है। यह विश्व के कुल निर्यातक मूल्य से अधिक है। वर्तमान में बहुराष्ट्रीय निगमों का विश्व में निजी क्षेत्र की एक तिहाई परिसम्पत्तियों पर नियंत्रण है। विश्व भर में बहुराष्ट्रीय निगमों की कुल विदेशी परिसम्पत्तियां अब 2 लाख करोड़ डालर (अमरीकी 474 करोड़ डालर, युनाइटिड किंगडम 259 करोड़ डालर तथा जापान 251 करोड़ डालर) से अधिक मूल्य की हो चुकी हैं। अमरीकी बहुराष्ट्रीय निगमों के अन्तर्गत पश्चिम यूरोप में 20 लाख श्रमिक, एशिया में 15 लाख तथा लातिनी अमरीका में 13 लाख श्रमिक काम करते हैं।

3.3 इजारेदार घरानों द्वारा पूरे विश्व को अब भूमण्डलीय गांव के नाम से पुकारा जाने लगा है ताकि वे भूमण्डलीयकरण की प्रक्रिया का संकेत दे सकें। जर्मी ब्रेकर ने भूमण्डलीयकरण की प्रक्रिया का वर्णन उपयुक्त ढंग से किया है। ''भूमण्डलीय गांव अथवा भूमण्डलीय लूट'' (ग्लोबल विलेज आर ग्लोबल पिलेज) नाम अपने आलेख में उन्होंने लिखा है: ''जब प्रत्येक श्रम शक्ति, समुदाय अथवा देश अपने वेतन तथा अपने सामाजिक एवं पर्यावरणीय बंधे खर्चों को कम करके अधिक प्रतिस्पर्धी बनना चाहता हों; उसके परिणाम स्वरूप आय, सामाजिक तथा भौतिक आंतरिक संरचनाओं में सामान्य अधोगामी बहाव होने लगेगा। कम वेतनों तथा कम किये गए सार्वजनिक व्यय का अर्थ कम क्रय शक्ति का होना है। यह स्थिति निश्चलता, मंदे तथा बेरोजगारी की ओर ले जाती है। ऋण संचय करके इस गतिशीलता को और खराब कर दिया जाता है। दरिद्र देशों और यहां तक कि अमरीका में भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं ऋण की दलदल में धकेली जा रही हैं, उपभोग पर खर्चे का भुगतान, निवेश तथा विकास उनकी समस्याएं बन चुकी हैं। यह अधोगामी गिरावट भूमण्डलीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जी एन पी की वृद्धि में आए मंदे की स्थिति से प्रतिबिम्बित होती है जो 1948-1973 की अवधि में लगभग 5 प्रतिशत प्रति वर्ष, 1974-1989 की अवधि में उससे आधी थी और उसके बाद की अवधि में तो वह रेंग ही रही है।''

3.4 संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुपात, वर्ष 1960 तथा 1993 के मध्य भूमण्डलीय आय 4 लाख करोड़ डालर से बढ़ कर 23 लाख करोड़ डालर तथा प्रति व्यक्ति आय तीन गुणा से अधिक बढ़ चुकी है। तथापि उसी रिपोर्ट में कुछ देशों में आय सिकुड़ने के तथ्य को भी स्वीकार किया गया है। वर्ष 1965-80 तथा 1980-93 के मध्य नकारात्मक वृद्धि वाले देशों में दरिद्र जनों की संख्या 20 करोड़ से बढ़ कर लगभग एक लाख करोड़ हो चुकी है।

3.5 विकसित एवं विकासशील देशों के मध्य आय की असमानता विश्व भर में तीव्र गति से बढ़ रही है। वर्ष 1993 में भूमण्डलीय सकल घरेलू उत्पाद 23 लाख करोड़ होने का अनुमान था जिसमें से विकासशील देशों का भाग 18 लाख करोड़ था जबकि केवल 5 लाख करोड़ दरिद्र देशों के भाग में आया इस पर भी कि वे विश्व की कुल जनसंख्या का 80 प्रतिशत हैं।

3.6 विश्व में बढ़ रही असमानता संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों से भी प्रतिबिम्बित होती है। वर्ष 1960 तथा 1991 के मध्य जनसंख्या के समृद्धतम 20 प्रतिशत भाग की आय 70 प्रतिशत से बढ़ कर 85 प्रतिशत हो गई, जबकि जनसंख्या के दरिद्रतम भाग को आय जो 1960 में 2.3 प्रतिशत थी, वर्ष 1991 में गिर कर 1.4 प्रतिशत तक पहुंच गई। अत: उन्नत पूंजीवादी देशों में लोगों की प्रति व्यक्ति आय दरिद्र देशों के लोगों की तुलना में 30 गुणा अधिक थी वह 1991 में 61 गुणा अधिक बढ़ गई।

3.7 कुछेक लोगों के हाथों में धन का संचय किस प्रकार हो रहा है इसका अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि विश्व में समृद्धतम 358 व्यक्तियों की कुल सम्पत्ति विश्व की जनसंख्या के दरिद्रतम 45 प्रतिशत लोगों अर्थात् 2-3 करोड़ लोगों की मिश्रित आय के समान है। इन समृद्धतम व्यक्तियों को डालर करोड़पति कहा जाता है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र मानव विकास रिपोर्ट 1996 ने इंगित किया है, ''राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय, दोनों ही स्तरों पर आर्थिक प्रगति तथा मानव विकास दोनों पर प्रमुख दबाव आय की बढ़ रही असमानता का है।'' (पृष्ठ 13)

3.8 उन्नत पूंजीवादी देशों जहां वर्ष 1993 में प्रति व्यक्ति आय 20,000 डालर से अधिक थी, में 10 करोड़ से अधिक लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे थे। तथाकथित उदारीकरण तथा भूमण्डलीयकरण ने प्रगति की दर की गति को मंद किया है। तथापि जो भी प्रगति हो रही हो, उसके फलस्वरूप मानव विकास नहीं हो रहा है।

3.9 मैंने संयुक्त राष्ट्र मानव विकास रिपोर्ट के ही शब्दों का उपयोग किया है। इससे पता चलता है कि आज विश्व में अराजक स्थिति चौंका देने वाली सीमा तक पहुंच चुकी है। यदि इसे रोका नहीं गया तो इसके चलते मानव समाज विनाश के कागार पर पहुंच जाएगा। विश्व की जनता

की घोर वंचना को उसी रिपोर्ट में उल्लिखित अधोलिखित आंकड़े से देखा जा सकता है। वंचना की यह स्थिति वर्तमान में पूंजीवाद की ओर से मानव समाज पर थोपी गई है।

3.9.1 प्रति वर्ष लगभग एक करोड़ सत्रह लाख (1.70 करोड़) लोग डायरिया, मलेरिया तथा तपेदिक जैसे संक्रामक एवं उपचारयोग्य रोगों के कारण मर जाते हैं।

3.9.2. विश्व में 1.80 करोड़ लोग एच आइ वी पीड़ित (एड्ज), हैं। उनमें से 90 प्रतिशत विकासशील देशों में रहते हैं।

3.9.3. करोड़ों बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जाते- 13 करोड़ बच्चे प्राथमिक शिक्षा जबकि 27.50 करोड़ माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं।

3.9.4. लगभग 80 करोड़ लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलता और लगभग 50 करोड़ लोग कुपोषण का शिकार हो जाते हैं।

3.9.5. लगभग विश्व की जनसंख्या का एक तिहाई भाग (1.3 अरब) घोर दरिद्रता में रह रहा है।

3.9.6. वर्ष 1984 तक दरिद्र देशों में शिशु मृत्यु दर उन्नत देशों की अपेक्षा लगभग 12 गुणा अधिक थी।

3.9.7. प्रतिवर्ष 2 करोड़ हैक्टेयर भूमि में स्थित ऊष्ण कटिबंधी वनों को बर्बाद किया जाता है या पूर्णतया नष्ट कर दिया जाता है।

3.9.8. वर्ष 1994 के अंत में दरिद्र देशों में 1.10 करोड़ लोग शरणार्थियों के रूप में रह रहे थे।

3.9.9. इन आंकड़ों में अनुमान कम करके किया गया है क्योंकि इन्हें सरकारी आंकड़ों में से लिया गया है, जो कभी ठीक चित्र प्रस्तुत नहीं करते। तथापि वे वर्तमान में पूंजीवादी समाज के अमानवीय स्वरूप का चित्रण अवश्य करते हैं।

4. राष्ट्रों की सम्प्रभुता पर हमला

4.1 हाल ही में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक सिंगापुर में हुई। बैठक में उन्नत पूंजीवादी देशों ने तृतीय विश्व के देशों पर बहुपक्षीय निवेश समझौतों को लादने का सुझाव दिया गया जिससे इस बात को सुनिश्चित बनाया जा सकेगा कि तृतीय विश्व का कोई भी देश रक्षा उत्पादन के अतिरिक्त और किसी भी क्षेत्र में निवेश प्रस्ताव का विरोध नहीं करे। इससे विदेशी निवेशों के मामले में तृतीय विश्व के देशों की सम्प्रभुता स्वयंमेव समाप्त हो जाएगी। उन्नत पूंजीवादी देश स्पष्ट रूप से विश्व बाजार में अपना भाग को बढ़ाने की स्थिति में हैं और तृतीय विश्व के देशों में स्वदेशी बाजार का उनका भाग तेजी से बढ़ रहा है। इससे तृतीय विश्व के देशों की अर्थव्यवस्था पर इजारेदार पूंजी का नियंत्रण बढ़ते चले जाने का संकेत मिलता है। जबसे बहुराष्ट्रीय निगमों का प्रौद्योगिकीय विकास पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ है, वे इस तृतीय विश्व के देशों को यह प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने के मामले में विश्व भर में अपनी शर्तें थोपने की स्थिति में हैं और इस प्रक्रिया में वे अपने हितों के अनुकूल भारी-भरकम आर्थिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो गए हैं। वे केवल पूंजी का भूमण्डलीयकरण चाहते हैं, प्रौद्योगिकी अथवा मानव संसाधनों का नहीं।

4.2 तृतीय विश्व के देशों पर बढ़ते ऋण के कारण उनकी आर्थिक प्रगति की गति उल्लेखनीय सीमा तक मंद हो गई है क्योंकि उनकी आय का एक बड़ा भाग पिछले ऋण की किश्तों का भुगतान करने में ही खर्च हो जाता है। प्राय: यह तर्क दिया जाता है कि यदि वे और ऋण चाहते हैं तो पिछले ऋण के भुगतान के साथ-साथ और धन ऋण राशि वापस करने के लिये रखें। अन्ततोगत्वा वे ऋणों के मकड़ जाल में फंस कर रह जाते हैं जिसमें से बाहर निकलना उनके लिये बहुत कठिन हो जाता है। विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित विश्व की ऋण तालिका 1996 के अनुसार तृतीय विश्व के देशों का सार्वजनिक ऋण 1995 के अंत में 2067 करोड़ डालर तक पहुंच गया था। इस ऋण की वार्षिक किश्तों के भुगतान के कारण इन देशों पर प्रति वर्ष 69 करोड़ रुपये का बोझ पड़ता है। तृतीय विश्व के देशों का सार्वजनिक ऋण उन्नत पूंजीवादी देशों के लिये अत्यंत सुन्दर लाभ का स्रोत बन चुका है। इस प्रकार की स्थिति में निकट भविष्य में ऋण राशि के भुगतान पर एक पक्षीय रोक लगाने का आह्वान किये जाने की सम्भावना है। तृतीय विश्व के देशों में पूर्ण एकता होने पर ही ऐसा सम्भव हो सकता है।

4.3 विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम का जो पैकेज लादा गया है उससे केवल बहुराष्ट्रीय निगमों को ही लाभ पहुंचता है तथा तृतीय विश्व के सभी देशों में स्वदेशी उद्योग की प्रगति कम होती है। निर्यात प्रसंस्करण अंचल (ई पी जैडस) सम्पूर्ण विश्व में फैल गए हैं। ये बहुराष्ट्रीय निगमों के क्रूर शोषण का केन्द्र बने हुए हैं। यहां पर वे तृतीय विश्व के देशों की सस्ती मजदूरी से लाभ उठाते हैं। इस मामले में सम्बद्ध देशों की स्थानीय सरकारें भी हस्तक्षेप नहीं करती। और न ही वहां पर अपने देश के श्रम कानूनों को लागू करती हैं।

4.4 अधिकांश उन्नत पूंजीवादी देशों में बेरोजगारी में वृद्धि एक ऐसा पक्ष है जिसके दीर्घावधि तक बने रहने की सम्भावना है। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि पूंजीवादी व्यवस्था काम के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करने में कभी भी सक्षम नहीं हो सकती। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि उन्नत देशों में भी सामाजिक प्रगति का बहुत सीमा तक अभाव ही है।

4.5 अनेक प्रौद्योगिकीय घटनाएं होने तथा नयी प्रौद्योगिकी का आविष्कार होने के फलस्वरूप उत्पादन प्रक्रिया में आमूल परिवर्तन आने पर भी किसी भी पूंजीवादी देश की प्रगति आंशिक ही हुई है और इस समय भी उनकी प्रगति नकारात्मक है। अत: प्रौद्योगिकी की उन्नति के साथ साथ विश्व में और विशेष रूप से पूंजीवाद के मूल ढांचे के भीतर गम्भीर विरोधाभास उत्पन्न हो गए हैं।

4.6 यदि प्रौद्योगिकीय उन्नति तथा क्रांतिकारी परिवर्तनों जो विश्व भर में हो रहे हैं, का दरिद्रता तथा वंचना के उन्मूलन और सम्पूर्ण समाज

की सभी अनिवार्य मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये पूरा लाभ उठाया जाए तो समाज का सर्वांगीण विकास सम्भव हो सकता है, उससे समान विकास के आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। उनका उपयोग वैयक्तिक लाभ के लिये नहीं अपितु समाज कल्याण के लिये हो। यह बात पूंजीवाद विश्व में कभी लागू नहीं कर सकता।

4.7 चीनी अर्थव्यवस्था द्वारा दर्ज विश्व में विकास की उच्चतम दर, और क्यूबा, उत्तरी कोरिया, तथा वियतनाम की शानदार उपलब्धियां स्पष्ट रूप से संकेत करती हैं कि केवल विकास का समाजवादी मार्ग ही तीव्र प्रगति तथा सतत सामाजिक विकास को सुनिश्चित बना सकता है। इसलिये, हमें एक बार पुन: जोरदार स्वर में कहना चाहिये कि समाजवाद ही वर्तमान आर्थिक दुरावस्था जिसकी काली छाया पूरे विश्व तथा प्रगति पर पड़ रही है, का एकमात्र उत्तर है। विश्व तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा शुरू किये गए कार्यक्रम से भविष्य में गम्भीर कठिनाईयां ही उत्पन्न होंगी।

5. श्रमिक आंदोलन ने मोड़ काटा

5.1 पश्चिम युरोप के अधिकांश उन्नत पूंजीवादी देशों में श्रमिक आंदोलन सुसंगठित ढंग से बढ़ रहा है। फ्रांस के श्रमिक वर्ग का शानदार संघर्ष जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत 50 लाख श्रमिक अनेक दिनों तक सम्मिलित रहे, इस अवधि का एक अत्यंत असाधारण संघर्ष था। पिछले वर्ष फ्रांस के श्रमिक वर्ग ने जी-7 देशों की बैठक स्थल के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया था। मुझे भी फ्रांस के श्रमिक वर्ग में भूमण्डलीयकरण के खतरे के विरुद्ध लड़ने के दृढ़ होते संकल्प को प्रत्यक्ष रूप में देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जर्मनी, इटली, ब्राजील, जापान, आस्ट्रेलिया तथा सऊदी कोरिया में श्रमिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा लाभों में कटौती तथा ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमलों के विरुद्ध आम हड़तालें की गईं। इससे पता चलता है कि उन्नत पूंजीवादी देशों का श्रमिक वर्ग अपनी कामकाजी तथा जीवन स्थितियों पर पूंजीवादी हमलों के विरोध में संघर्ष कर रहा है, उसका यह संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। यहां तक कि अतीत में संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम का समर्थन करने वाले श्रमिक संघ भी अब इन कार्यक्रमों के विरुद्ध खुल कर सामने आने लगे हैं। इनमें वे श्रमिक संघ भी सम्मिलित हैं जिन्होंने भूमण्डलीयकरण तथा निजीकरण इत्यादि की मूल अवधारणा का ही समर्थन किया था। इससे आने वाले समय में उन्नत पूंजीवादी देशों में श्रमिक वर्ग के संघर्ष के और अधिक बढ़ने की सम्भावनाओं का पता चलता है। तृतीय विश्व के देशों में भी भारत के श्रमिक वर्ग के साथ-साथ पाकिस्तान, नेपाल, श्री लंका, बंगला देश, मलेशिया, फिलीपीन्स, थाईलैंड, इण्डोनेशिया इत्यादि के श्रमिक इन देशों पर बढ़ रहे साम्राज्यवादी दबावों के चलते अपनी कामकाजी तथा जीवन स्थितियों और ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमलों का अधिकाधिक प्रतिकार कर रहे हैं।

5.2 पूर्व सोवियत संघ में समाजवाद का विखण्डन होने तथा बाजार अर्थव्यवस्था लागू होने के पश्चात् पिछले तीन वर्षों में उसकी स्थिति और भी खराब हो गई है। स्वतंत्र देशों के राष्ट्र कुल (सी आइ एस) के अनेक देशों में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में वास्तविक अर्थों में 50 प्रतिशत की गिरावट आई है। श्रमिक संघों के महा परिसंघ (जनरल कनफेडरेशन) ने हाल ही में बताया है कि विश्व में सी आइ एस देशों की जनता का जीवन स्तर नीचे गिर रहा है और इस दृष्टि से विश्व में उनका स्थान 70 से 90 के मध्य है जबकि पहले उनका स्थान पहले बारह शीर्ष देशों में आता था। हम और भी रेखांकित करते हैं कि रूस में जनता का 95 प्रतिशत भाग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहा है।

5.3 सी आइ एस देशों के श्रमिकों विशेष रूप से वे जो कोयला खनन उद्योग में काम करते हैं, को अतीत में अपना अर्जित वेतन लेने के लिये भी अनेक बार हड़ताल करनी पड़ी हैं। ये वेतन अनेक मास तक उन्हें नहीं दिये गए थे। उन्हें उन आश्वासनों को पूर्ण कराने लिए भी हड़तालें करनी पड़ी थीं जो सामूहिक समझौतों के समय दिये गए थे। हाल ही में 27 मार्च, 1997 को आयोजित हड़ताल में एक करोड़ से अधिक श्रमिकों ने भाग लिया है; इन श्रमिकों ने यह हड़ताल भी अपने अर्जित वेतन पाने के लिये की थी। स्वतंत्र देशों के पूरे राष्ट्रकुल में सम्बन्धित सरकारों की नीतियों के विरोध में श्रमिकों द्वारा विशाल प्रदर्शन किये गए।

5.4 प्रति व्यक्ति आय में जबरदस्त कटौती के चलते, हजारों औद्योगिक उपक्रमों में कामबंदी होने तथा अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा पूर्व सरकारी उपक्रमों का अधिग्रहण करने, सामाजिक सुरक्षा लाभों में भारी कटौती तथा लाखों-लाख श्रमिकों के रोजगार खो देने के कारण इन देशों के श्रमिकों को संघर्ष के पथ पर अग्रसर होने पर विवश होना पड़ा है। बाजार अर्थव्यवस्था में इन देशों के प्रवेश का परिणाम लोगों के जीवन स्तर में जबरदस्त गिरावट तथा समाज विरोधी तत्वों की आपराधिक गतिविधियों की वृद्धि के रूप में ही निकला है। पश्चिमी पूंजीवाद की बढ़ चढ़ कर वकालत करने वाले महारथी अब मूक दर्शक बन कर समाजवाद की समाप्ति के पश्चात् पूर्व समाजवादी देशों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देख रहे हैं। भूमण्डलीय स्तर पर घटने वाले ये सभी घटनाएं विश्व भर में श्रमिक वर्ग के लिये वस्तुनिष्ठ स्थितियां उत्पन्न कर रही हैं। इन स्थितियों का स्पष्ट संदेश है कि श्रमिक वर्ग एकजुट हो रहा है तथा विश्व इजारेदार पूंजी के हमलों के प्रतिकार हेतु सांझी कार्रवाईयां करने लगा है।

5.5 दक्षिण कोरिया के श्रमिकों द्वारा अपने रोजगार की सुरक्षा के लिये जिस पर सत्ताधारियों द्वारा देश के श्रम कानून में संशोधन करके धावा बोल दिया गया था, शानदार हड़ताल की है। इस संशोधन में संगठन बनाने की स्वतंत्रता, यूनियन के राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने तथा स्वत: स्फूर्त हड़ताल करने को प्रतिबंधित करार दे दिया गया था। उसके अन्तर्गत कामकाजी घण्टे बढ़ाने और अतिरिक्त श्रमिकों को निकाल बाहर करने के लिये हरी झंडी दिखाने का प्रावधान भी था। दक्षिण कोरिया के श्रमिकों ने एकजुट होकर उसके विरुद्ध संघर्ष किया

और सुसंगठित ढंग से आंदोलनात्मक कार्रवाईयां की जिनके चलते पूरे देश की आर्थिक गतिविधियां ठप्प होकर रह गईं थीं। श्रमिकों ने भ्रष्ट तथा जन विरोधी सरकार के त्यागपत्र की मांग तक कर डाली और अन्ततः सरकार को विवश होकर अपने पैशाचिक कदम वापस लेने पड़े।

5.6. इण्डोनेशिया में हाल ही में श्रम सम्बन्धों पर एक अधिनियम लागू किया गया है। इसके अन्तर्गत ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमले किये गए हैं। इसके विरोध में सुहातों सरकार के विरुद्ध देशव्यापी विरोध की कार्रवाईयां भड़क उठीं। सुहातों सरकार ने बर्बर ढंग से श्रमिक आंदोलन को दमन करने का प्रयास किया और अनेक श्रमिक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार द्वारा लोकतांत्रिक श्रमिक संघों की सामान्य ट्रेड यूनियन गतिविधियों को भी असम्भव बना दिया गया। तथापि श्रमिकों ने इन श्रमिक-विरोधी कार्रवाईयों के विरोध में वीरोचित संघर्ष किया है।

5.7 ऐसा ही एक कानून स्वाजीलैंड में भी लागू किया गया। श्रमिकों ने देश व्यापी स्तर पर उसका प्रतिकार किया और सरकार द्वारा श्रमिकों के विरुद्ध अनेक प्रकार की दमनात्मक कार्रवाईयां की गईं। थाईलैंड तथा मलेशिया की सरकारों ने भी ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमले किये हैं जिनका श्रमिक वर्ग द्वारा प्रतिकार किया जा रहा है।

5.8 लिवरपूल में गोदी श्रमिकों द्वारा निजीकरण तथा गोदी के कार्य का संविदाकरण किये जाने के विरुद्ध संघर्ष किया गया। विश्व भर के श्रमिकों ने इस संघर्ष को अपना समर्थन दिया है। यह संघर्ष पिछले 10 महीनों से जारी है तथा श्रमिक वर्ग एकजुट होकर संघर्ष करने के लिये दृढ़ प्रतिज्ञ है।

5.9 हमारे अध्यक्ष कामरेड ई. बालानन्दन पहले ही अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रमुख राजनीतिक अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर अपना वक्तव्य दे चुके हैं। अतः मैं अपनी रिपोर्ट में एक बार पुनः उनका उल्लेख नहीं करना चाहूंगा।

6. हिन्द महासागर क्षेत्रीय ट्रेड यूनियन सम्मेलन

6.1 सी आइ टी यू ने पहली बार भारत में चौथे हिन्द महासागरीय क्षेत्रीय ट्रेड यूनियन सम्मेलन के आयोजन हेतु पहलकदमी की थी। जोहान्सवर्ग में तैयारी समिति की बैठक हुई। सी आइ टी यू ने उस बैठक में भाग लेकर सम्मेलन की तैयारियों के विवरण को अंतिम रूप दिया था। यह सम्मेलन 17-22 फरवरी को कलकत्ता में सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में 68 विदेशी तथा 110 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस प्रकार सम्मेलन में आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, इण्डोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपीन्स, चीन, दक्षिण कोरिया, भारत, नेपाल, श्रीलंका, बंगला देश, पाकिस्तान, मार्शियस, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, युनाइटिड किंगडम, कजाखस्तान तथा तुर्कमीनिस्तान इत्यादि 19 देशों का प्रतिनिधित्व हुआ था। श्रमिक संघों के विश्व महासंघ (डब्ल्यू एफ टी यू) के सचिव ने भी सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में क्षेत्र की स्थिति पर विस्तार में विचार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि निजीकरण, ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमलों, बहुराष्ट्रीय निगमों का मुक्त प्रवेश इत्यादि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के पैकेज का तीव्र प्रतिकार किया जाएगा। श्रमिक संघों के मध्य क्षेत्रवार समन्वय स्थापित करने पर भी सहमति हुई। अपनी सीमाएं होने पर भी सम्मेलन विभिन्न विचारों तथा संबद्धताओं वाले संगठनों के मध्य सामान्य समझदारी उत्पन्न करने तथा उन्हें एक सांझे मंच पर ले आने में सफल रहा है। इसे और सुदृढ़ तथा प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। हमारे लिये एक राष्ट्रीय समिति जिसमें प्रमुख भारतीय श्रमिक संगठनों तथा उद्योगवार फेडोशनों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे तथा कलकत्ता में स्वागत समिति का गठन करना संभव हो सका। सी आइ टी यू की पश्चिम बंगाल राज्य समिति ने सम्मेलन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हमारे साथियों ने इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिये जो कठोर परिश्रम किया है, उसकी मैं मुक्त कण्ठ से सराहना करता हूं। सम्मेलन का उद्घाटन सत्र अत्यंत सजीव था और भारतीय तथा विदेशी प्रतिनिधि उसमें आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके थे। इस पहलकदमी को और आगे बढ़ाने तथा अधिक प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि क्षेत्रीय सहयोग को और सुदृढ़ बनाया जा सके। इस सम्मेलन के समय, कामकाजी महिलाओं की एक बैठक भी हुई और उसमें कामकाजी महिलाओं के आंदोलन के अनुभवों का आदान प्रदान करने के साथ साथ लाभप्रद बहस भी की गई। दक्षेस आंदोलन के देशों की भी एक अलग से बैठक हुई और उसमें दक्षेस देशों के भीतर श्रमिक संघों की गतिविधियों को सुदृढ़ बनाने तथा क्षेत्र में विशाल स्तरीय सम्मेलन का आयोजन करने का निर्णय लिया गया ताकि सम्मेलन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

6.2 क्यूबाई श्रमिक संघों की पहलकदमी पर 5-9 अगस्त, 1997 को हवाना में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सी आइ टी यू से हम सम्मेलन के लिए सह-प्रवर्तक संगठनों में सम्मिलित होने का अनुरोध किया गया था। हमने इस दायित्व को स्वीकार कर लिया था और कामरेड सुकोमल सेन ने दिसंबर 1996 के पहले सप्ताह हवाना में संपन्न सम्मेलन की तैयारी समिति की बैठक में भाग लिया था। यह अंतर्राष्ट्रीय पहलकदमी भूमण्डलीयकरण तथा उदारीकरण के विरुद्ध श्रमिक वर्ग के विश्व व्यापी संघर्ष में एक मील पत्थर बना रहेगा और हमें इस सम्मेलन को जबरदस्त सफलता के लिये हर संभव प्रयास करना होगा। सी आइ टी यू इस सम्मेलन में भाग लेने के लिये 10 प्रतिनिधि भेजने की आशा करता है और राज्य समितियों से इसका समुचित प्रत्युत्तर देने की अपेक्षा की जाती है। हमें इस सम्मेलन की अनुवर्ती कार्रवाई भी पूर्ण गंभीरता के साथ करनी होगी ताकि साम्राज्यवादी हथकंडों के विरुद्ध विश्व व्यापी संघर्ष को सभी देशों में आगे बढ़ाया जा सके।

7. विकसित होते अंतर्राष्ट्रीय संबंध

7.1 सी आइ टी यू ने पिछले तीन वर्षों में विभिन्न संबद्धताओं वाले अनेक भ्रातृ संगठनों के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विस्तार किया

है। यद्यपि हम किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ संबद्ध नहीं है तथापि हमने श्रमिक संघों के विश्व महासंघ (डब्ल्यू एफ टी यू) के साथ मित्रवक्त संबंध बनाए रखे हैं। हमने डब्ल्यू एफ टी यू के 1994 में दमिश्क में आयोजित सम्मेलन में भाग लिया था। सी आइ टी यू आइ सी एफ टी यू के साथ संबद्ध अनेक संगठनों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को निरंतर सुदृढ़ बना रही है।

7.2 जैसा कि हम ऊपर रेखांकित कर चुके हैं कि सोवियत संघ का विखण्डन होने के पश्चात् तथा भीषण आर्थिक कठिनाइयों के चलते डब्ल्यू एफ टी यू की शक्ति उल्लेखनीय सीमा तक क्षीण हो चुकी है। वह अपनी सामान्य गतिविधियों को भी प्रभावशाली ढंग से जारी रखने की स्थिति में नहीं है। उसका केंद्र अत्यंत कम स्टाफ के साथ काम कर रहा है और उसके पास अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को चलाने के लिये भी पर्याप्त धन नहीं है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन काम कनहीं कर रहे हैं। उनमें से कुछेक तो हमारे पत्रों के उत्तर भी नहीं भेजते। डब्ल्यू टी एफ टी यू की पर्याप्त गतिविधियां नहीं होने के कारण श्रमिक वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पर भारी दुष्प्रभाव पड़ रहा है और विश्व श्रमिक आंदोलन की समुचित समीक्षा किये जाने की आवश्यकता वर्तमान में उत्पन्न हो गई है ताकि इजारेदार पूंजी के नए किन्तु अधिक उग्र हमलों से श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा की जा सके।

7.3 आइ सी एफ टी यू के साथ संबद्ध अनेक संगठनों के साथ सी आइ टी यू के द्विपक्षीय संबंध बने हुए हैं। ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम के विरुद्ध संघर्ष करने के लिये तत्पर हैं। अंततः उनके साथ हमारे संबंध विकसित हो रहे हैं। उनमें से अनेक सामान्य मुद्दों पर हमारे साथ सहयोग करने के लिये तैयार हैं। आइ सी एफ टी यू के कुछ व्यापार विभाग अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष तथा विश्व बैंक के हथकंडों के विरुद्ध दृढ़ रुख न अपनाने के लिये आइ सी एफ टी को लम्बे हाथों ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में विश्व में विभिन्न सम्बद्धओं वाले श्रमिक संघों के मध्य समुचित वार्ताएं होते रहने की आवश्यकता है ताकि सांझे शत्रु के विरुद्ध विश्व भर में सांझा संघर्ष चलाया जा सके।

8. राष्ट्रीय परिदृश्य

8.1 पिछले सम्मेलन के पश्चात् देश के राजनीतिक परिदृश्य में अनेक ढंगों से अर्थपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। श्री पी वी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने अपने 5 वर्षीय शासनकाल में देश की बर्बादी एवं विनाश के कागार पर ला खड़ा किया था। उनकी सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों के खतरनाक परिणामों से समाज के विभिन्न वर्गों का दो चार होना पड़ा है। इसके कारण कांग्रेस पार्टी जनगण से अलग-थलग पड़ गई। इससे भी अधिक भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों जो घोटालों के नाम से चर्चित हैं, जैसे दूरसंचार घोटाला, स्टाक मार्किट घोटाला, चीनी घोटाला, हवाला घोटाला इत्यादि में कांग्रेस पार्टी के नेताओं तथा मंत्रियों के संलिप्त होने के तथ्य ने तथाकथित उदारीकरण सत्ता को नये आयाम दे दिये हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वयं भी अधिकांश घोटालों में संलिप्त रहे हैं और वह सुनियोजित ढंग से जांच-पड़ताल करने वाले अभिकरण अर्थात् सी बी आइ के कार्यों में व्यावधान डालते रहे हैं। वह उसे अपने मंत्रियों तथा अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने से रोकते रहे हैं। तथापि अनेक अदालतों द्वारा हस्तक्षेप किये जाने के फलस्वरूप ये घोटाले पूर्णतया अनावृत हो गए और पूर्व प्रधानमंत्री का नाम उभर कर सबसे आगे आ गया। इन्ही परिस्थितियों में देश में चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस पार्टी को अभूतपूर्व पराजय का सामना करना पड़ा था, किन्तु हमारा अनुभव दर्शाता है कि कांग्रेस के जनता से अलग-थलग पड़ने का अधिक लाभ भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य क्षेत्रीय दलों ने उठाया जबकि वाम दल कांग्रेस से दूर जा रही जनता के विश्वास को प्राप्त नहीं कर सकें। इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में सबसे बडे दल के रूप में उभरने के रूप में निकला और कांग्रेस हास्यास्पद सीमा तक अल्पसंख्या में आ गई थी। अनेक क्षेत्रीय दलों ने अपना जनाधार बना लिया और कुछ विशेष राज्यों में बहुमत प्राप्त कर लिया वाम दलों की सदस्य संख्या वास्तव में लोक सभा में कम हुई है। इसके चलते एक विशेष प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई है। समय की मांग कांग्रेस तथा भाजपा दोनों को बनाने का निमंत्रण दिया, वह सरकार 13 दिन तक सत्ता में रही, वह संसद में विश्वास का मत प्राप्त नहीं कर सकी, किन्तु उसने इस अवधि का लाभ उठा कर अपना राजनीतिक प्रचार किया। संसद में भाजपा सरकार की पराजय के पश्चात् 13 दलों का संयुक्त मोर्चा जिसमें वाम दल भी सम्मिलित थे, एक मात्र विकल्प के रूप में उभरा। संयुक्त मोर्चा का गठन तो संभव था किंतु वह भी बहुसंख्यक सदस्यों का समर्थन प्राप्त नहीं कर सका। इसके चलते उससे बाहर से कांग्रेस पाटी के समर्थन की आवश्यकता पड़ी जो स्वाभाविक ही था। 13 दलों के गठबंधन में समझदारी उत्पन्न होने के पश्चात् श्री एच डी देवगौड़ा के नेतृत्व में नयी सरकार का गठन हुआ। सी आइ टी यू के अतिरिक्त अन्य वाम दलों ने सरकार में भाग नहीं लिया किन्तु बाहर से उसका समर्थन किया।

8.2 संयुक्त मोर्चा द्वारा एक सांझा न्यूनतम कार्यक्रम (सी एम पी) बनाया गया जो अनेक अच्छे प्रस्तावों पर आधारित है। इन प्रस्तावों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी डी एस) में विस्तार करना, राज्यों को अधिक अधिकार देना संसद तथा राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण, बीमार सार्वजनिक उद्यमों की सहायता करना, गुप्त मतदान के माध्यम से श्रमिक संघों को मान्यता देना, प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता इत्यादि सम्मिलित हैं। तथापि उसमें अनेक प्रतिगामी प्रावधान जैसे बीमा क्षेत्र का निजीकरण, पूंजी विनिवेश आयोग का गठन, उदारीकरण की नीति को जारी रखना तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को छूटें देने के प्रस्ताव इत्यादि भी सम्मिलित हैं। राजनीतिक क्षेत्र में संयुक्त मोर्चा सरकार भाजपा तथा कांग्रेस दोनों को सत्ता से बाहर रखने में सफल रही किन्तु उसने उन्हीं आर्थिक नीतियों को जारी रखा जिन्हें उसकी पूर्वगामी कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था।

8.3 हमारे देश में श्रमिक संघों ने इस नयी स्थिति में भी अपने संघर्ष

को संयुक्त मोर्चा सरकार का गठन होने के पश्चात् भी जारी रखा है। संयुक्त मोर्चा सरकार का गठन होने के पश्चात् सी आइ टी यू ने नयी दिल्ली में संपन्न अपनी कार्य समिति की बैठक में सांझे न्यूनतम कार्यक्रम के सरकारात्मक पक्षों का स्वागत करते हुए उन्हें कार्यरूप देने के लिये श्रमिक वर्ग को एकजुट होकर संयुक्त अभियान चलाने का आह्वान किया था। इसके साथ ही उसने सांझे न्यूनतम कार्यक्रम के प्रतिगामी बिन्दुओं के विरुद्ध जनता को संघर्ष करने का आह्वान भी किया था ताकि कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गईं आर्थिक नीतियों को लागू नहीं किया जा सके।

9. भारतीय अर्थव्यवस्था में गड़बड़-घोटाला

9.1 ऋण के पुनर्भुगतान देशों तथा विदेशी दोनों, के भारी बोझ के चलते वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था निश्चित बनी हुई है सरकार पर आंतरिक ऋण का कुल योग 1995-96 में 5,55,276 करोड़ रुपये के विराट आंकड़ों को छू चुका है जबकि बाहरी ऋण उसी अवधि में 52,666 करोड़ रुपये बना रहा। सरकार की इतनी भारी देनदारी के चलते भारत सरकार के राजस्व खर्चे का 37.1 प्रतिशत भाग केवल ब्याज का भुगतान करने में ही लगाना पड़ रहा है। इन परिस्थितियों में विकास गतिवधियों के लिये अधिक धन शेष नहीं रह जाता। भारत सरकार अपना बजट घाटा पूरा करने के लिये और धन उधार लेती रहती है जिसके परिणामस्वरूप वर्ष दर वर्ष अधिक से अधिक धन ब्याज का भुगतान करने के लिये रखना पड़ता है। केवल वर्ष 1996-97 में ही भारत सरकार ने आंतरिक बाजार से 25,498 करोड़ रुपये का धन उधार में लिया जबकि वह 2461 करोड़ रुपये तक बाहरी ऋण पर निर्भर करती है।

9.2 आयातों के उदारीकरण संबंधी कदमों के कारण भुगतान स्थिति का संतुलन और भी भारत के पक्ष में नहीं रहा। भुगतान संतुलन का घाटा जो पहले 2798 मिलियन डालर था अब वह बढ़कर 8945 मिलियन डालर हो गया है। इसके चलते भारतीय अर्थव्यवस्था पर ऋण के लिये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक पर निर्भर रहने तथा अनिवार्य वस्तुएं जो देश में उपभोग के लिये आवश्यक हैं, का निर्यात करने के लिये दबाव बढ़ा है।

9.3 जो लोग भारत के आर्थिक सुधारों की उपलब्धियों का बखान करते थक नहीं रहे हैं, वे इस तथ्य का उल्लेख करना भूल जाते हैं कि विश्व व्यापार में भारत का भाग जो पहले 1.78 प्रतिशत था, वर्ष 1994 में गिर कर 0.61 प्रतिशत रह गया। वर्ष 1996-97 के आर्थिक सर्वेक्षण ने और अधिक विदेशी निवेश पर बल दिया था जो 1992-93 के 0.4 बिलियन डालर से बढ़कर 1993-94 में 4.2 बिलियन डालर तथा 1994-95 में उससे भी बढ़कर 4.9 बिलियन डालर हो गया था। जबकि अप्रैल-दिसम्बर 1996 के मध्य अन्तर्वाह बढ़कर 4.1 बिलियन डालर हो गया। उद्योग मंत्री मुरासोली मारान ने बार-बार कहा है कि भारत को 10 लाख करोड़ डालर के विदेशी धन का अन्तर्वाह प्रतिवर्ष चाहिये और वह भारत को विदेशी पूंजी के लिये आकर्षक बनाने की आवश्यकता को अनुभव करते हैं।

9.4 वर्ष 1997-98 के बजट में विदेशी कंपनियों को अत्याधिक छूटें दी गई ताकि वे अपने लाभ तथा रायल्टी भुगतान को बाहर भेज सकें। यह एक ऐसा संकेत है जिससे पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेशकों के लिये पूर्णतया खोल दिया गया है।

9.5 वर्तमान वर्ष का बजट वित्तीय घाटे को दूर करने के नाम पर सार्वजनिक व्यय के माध्यम से औद्योगिक विकास के लिये पर्याप्त धन उपलब्ध कराने में विफल रहा है। एम ए टी को समाप्त प्रायः कर देने, फेरा की धार की कुंद करने का आश्वासन, उच्चतर कोष्ठकों में आयकर तथा कार्पोरेट करों में भारी कटौती, भारतीय उद्योगों के लिए अलाभकारी स्थिति होने पर भी सीमा शुल्क में कटौती, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार औद्योगिक इकाइयों के पुनर्जीवन हेतु धन देने से इन्कार करना, भारतीय तथा विदेशी निजी क्षेत्र की कम्पनियों की आतंरिक संरचनात्मक उद्योगों में निवेश करने की छूटें देने के परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था पर दीर्घावधि तक दुष्प्रभाव पड़ेगा। विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के शीर्ष प्रवक्ताओं ने वित्त मंत्री की पूर्ण सराहना की है, यह आश्चर्य की बात है।

9.6 वर्ष 1996-97 को आर्थिक सर्वेक्षण में स्वीकार किया गया है कि 1996-97 के पहले आधे भाग में औद्योगिक विकास की गति मंद हुई है। तेल तथा उर्वरक जैसे प्रमुख क्षेत्र में उत्पादन कम हुआ है। इसके परिणामस्वरूप इन अत्यावश्यक उत्पादों के आयातों में वृद्धि हो रही है। अनेक निर्माता इकाइयों में उत्पादन या तो गिरावट की ओर अग्रसर है और या उनमें वृद्धि की दर मंद हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण में आगे चलकर रेखांकित किया गया है, वर्ष 1990-91 से 1996-97 के मध्य पिछले छह वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन में यौगिक वृद्धि 1.7 प्रतिशत पर रुकी रही जो 70वें दशक में जनसंख्या वृद्धि की दर 1.9 प्रतिशत से कम है। इसलिये यह हमारे लिये चिंता का मामला बन गया है। सर्वेक्षण में स्वयं इसके प्रमुख कारणों में से एक सार्वजनिक निवेश में कमी को माना गया है। इसके साथ ही वर्तमान में विद्यमान आंतरिक संरचना की संचालन दक्षता में गिरावट आई है तथा डिलिवरी की व्यवस्था खराब हुई है।

9.7 भारत सरकार ने इस बात पर विचार नहीं किया कि भूमि सुधार न करना भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की अपर्याप्त वृद्धि का एक प्रमुख कारण हैं

9.8 आर्थिक सर्वेक्षण में स्वीकार किया गया है कि ऊर्जा क्षेत्र की क्षमता के निर्माण में ''कमियां'' रह गई हैं। निजी क्षेत्र को छूटें दिये जाने पर भी ऊर्जा उत्पादन निरंतर आवश्यकता से कम हो रहा है। तथ्य तो यह है कि अनेक क्षेत्रों का उत्पादन कार्य औद्योगिक उपक्रमों को ऊर्जा (विद्युत) आपूर्ति न होने के कारण प्रभावित हुआ है। चौंका देने वाला दूर संचार घोटाला होने पर भी केंद्रीय सरकार निरंतर निजी क्षेत्र की उत्साहित करती जा रही है और इस प्रकार वह इस क्षेत्र में कुछ और घोटालों को ''स्वागतम'' कह रही है।

9.9 1992-93 से 1996-97 के मध्य इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड में

वार्षिक उत्पादन 12,850 करोड़ रुपये से बढ़कर 28,410 करोड़ रुपये हो गया है किन्तु इससे प्रमुख रूप से बहुराष्ट्रीय निगम ही लाभान्वित हुआ है। जैसा कि आर्थिक सवेक्षण में स्वीकार किया गया है, ''अनेक विदेशी उद्यम इस क्षेत्र में स्थापित किये गए हैं और प्रमुख बहुराष्ट्रीय निगम देश में अपना उत्पादन आधार स्थापित कर रहे हैं ताकि वे यहां के सस्ते मानव संसाधन तथा निवेशों का दोहरा कर सकें।''

9.10 अत: भारत की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है। बहुराष्ट्रीय धीरे-धीरे भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित करते चले जा रहे हैं। इससे उन सभी लोगों का चिंतित होना स्वाभाविक है जो देश को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था चाहते हैं।

10. आकाश को छूती मूल्य वृद्धि

10.1 पिछले तीन वर्षों में अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य के स्तर में 45 प्रतिशत तक उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सरकार द्वारा बार-बार मूल्य वृद्धि करना, अर्थ व्यवस्था में अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि तथा सरकार द्वारा अपनाई गई मुद्रा स्फीति फैलाने वाली नीतियों ने मिलकर देश में मूल्य स्थिति को खराब कर डाला है।

10.2 मूल्य वृद्धि ने अर्थव्यवस्था के भीतर दरिद्रता के स्तर को बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। मूल्य वृद्धि के चलते लोगों का बढ़ता दरिद्रीकरण भी हमारे देश की जनता की विशाल श्रेणियों की अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के विरुद्ध संरक्षण के अभाव का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसके कारण हमारे श्रमिक वर्ग की विशाल बहुसंख्या की वास्तविक आय में गिरावट आई है। इसमें आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं है। केंद्रीय सरकार ने न्यूनतम वेतन अधिनियम के अर्न्तगत आने वाले कर्मचारियों के वास्तविक वेतन का सूचकांक प्रकाशित न करने में ही अपनी भलाई समझी है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक तथा खत मजदूरों की स्थिति अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में जबरदस्त वृद्धि होने के कारण शोचनीय हो गई है। मूल्य सूचकांक की गणना की दोषपूर्ण प्रणाली के कारण इस अवधि में हमारे देश में अद्भुत कारनामा हो गया है। जहां अनिवार्य वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं वहीं सूचकांक की आंकड़ा दर नीचे का रुख लिये हुए हैं।

10.3 श्रमिक वर्ग को मूल्य वृद्धि का प्रश्न उठाना चाहिये और सामान्य जन को सस्ते मूल्यों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाी के माध्यम से अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिये संघर्ष करना चाहिये। वर्तमान स्थितियों में यह संघर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। मुद्रा स्फीति तथा मूल्य वृद्धि की नीतियों के विरुद्ध भी अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है ताकि विशाल जन समूह को अनिवार्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के विरुद्ध आवश्यक संरक्षण प्रदान किया जा सके।

10.4 संयुक्त मोर्चा सरकार ने हाल ही में चीनी के मूल्यों में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि की है। यहां तक कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दी जाने वाली चीनी के मूल्य भी बढ़ा दिये गए हैं। इसकी देश में तीखी प्रतिक्रिया हुई है। सभी श्रमिक संगठनों को संरकार द्वारा इस प्रकार की जाने वाली मूल्य वृद्धि के विरुद्ध निरंतर संघर्ष चलाने के लिए कार्यक्रम बनाना होगा ताकि इससे न केवल समाज की श्रमजीवी जनता के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के संघर्ष को आगे बढ़ाया जा सके अपितु सरकार के अलोकप्रिय कदमों की रोकथाम भी की जा सके।

11. धोखाधड़ी वाले मूल्य सूचकांक के विरुद्ध संघर्ष

11.1 धोखाधड़ी वाले मूल्य सूचकांक के विरुद्ध संघर्ष में सी आइ टी यू ने सदैव अग्रणी भूमिका निभाई है। इसके चलते हमारे लाखों श्रमिक महंगाई भत्ता पाने से वंचित रहे हैं जो उनका अधिकार है। सी आइ टी यू ने सूचकांक की 1982 की शृंखला में अनेक त्रुटियों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है किन्तु सरकार ने उनमें केवल मामूली सुधार ही किये हैं। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रमिक वर्ग के लिये मूल्यों में वास्तविक वृद्धि को प्रतिबिम्बित करने में विफल रहा है। मूल्य एकत्रित करने वाला तंत्र अथवा ढंग इतना दोषपूर्ण है कि सरकार द्वारा अशुद्ध मूल्यों के आंकड़े एकत्रित नहीं किये जाते और इसका खामियाजा श्रमिकों को भुगतान पड़ता है। श्रम ब्यूरो तथा भारत सरकार इस संबंध में आइ एल ओ के निदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। आंकड़ों की अशुद्धि का यही कारण है। भारत सरकार अब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या की नयी शृंखला शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसकी घोषणा श्रम ब्यूरों के निदेशक ने हाल ही में चेन्नई में संपन्न एक बैठक में की थी। नयी शृंखला शुरू करने से पूर्व यदि वर्तमान शृंखला में सुधार नहीं किया जाता है तो श्रमिकों को पुरानी तथा नयी शृंखला के मध्य संबद्ध कारक पर पहुंचते समय भारी क्षति झेलनी पड़ेगी। सार्वजनिक उपक्रमों में सक्रिय अनेक श्रमिक संघों ने 1960 की श्रृंखला पर इसलिये समझौते किये थे क्योंकि उन्हें 1982 की शृंखला में कुछ सुधार होने की आशा थी। हम सूचकांक में सुधार के लिये श्रमिकों को नयी शृंखला हेतु परिवार बजट के अध्ययन की घोषणा होने से पूर्व अभियान शुरू करना होगा तथा इसके लिये पहलकदमी करनी होगी।

11.2 कर्मचारी संगठनों ने अपने वर्गीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए पहले ही यह मामला सरकार के समक्ष उठाया है। उन्होंने सूचकांक श्रृंखला के अनुपात को सीमित रखने तथा उनके (कर्मचारियों) लाभ में परिवार बजट अध्ययन के संपादन की विधि का सुझाव दिया है। इसलिये श्रमिक आंदोलन को आगे बढ़कर सूचकांक श्रृंखलाओं में वृद्धि करनी चाहिये ताकि सरकारी सांख्यविदों की ओर से आंकड़ों की जादूगरी करके श्रमिकों के महंगाई भत्ते की लूट को रोका जा सके।

12. सार्वजनिक क्षेत्र पर चहुंमुखी हमले

12.1 पटना महाधिवेशन के पश्चात् सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा झेली जा रही समस्याएं और गंभीर हो गई हैं। यह सब उदारीकरण की नीति के चलते हुआ है। नरसिम्हा राव सरकार के समय कांग्रेस (आइ) शासन ने चुनावों के दूषित सार्वजनिक क्षेत्र विरोधी अपने धर्मयुद्ध को तेज करने में

कुछ झिझक दिखाई थी। उसने एक खुला वक्तव्य दिया था कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को बंद करने तथा उनका निजीकरण करने की उसकी कोई इच्छा नहीं है। उसी अवधि में एच ई सी, स्कूटर इंडिया, एन टी सी इत्यादि सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ बीमार इकाईयों को पुनर्जीवित करने के पैकेज को भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी।

12.2 केंद्र में संयुक्त मोर्चा सरकार गठन होने के पश्चात् नयी सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के प्रति निरंतर कठोर व्यवहार करती रही जो जनता की आशाओं के प्रतिकूल था। सम्पूर्ण श्रमिक आंदोलन द्वारा प्रतिकार किये जाने पर भी ''पूंजीविनिवेश आयोग'' की स्थापना और तथाकथित गैर आधारभूत तथा गैर सामरिक क्षेत्र में सभी सार्वजनिक इकाइयों के शेयरों का 74 प्रतिशत तथा अन्यों में 49 प्रतिशत पूंजीविनिवेश की घोषणा करना इसकी कुछ उदाहरणें हैं। विडम्बना तो यह है कि संयुक्त मोर्चा सरकार ने अपने न्यूनतम सांझा कार्यक्रम (सी एम पी) में लाभ पर चलने वाली सार्वजनिक इकाईयों को सुदृढ बनाने के लिये अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी किन्तु दूसरी ही सांस से उसने लाभ पर चलने वाली सार्वजनिक इकाईयों का पूंजी विनिवेश शुरू कर दिया है।

12.3 सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाईयों को पुनर्जीवित करने के मामले में संयुक्त मोर्चा शासन काल मे स्थिति और भी खराब हो गई है। यहां तक कि पुनर्जीवित करने के उन मामलों को भी जिन्हें कांग्रेस (आइ) सत्ता के समय ''मंत्रियों के दल'' ने स्वीकृति प्रदान की थी अभी तक दिन का उजाला देखना नसीब नहीं हुआ है। इस संबंध में उर्वरक उद्योग का नाम उल्लेखनीय है। कांग्रेस (आइ) मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिलने पर भी एन टी सी मिलों के पुनर्जीवन की योजना को सम्पूर्ण श्रमिक आंदोलन द्वारा दबाव डाले जाने पर भी संयुक्त मोर्चा सरकार ने छुआ तक नहीं है। इस बात की आशंकाएं व्यक्त की जा रही है कि सरकार भारी संख्या में एन टी सी मिलों विशेष रूप से वे जो उत्तरी तथा पूर्वी भारत में स्थापित हैं, को बंद करने जा रही है। यहां तक कि वे पुनर्जीवन योजनाएं जिन्हें बी आइ एफ आर ने सरकार के साथ बातचीत करके अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी, को भी वही सरकार (संयुक्त मोर्चा) एक बार पुन: बी आइ एफ आर में चुनौती दे रही है। इस प्रकार उनके मामले अधर में लटक गए हैं। टायर कार्पोरेशन आफ इंडिया का मामला इसकी एक उदाहरण है।

12.4 वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की कुल 244 इकाईयों मे से 109 इकाईयां घाटे पर चल रही हैं और 98 इकाइयों की बीमार घोषित कर दिया गया है। 59 इकाइयों के मामले में बिस्तर गोल कर देने के नोटिस भी जारी किये जा चुके हैं। उनमें से आठ मामलों पर उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दे दिया है, इसलिये उनके मामले भी अभी तक लम्बित पड़े हैं। बी आइ एफ आई की प्रस्तुत मामलों की विशाल बहुसंख्या ऐसी है जिनमें सरकार ने प्रोत्रक बनने से निरंतर इंकार कर दिया था। इसलिये उन बीमार सार्वजनिक इकाइयों का निजीकरण अथवा परिसमापन करना आवश्यक हो गया है।

12.5 केवल यहीं पर बस नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों को चलाने के मामले में भी पक्षपात किया जाता है। सरकारी विभाग कार्यादेश देने के मामले में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, सीमा शुल्क में भारी कमी, आबकारी शुल्क (और/अथवा कटौती नहीं) में स्वयंमेव वृद्धि किया जाना, और इसी प्रकार का नीतिगत पैकेज उन पर विषय दुष्प्रभाव डाल रहा है और यहां तक कि गैर बीमार सार्वजनिक इकाइयों को भी बीमारी के नर्क में धकेला जा रहा है। जैसा कि पूंजी विनिवेश आयोग ने रेखांकित किया है, बढ़ते स्तर ने सघन प्रतिस्पर्धा के युग का सूत्रपात किया है, सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ विशेष इकाईयों पर इसके प्रभाव को अनुभव किया जा रहा है। कुछ मामलों में लाभ पर चलने वाली सार्वजनिक इकाईयों पर विषम दुष्प्रभाव पड़ा है जबकि कुछ अन्य मामलों में घाटे पर चल रही सार्वजनिक इकाईयों का घाटा और भी बढ़ चुका है।

12.6 इस संदर्भ में ''पूंजी विनिवेश आयोग'' की संस्तुति ने विशेष रूप से घाटे पर चलने वाली सार्वजनिक इकाइयों के संबंध में सरकार के वास्तविक खेल को अनावृत्त कर दिया है क्योंकि सरकार ने उक्त संस्तुति को स्वीकार कर लिया है और इसे बजट भाषण में भी स्पष्ट किया गया है। ''पूंजी विनिवेश आयोग'' ने इस खेत की रूपरेखा इस प्रकार निश्चित की है- एक बार घाटे पर चलने वाली सार्वजनिक इकाई का धन दो, उसे पूर्णरूप से बेचने से पूर्व बिक्री योग्य बना दो। आयोग ने रेखांकित किया है, ''सार्वजनिक क्षेत्र की अत्यंत लाभ पर चलने वाली इकाईयों में पूंजी विनिवेश आस्थायी होगा अथवा उसका बजट के लिये सीमित लाभ होगा। यह उस समझ तक जारी रहेगा जब तक दीर्घावधियों तक घाटे पर चलने वाली सार्वजनिक इकाइयों के आवर्ती ड्राफ्ट पर सरकारी धन का व्यय समाप्त नहीं होता-। प्राथमिक रूप से धन के निवेश के अभाव में भारी संख्या में सार्वजनिक इकाईयां पूंजीविनिवेश के लिये उपयुक्त नहीं रहेंगी। इसलिये आयोग संस्तुति देता है कि पूंजीविनिवेश फंड संसाधनों का उपयोग कुछ सार्वजनिक इकाईयों के घाटे को पूरा करने के लिये किया जाए। यह निवेश पूंजीविनिवेश से पूर्व सीमित अवधि के लिये पुनर्गठन अथवा कामबंदी की अल्पावधि की प्रक्रिया की अवधि में हो...अथवा पूजीविनिवेश की तैयारियों के संबंध में होना चाहिये। इसका अन्तर्निहित उद्देश्य स्पष्ट है, न केवल लाभ पर चलने वाली सार्वजनिक इकाईयों के शेयरों का पूंजीविनिवेश होगा अपितु सरकार जो बीमार तथा घाटे पर चलने वाली सार्वजनिक इकाईयों के पुनर्जीवित हेतु धन का निवेश करने के लिये तत्पर नहीं है, को इन बीमार इकाईयों को बेचने से पूर्व उनकी स्थिति में ऊपरी सुधार लाने के लिये कुछ धन का निवेश करने से संकोच नहीं होगा। और यह सब सांझे न्यूनतम कार्यक्रम के नाम पर किया जा रहा है तथा इसकी योजनाएं बनाई जा रही हैं।

12.7 कांग्रेस (इ) शासन के समय पहले ही लाभ पर चलने वाली अनेक सार्वजनिक इकाईयों के शेयरों का पूंजी विनिवेश किया जा चुका है। यह 9 प्रतिशत से 39 प्रतिशत के मध्य है। यद्यपि संयुक्त मोर्चा सरकार

ने पूंजीविनिवेश आयोग के माध्यम से सार्वजनिक इकाईयों के शेयरों का पूंजी विनिवेश करने की योजना बनाई है और यहां तक कि इस आयोग की स्थापना करने से पूर्व उसने कुछ प्रमुख लाभ पर चलने वाली सार्वजनिक इकाईयों के शेयर कम करने का निर्णय लिया था। इसके अतिरिक्त पूंजीविनिवेश आयोग से कहा जा रहा है कि वह पूंजी विनिवेश पर अपने काम का आरम्भ करे और इसका प्रारम्भ 40 सार्वजनिक इकाईयों के पूंजीविनिवेश से किया जाए।

12.8 इसके साथ-साथ बीमार कम्पनियों सम्बन्धी अधिनियम (एस आइ सी ए) में परिवर्तन लाने के लिये सक्रिय प्रयास किये जा रहे हैं और वह भी सांझे न्यूनतम कार्यक्रम के नाम पर। इसमें संदेह नहीं कि सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाईयों को पुनर्जीवित करने/चुस्त दुरुस्त बनाने के लिये इस अधिनियम में भारी प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। किन्तु जहां तक हमें इसकी जानकारी है, वित्त मंत्री ओंकार गोस्वामी समिति की संस्तुतियों के अनुसार एस आइ सी ए में परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि बीमार इकाईयों का परिसमापन अर्थात् उनका बिस्तर गोल किया जा सके। इन इकाईयों का पुनर्रुद्धार करना उनका उद्देश्य कदापि नहीं है। सरकार के इस दृष्टिकोण का विशाल स्तर पर विरोध हुआ है और सी आइ टी यू ने पहले ही एस आइ सी ए में संशोधन पर अपने विचारों को व्यक्त कर दिया है। उसने कहा है कि सार्वजनिक इकाईयों को एस आइ सी ए तथा बी आइ एफ आर के अन्तर्गत न लाया जाए तथा इन इकाईयों को पुनर्जीवित करने के लिये एक पृथक अभिकरण की स्थापना की जाए, प्रस्तावित समिति प्रबंधन, श्रमिक संघों, अधिकारी संघों, सम्बद्ध राज्यों की सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार, वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों तथा कार्य विशेष के विशेषज्ञों पर आधारित हो।

12.9 देश की समग्र स्थिति ऐसी है कि यदि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के सम्बन्ध में सरकार की वर्तमान नीति जारी रहती है और उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता तो सम्पूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र का नेटवर्क पूर्णतया ध्वस्त हो जाएगा, इसके दुष्परिणाम स्वरूप उत्पादन का अच्छा भला आधार रखने वाली इकाईयों का परिसमापन हो जाएगा। ये ऐसी इकाईयां हैं जिनका कोई विकल्प दिखाई देने की सम्भावना नहीं दिखती। संक्षेप में, तथाकथित भूमण्डलीयकरण तथा उदारीकरण की नीति का निहितार्थ क्या है। उसका निहितार्थ है भारत की धरती पर विशाल आकार वाला बना बनाया बाजार विदेशी उत्पादों के लिये खुला छोड़ देना और स्वदेशी उत्पादन की क्षमताओं का पूर्ण विनाश।

12.10 इस अवधि सार्वजनिक क्षेत्र का सम्पूर्ण परिदृश्य की समीक्षा की जा रही है और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के श्रमिक आंदोलन पर इसका प्रतिबिम्ब पड़ना स्वाभाविक ही है। सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों ने दो देशव्यापी हड़तालों एक 14 जुलाई 1994 को तथा 29 सितम्बर 1994 की, में भाग लिया है। इसके अतिरिक्त वे विभिन्न क्षेत्रीय, क्षेत्रवार, तथा उद्योग स्तरीय कार्रवाईयों में सम्मिलित हुए हैं। कोष/बैंक निदेशित नीति के विरुद्ध संघर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की विशाल बहुसंख्या में भाग लिया है। इसका सर्वत्र जीवंत प्रभाव पड़ा है। सी आइ टी यू ने प्रारम्भिक चरण में सी पी एस टी यू की गतिविधियों को तीव्रतर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

12.11 सी आइ टी यू के पटना महाधिवेशन के बाद की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के संघर्ष राष्ट्रीय तथा उपक्रम दोनों स्तरों पर तेज हुए हैं। ये संघर्ष (अथवा आंदोलन) वेतन संशोधन जो 1995 की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र की विभिन्न इकाईयों में वेतन समझौते होने पर किये गए थे। कर्मचारियों के आंदोलन ने इस अवधि में सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा खड़ी की गई सभी रुकावटों को परास्त कर दिया था। इसी अवधि में सरकार ने महंगाई भत्ते को बढ़ाने तथा उसमें संशोधन करने की दीर्घावधि से लम्बित कर्मचारियों की मांग को भी स्वीकार कर लिया था। तथापि महंगाई भत्ते के संशोधित फार्मूले में भी अनेक त्रुटियां तथा कमियां हैं।

12.12 इस तथ्य को रेखांकित किया जाना होगा कि केवल लाभ पर चलने वाली सार्वजनिक इकाईयों या वे इकाईयां जो बीमार नहीं है, में ही वेतन संशोधन किये जा रहे हैं और सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाईयों के श्रमिक को वेतन संशोधन तथा संशोधित महंगाई भत्ते की दरों दोनों से वंचित रखा जा रहा है। इसके चलते सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के मध्य गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है और सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिक आंदोलन में विभाजन होने का खतरा अपनी भीषणता को लिये उपस्थित हो गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाईयों के कुछ मामलों में जहां श्रमिकों को संशोधित वेतन तथा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने से इन्कार किया गया है वहीं अधिकारियों तथा स्टाफ सदस्यों को वेतन संशोधन का लाभ दिया जा रहा है, इसके चलते गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है। उन बीमार सार्वजनिक इकाईयों जिनके मामले बी आइ एफ आर के समक्ष प्रस्तुत किये जा चुके हैं, के कर्मचारी सभी प्रकार से इस गड़बड़झाले के सर्वाधिक पीड़ित हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में सम्पूर्ण श्रमिक आंदोलन को उनकी समस्या की ओर ध्यान देना चाहिये; केवल ऐसा करने से ही सार्वजनिक क्षेत्र में श्रमिक आंदोलन को एकजुट तथा सुदृढ़ बनाया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के वे उद्यम जो अभी तक बीमार नहीं हुए, के श्रमिकों को, इस सम्बन्ध में पहलकदमी करनी होगी। हमें बीमार नहीं होने वाली एवं स्वास्थ्य सार्वजनिक इकाईयों के श्रमिकों को औद्योगिक बीमारी तथा बीमार इकाईयों को पुनर्जीवित करने और बीमार इकाईयों के श्रमिकों की मांगों के लिए संघर्ष में सक्रिय नहीं बना सके हैं और न ही उनके आंदोलन को उभार सकें हैं। हमें अपनी दुर्बलताओं तथा विफलताओं को अवश्य स्वीकार करना चाहिये।

12.13 पटना महाधिवेशन के पश्चात् सी पी एस टी यू का विस्तारित एवं पूर्ण सत्र एक-एक वर्ष के अन्तराल में या उसके मध्य तीन बार सम्पन्न हुआ। जहां तक सी पी एस टी यू के कार्यों एवं गतिविधियों का सम्बन्ध है, इस स्थिति को आदर्श नहीं माना जा सकता; यह तथ्य हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा।

12.14 सी पी एस टी यू ने 5-6 दिसम्बर, 1996 को आयोजित अपने अंतिम सत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाईयों की समस्या पर विशेष

रूप से विचार किया गया था। उसके पश्चात् 12-13 फरवरी, 1997 को नयी दिल्ली में बीमार सार्वजनिक इकाईयों पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था और 14 फरवरी को प्रधानमंत्री आवास के समक्ष धरना दिया गया। सी पी एस टी यू द्वारा लिये गए निर्णय के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के 20 लाख से अधिक कर्मचारियों द्वारा 2 अप्रैल 1997 को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल करने का कार्यक्रम था। इस अवसर पर बीमार सार्वजनिक इकाईयों को पुनर्जीवित करने तथा उनसे सम्बन्धित कर्मचारियों की मांगें उठाई जानीं थीं। तथापि अनिश्चित राजनीतिक स्थिति जो कांग्रेस पार्टी द्वारा संयुक्त मोर्चा को अपना समर्थन वापस लिये जाने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है, हड़ताल के आह्वान को रद्द कर देना पड़ा। सी पी एस टी यू द्वारा निर्धारित हड़ताल की नयी तिथि की घोषणा शीघ्र की जाएगी।

12.15 सार्वजनिक क्षेत्र में वेतन संशोधन की अवधि पहले ही 31-12-96 को समाप्त हो चुकी है और 1997 तथा उसके पश्चात् सार्वजनिक इकाईयों के कर्मचारियों को वेतन संशोधन का मुद्दा भी उठाना होगा। सार्वजनिक क्षेत्र में समग्र रूप में यह मुद्दा पहले ही जोर पकड़ चुका है। सी पी एस टी यू ने 5-6 दिसम्बर, 1996 का अपने अंतिम सत्र तथा 28 जनवरी 1997 को आयोजित कार्यशाला में वेतन संशोधन के मामले में एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लिया है जो सार्वजनिक क्षेत्र की विभिन्न इकाईयों में सक्रिय श्रमिक संघों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले मांग पत्र का आधार होगा।

12.16 इस संदर्भ में हमें रेखांकित करना होगा कि उदारीकरण नीति की काली छाया पहले ही सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया पर पड़ चुकी है। वर्तमान राष्ट्रीय स्तर/उद्योग स्तर के द्विपक्षीय वार्ता मंचों के स्थान पर विकेन्द्रीकृत संयंत्र/इकाई वार सौदेबाजी की प्रक्रिया शुरू करने का अभियान चल रहा है। पिछले वेतन संशोधन के समय उर्वरक क्षेत्र पहले ही इस प्रकार के अभियान से पीड़ित हो चुका है। उसके माध्यम से उर्वरक उद्योग में घाटे पर चलने वाली इकाईयों को वेतन संशोधन की प्रक्रिया में सम्मिलित किया ही नहीं गया। इसके साथ भारत सरकार ने पहले ही सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों के लिये वेतन बोर्ड का गठन करने की घोषणा कर दी है तथा सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिये भी सरकार में इसी प्रकार का अभियान चल रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र में कर्मचारियों वेतन मुद्दे के साथ निपटते समय आंदोलन को इस प्रकार की किसी भी कार्रवाई या अभियान का प्रतिकार करना होगा।

12.17 इस अवधि की समीक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिक संघों की समन्वय समिति (सी पी एस टी यू) ने 25 मार्च, 1994, 27 मार्च 1995, 17-18 दिसम्बर 1995 तथा 4 दिसम्बर 1996 को अपने विस्तारित सत्र में समीक्षा की थी और इस प्रश्न पर विचार करके विभिन्न सांगठनिक मुद्दों तथा आंदोलनात्मक कार्यक्रमों पर निर्णय लिया गया था। समन्वय समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र की विभिन्न इकाईयों सी आइ टी यू यूनियनों की सांगठनिक स्थिति की समीक्षा भी की और सी आइ टी यू की "संगठनात्मक रिपोर्ट" में दिये गए दिशानिदेशों के अनुसार उन्हें सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया था। सांगठनिक कार्यों पर भोपाल में 22-23 जनवरी, 1997 को एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया था। उसमें सार्वजनिक क्षेत्र की विभिन्न इकाईयों के देश भर से आए 45 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कार्यशाला ने सार्वजनिक क्षेत्र की विभिन्न इकाईयों में संगठन को सुदृढ़ तथा ठोस बनाने के लिये उठाए जाने वाले कदमों की रूपरेखा तैयार की थी।

12.18 सार्वजनिक क्षेत्र कर्मचारियों द्वारा संघर्ष के संयुक्त मंच को सक्रिय बनाने के लिये सार्वजनिक इकाईयों में सक्रिय सी आइ टी यू यूनियनों को निर्णायक भूमिका का निर्वहन करना होगा और सार्वजनिक इकाईयों में सी आइ टी यू यूनियनों की समन्वय समिति की गतिविधियां अपनी नियत को निभाने में सक्षम होनी चाहियें। उसे संयुक्त संघर्ष के लिये स्थितियां तैयार करने के साथ-साथ स्वतंत्र कार्रवाईयों/आंदोलन को भी संगठित करना होगा।

13. औद्योगिक बीमारी पर

13.1 केंद्रीय सरकार द्वारा लागू की गईं आर्थिक नीतियों के परिणामस्वरूप पिछले तीन वर्षों में निजी तथा सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों में औद्योगिक बीमारी का प्रश्न उल्लेखनीय सीमा तक गम्भीर हो चुका है। एसोसिएटिड चैम्बर आफ कामर्स के अनुसार 4.5 लाख से अधिक औद्योगिक इकाईयां और बीमार हो गई हैं और दम तोड़ने की स्थिति में पहुंच चुकी हैं। अंधाधुंध आयात उदारीकरण तथा सीमा शुल्क में कमी के परिणामस्वरूप निजी तथा सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों में अनेक प्रतिस्पर्धी तथा जीवंत इकाईयां बीमार होने लगी हैं। केंद्रीय सरकार इस औद्योगिक बीमारी को दूर करने के लिये कोई भी कदम उठाने से इन्कार कर रही है। इसका परिणाम कई लाख श्रमिकों के बेरोजगार हो जाने तथा व्यावहारिक रूप से वंचना की स्थितियों में जीने पर विवश हैं। कुछ श्रमिकों द्वारा आत्म हत्या कर लेने के मामले यदा-कदा समाचार पत्रों में प्रकाशित होने लगे हैं। स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना को स्वीकार करने वाले श्रमिक तथा उनके परिवार भूखों मरने जैसी स्थिति को झेल रहे हैं। सरकार चाहे जो भी प्रचार करे; किन्तु वास्तविकता तो यह है कि उनके बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं तथा बाल श्रमिक बनने के लिये विवश हैं। यद्यपि श्रमिक आंदोलन के विरोध के चलते केंद्रीय सरकार निर्गम नीति को लागू नहीं कर सकी तथापि वह औद्योगिक इकाईयों को बंद करने तथा अंततः उनका विस्तर गोल कर देने के लिये व्यावहारिक कदम उठा रही है।

13.2 बीमार इकाईयों के हजारों मामले बी आइ एफ आर को सौंपे जा चुके हैं। ये इकाईयां कामबंदी की स्थिति का सामना कर रही हैं। बी आइ एफ आर का सम्पूर्ण दृष्टिकोण कानूनी जटिलताओं वाला है। उसके चलते अधिकांश श्रमिक संघों को औद्योगिक इकाईयों की कामबंदी के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। हमारे श्रमिक संघों की विशाल संख्या बी आइ एफ आर के समक्ष उपस्थित हो रही है, किन्तु उनकी समुचित सुनवाई की ही नहीं जाती। श्रमिक संघों ने बी

आइ एफ आर की शाखाएं कलकत्ता, मुम्बई, चेन्नई तथा अन्य शहरों में खोलने की मांग की है ताकि उन्हें उसके समक्ष उपस्थित होने में सुविधा हो सके। किन्तु इस मांग को भी लापरवाही के साथ अनसुना किया जा रहा है। इसके दुष्परिणामस्वरूप इन श्रमिक संघों को बी आइ एफ आर में प्रस्तुत होने के लिये भारी धन राशि खर्च करनी पड़ रही है। उनमें से कुछेक के लिये तो ए एफ आइ आर के एपिलेट प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत होना अत्यंत कठिन है। इस प्रक्रिया में बहुत समय व्यर्थ में चला जाता है और बीमार इकाईयों तथा उन्हें जीवनक्षम बनाने के सम्बन्ध में उनके पक्ष को शायद ही कभी रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ सुना जाता हो। केंद्रीय सरकार सामान्यतया पुनर्जीवन पैकेज को कार्यरूप देने के लिये प्रोन्नक बनने से इन्कार कर देती है। अनेक अवसरों पर बी आइ एफ आर ने पैकेज स्वीकार किये, किन्तु उन्हें भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकी। इसके परिणामस्वरूप ऐसी इकाईयों के समक्ष कामबंदी की स्थिति का सामना करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग शेष नहीं रहता। यदि पैकेज को सरकार की स्वीकृति मिल जाती है तो उसे दिये गए आश्वासन के अनुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती। इसके चलते भी इन इकाईयों के समक्ष प्रायः कामबंदी का मुंह देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता।

13.3 निकट अतीत में निजी क्षेत्र में भी बीमारी का यह मामला गम्भीर रूप धारण कर चुका है। समय रहते औद्योगिक बीमारी की समस्या के साथ निपटने में सरकार की विफलता ने निजी क्षेत्र में बीमारी को और बढ़ा दिया है। लाभ पर चलने वाली अनेक इकाईयां कुप्रबंधन, हेराफेरी तथा धन को अन्यत्र लगाने जैसी कार्रवाईयों के चलते बीमार हुई हैं। एस आइ सी ए तथा कम्पनीज एक्ट के दोषपूर्ण प्रावधानों का निजी क्षेत्र के अनेक उद्यमों में दुरुपयोग होता है। बैंकों से उनके लिये भारी धन का उधार लिया जाता है किन्तु उस धन का उपयोग इकाई के किसी अन्य लाभप्रद उद्यम के लिये किया जाता है। यही स्थिति निजी क्षेत्र के अनेक उपक्रमों की बीमारी के लिये उत्तरदायी है। यद्यपि इकाईयां बीमार हो जाती हैं तथापि उसके नियोजक उनकी अधिक से अधिक परिसम्पत्ति को हड़प लेते हैं और इसके चलते उनकी स्थिति और भी खराब हो जाती है। अतः वर्तमान स्थिति में उद्योग को बीमार बनाना भी एक लाभप्रद व्यवसाय बन गया है। निजी क्षेत्र में इस प्रकार के उद्योगपतियों को दण्डित करने में केंद्रीय सरकार की विफलता ऐसी इकाईयों के कुप्रबंधन तथा धन की चोरी के लिये उत्तरदायी हैं। देश के औद्योगिक क्षेत्र की बीमारी में ये कारक भारी योगदान देते हैं।

13.4 वर्तमान में श्रमिक आंदोलन औद्योगिक बीमारी के सम्पूर्ण प्रश्न को उसके ठीक संदर्श (परिप्रेक्ष्य) में नहीं ले रहा। इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक बीमारी के विरुद्ध तथा बीमार एवं बंद पड़ी इकाईयों को पुनर्जीवित करने के लिये सुसंगठित अभियान चलाया नहीं जा सका और न ही राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर इसके लिये प्रभावी कदम उठाए जा सके हैं। इस सम्बन्ध में सी आइ टी यू की पश्चिम बंगाल राज्य समिति द्वारा औद्योगिक बीमारी के प्रश्न पर एक दिवसीय हड़ताल का आयोजन करके पहलकदमी की थी; यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम था; इसके द्वारा बीमार उद्योगों के हित में राज्य के सम्पूर्ण श्रमिक आंदोलन को सफलतापूर्वक सम्मिलित किया जा सका था। यदि इसी प्रकार के कदम अन्य राज्यों में भी उठाए जाएं तो हमारे लिये इस औद्योगिक बीमारी के विरुद्ध देशव्यापी अभियान एवं आंदोलन चलाना सम्भव हो जाएगा। ऐसा आंदोलन ही भारत सरकार की इन जीवनक्षम इकाईयों को पर्याप्त धन उपलब्ध कराने तथा लाखों-लाख श्रमिकों के रोजगार की रक्षा करने के लिये विवश कर सकता है। हमें प्राथमिकता के आधार पर यह कार्य राष्ट्रीय स्तर पर करना होगा ताकि इस मुद्दे पर देश व्यापी आंदोलन एकजुट होकर चलाया जा सके और इस महत्वपूर्ण प्रश्न से निपटा जा सके। अर्थ व्यवस्था में औद्योगिक बीमारी के विरुद्ध संघर्ष का अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष-विश्व बैंक निदेशित आर्थिक सुधारों के विरुद्ध संघर्ष के साथ निकट सम्बन्ध है।

14. राष्ट्रीय जन संगठन मंच के कार्यक्रम

14.1 राष्ट्रीय जन संगठन मंच की प्रायोजन समिति ने भी इन नीतियों का विरोध किया है और इनके विरुद्ध अभियान चलाने का निर्णय लिया है। मंच की ओर से 16-दिसम्बर 1996 को नयी दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन ने भारत की जनता को जन आंदोलन चलाने का आह्वान किया था। इस आह्वान के अन्तर्गत केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के समक्ष धरने देने, रेल/रास्ता रोको आंदोलन करने तथा संसद के समक्ष विराट प्रदर्शन करने के लिये कहा गया था।

14.2 सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय श्रमिक संघों की समिति (सी पी एस टी यू) ने भी निजीकरण, पूंजीविनिवेश, बीमार औद्योगिक इकाईयों की सहायता करने से सरकार के इन्कार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में वेतन वार्ताएं शुरू करने के मामले में की जा रही असाधारण देरी के विरुद्ध देश व्यापी आंदोलन का आरम्भ किया था। सी पी एस टी यू ने 2 अप्रैल, 1997 को एक दिवसीय हड़ताल का आयोजन करने का आह्वान भी किया था। पश्चिम बंगाल में उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं के कारण 3 अप्रैल को हड़ताल करने का आह्वान किया गया था। उसी दिन औद्योगिक बीमारी के विरोध में एक दिवसीय पूर्ण राज्यव्यापी बंद का आयोजन भी किया जाना था सी पी एस टी यू द्वारा चलाए गए अभियान के चलते सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों के संयुक्त आंदोलन हो सके हैं। मांग पत्र की तैयारी हेतु बंगलौर में आयोजित कार्यशाला सफल रही। उसमें कार्यशाला में सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिक संघों के मध्य आगामी वेतन वार्ताओं के सम्बन्ध में सामान्य समझदारी बनाई जा सकी थी।

14.3 तथापि बैंक कर्मचारियों ने निजीकरण के विरुद्ध तथा अपनी अन्य मांगों के पक्ष में 4 अप्रैल, 1997 को हड़ताल करने का निर्णय लिया था। यद्यपि एक ही दिन में संयुक्त कार्रवाई का आयोजन करना सम्भव नहीं हो सका तथापि अप्रैल 1997 के पहले सप्ताह में संघर्ष की अनेक कार्रवाईयां करने का निश्चय किया गया था। तथापि कांग्रेस पार्टी द्वारा अचानक संयुक्त मोर्चा सरकार को अपना समर्थन वापस लेने

की घोषणा किये जाने के कारण देश में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अप्रैल के आरम्भ में किये जाने वाले हड़ताल के सभी कार्यक्रमों को इसके चलते निलम्बित करना पड़ा है।

14.4 यद्यपि राष्ट्रीय जन संगठन मंच द्वारा चलाए गए अभियान को आरम्भ में अधिक से अधिक प्रत्युत्तर मिला तथापि संयुक्त मोर्चा सरकार की स्थापना होने के पश्चात् इसके प्रत्युत्तर में कमी आ गई। इस समय में केवल दो राष्ट्रव्यापी कार्रवाईयां की गईं। यद्यपि श्रमिकों ने इन कार्रवाईयों में भाग लिया था, किन्तु इस बार उनके उत्साह में कमी आ चुकी थी। संयुक्त आंदोलन के कुछ घटकों ने इसके लिये उपयुक्त तैयारी नहीं की जबकि कुछ अन्य इन कार्रवाईयों में सम्मिलित ही नहीं हुए। हमें अब भी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संयुक्त आंदोलन में खींच लाने के लिये अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। देश की 80 प्रतिशत जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों में इस संघर्ष को और सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है। संघर्ष की स्थिति विभिन्न राज्यों में एक समान नहीं है। यह बात संयुक्त आंदोलनों पर निर्भर करती है तथा कमजोर क्षेत्रों जहाँ आंदोलन को और सुदृढ़ बनाया तथा तीव्रतर किया जा सकता है, में और अधिक ध्यान देना होगा।

14.5 राज्य स्तरीय समन्वय को सुदृढ़ बनाने तथा निचले स्तर पर एक शक्तिशाली आंदोलन का निर्माण करने के लिये राष्ट्रीय जन संगठन मंच की राज्य स्तरीय समितियां गठित करना सम्भव नहीं हो सका है। संयुक्त आंदोलनों का निर्माण करने के मामले में कुछ राज्य समितियां अधिक सक्रिय नहीं हैं। समग्र रूप में इसका दुष्प्रभाव श्रमिक संघर्षों पर पड़ा है। रेलवे श्रमिकों तथा जल परिवहन श्रमिकों के एक वर्ग का भाग नहीं लेना हमारे आंदोलन की एक प्रमुख दुर्बलता है। हमें इन दुर्बलताओं को दूर करने की ओर प्रमुख रूप से अपना ध्यान केंद्रित करना होगा ताकि भविष्य में हम अपने आंदोलन को और सुदृढ़ बना सकें। राष्ट्रीय जन संगठन मंच की स्थापना एक शानदार उपलब्धि है और श्रमिक वर्ग के नेतृत्व में श्रमिकों, किसानों, खेत मजदूरों, महिलाओं छात्रों, युवाओं इत्यादि के जन संगठनों को एकजुट करना इस आंदोलन की विशाल एवं विशिष्ट प्रकृति है। यह मंच, यदि इसे समुचित ढंग से विकसित किया जाए और सुदृढ़ बनाया जाए तो इसमें सरकार की आर्थिक नीतियों के विरुद्ध संघर्ष को आगे बढ़ाने की अद्भुत क्षमताएं विद्यमान हैं। किन्तु हम इस संगठन की क्षमताओं का पूर्ण उपयोग नहीं कर सके हैं, यह तथ्य हमें स्वीकार करना ही होगा। इसकी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग हो, इसे सुनिश्चित बनाने के लिये हमें इस ओर पूर्ण ध्यान देना होगा ताकि हमारे संघर्ष का क्षेत्र कहीं अधिक व्यापक हो सके तथा पूर्ण शक्ति के साथ सरकार की प्रतिगामी आर्थिक नीतियों जिनकी प्रकृति मूल रूप से जन विरोधी तथा राष्ट्र विरोधी है, की दिशा को बदला जा सके।

14.6 उल्लेखनीय राष्ट्रव्यापी संघर्षों जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, में वर्ष 1996 के अंत में की गई ऐतिहासिक हड़ताल उल्लेखनीय थी। यह हड़ताल बोनस सीमा समाप्त करने के लिये सरकार के इन्कार के विरुद्ध की गई थी। इससे पूर्व दूरसंचार श्रमिकों ने निजीकरण के विरुद्ध कलम छोड़ो हड़ताल की थी। कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शित एकता तथा दृढ़ निश्चय ने उल्लेखनीय सीमा तक उनके आंदोलन को सुदृढ़ बनाया है। इसके अच्छे परिणाम निकल सके हैं। बीमा कर्मचारियों ने सामूहिक सौदेबाजी के अपने अधिकार के लिये तथा बीमा उद्योगों के निजीकरण के विरोध में इस अवधि में अनेक अवसरों पर काम ठप्प किया है। अच्छी सेवा स्थितियों के लिये बैंक कर्मचारियों के संघर्ष ने उल्लेखनीय एकता का प्रदर्शन किया है। इसके परिणामस्वरूप बैंक कर्मचारियों तथा अधिकारियों के सभी 9 संगठनों में एकता स्थापित हो सकी।

14.7 मच्छलियां पकड़ने के लिये विदेशी पोतों के भारतीय पानी में अनुप्रवेश तथा इन पर सरकारी समिति की संस्तुतियों को लागू करने से केंद्रीय सरकार के इन्कार के विरुद्ध 1996 में भारतीय मछेरों ने एक दिवसीय हड़ताल की थी। देश के सभी केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने इस हड़ताल का समर्थन किया था। यह हड़ताल पूर्ण रूप से सफल रही थी। इससे पूर्व कोचीन में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसी सम्मेलन में हड़ताल की कार्रवाई की योजना बनाई गई थी।

14.8 केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के लिये किये गए संघर्षों का कर्मचारी समूहों ने भारी समर्थन किया है।

14.9 कोयला श्रमिकों द्वारा सामान्य मांग पत्र पर 19 दिसम्बर को अखिल भारतीय हड़ताल की गई जो सफल रही। यद्यपि हड़ताल का आह्वान पांच प्रमुख केंद्रीय श्रम संगठनों ने संयुक्त रूप से किया था तथापि सी आइ टी यू तथा एच एम एस के अतिरिक्त अन्य सभी संगठन हड़ताल के निर्णय से पीछे हट गए। उस स्थिति में उपरोक्त दोनों केन्द्रीय श्रमिक संगठनों को हड़ताल करनी पड़ी। यह हड़ताल मांग पत्र को कार्यरूप नहीं दिये जाने के विरोध में की गई थी। हड़ताल में सभी सम्बद्धताओं वाले श्रमिकों ने भाग लिया। इससे पता चलता है कि कोयला श्रमिकों में असंतोष किस सीमा तक पनप रहा है।

15. पेन्शन योजना के विरुद्ध संघर्ष

15.1 इस अवधि में हमने पेन्शन योजना के विरुद्ध संघर्ष को आगे बढ़ाया है। चार अन्य प्रमुख केंद्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा विरोध किये जाने पर भी हमने देश भर में इसके विरुद्ध अपना प्रचार अभियान चलाया था। इसका श्रमिकों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। अनेक अवसरों पर अन्य श्रमिक संगठनों के साथ सम्बद्धता रखने वाले श्रमिकों संघों ने भी हमारे रुख का अनुमोदन किया है। हमने देश भर में पेंशन योजना के विरुद्ध निरंतर प्रचार अभियान चलाया, अनेक भाषाओं में पुस्तिकाओं का विवरण किया जिसके चलते 23 फरवरी 1996 की अखिल भारतीय हड़ताल के लिये अनुकूल वातावरण तथा पृष्ठभूमि बन सकी थी। इस हड़ताल को सामान्य श्रमिकों द्वारा जबरदस्त प्रत्युत्तर दिया गया। यद्यपि हड़ताल सम्पूर्ण नहीं रही तथापि वह अत्यंत व्यापक थी और सामान्य रूप से श्रमिकों ने स्वत: स्फूर्त ढंग से सी आइ टी यू के आह्वान को

अपना प्रत्युत्तर दिया था।

15.2 जब देवेगौड़ा सरकार का गठन हुआ तो श्रमिक वर्ग में उस पर बहुत आशाएं थीं। वे समझते थे कि नयी सरकार पेंशन विधेयक पर आगे की कार्रवाई नहीं करेगी। वे यह आशा भी रखते थे कि सी आइ टी यू सरकार को संशोधित पेंशन विधेयक लाने या कम से कम इसे ऐच्छिक बनाने के लिये सरकार को प्रेरित कर सकेगी। हमने इसके लिये भरसक प्रयास किये हैं; प्रधान मंत्री तथा श्रम मंत्री के साथ सम्पर्क स्थापित किया और संसद में इसका घोर विरोध किया है। इस पर भी हम इस प्रतिगामी पेंशन विधेयक को पारित होने से रोक नहीं सके हैं। ऐसा चार अन्य प्रमुख केंद्रीय श्रमिक संगठनों के भारी दबाव के कारण हुआ क्योंकि वे प्रत्येक स्थिति में इस विधेयक पर संसद की स्वीकृति की मोहर लगवा लेना चाहते थे। संयुक्त मोर्चा सरकार अंततः पूर्वगामी कांग्रेस सरकार द्वारा जारी किये गए अध्यादेश का एक शब्द भी बदले बिना पेंशन विधेयक पारित कराने में सफल हो गई। इसलिये सी आइ टी यू को पेंशन अधिनियम के, उसके कानूनी रूप ले लिये जाने पर भी, विरुद्ध संघर्ष को आगे बढ़ाने का आह्वान करना पड़ा। हमारे द्वारा की गई पहलकदमी के चलते पेंशन योजना पर 25 अगस्त 1996 को दिल्ली में एक अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में सी आइ टी यू के अतिरिक्त यू टी यू सी, यू टी यू सी (एल एस) तथा ऐक्टू और अन्य उद्योगवार श्रमिक महासंघों ने भाग लिया। देश भर में एक अभियान चलाया गया जिसमें पुरानी योजना को रद्द करके उसे ऐच्छिक बनाने की मांग की गई। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पेंशन योजना पर स्थगन आदेश जारी करने से हमारे आंदोलन को बढ़ावा मिला है। हमें इसका लाभ उठा कर पेंशन योजना के विरुद्ध अपने अभियान को और सुदृढ़ बनाना चाहिये ताकि हम सेवा निवृत्ति के तीसरे लाभ के रूप में पेंशन पाने के अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।

15.3 पेंशन योजना पर अखिल भारतीय सम्मेलन ने देश भर में जन याचिका अभियान चलाने का निर्णय भी लिया था। ये जन याचिकाएं लोक सभा अध्यक्ष के नाम से एकत्रित की गईं। इन्हें जबरदस्त प्रदर्शन करके उन्हें भेंट किया जाना था। किन्तु निर्धारित तिथि तक वांछित हस्ताक्षर नहीं लिये जा सके। निचले स्तर पर पेंशन योजना के विरुद्ध तीखे असंतोष को देखते हुए, कहा जा सकता है। हमारे नेतृत्व स्तर पर पहलकदमी का अभाव ही इस प्रकार की स्थिति के लिये उत्तरदायी है। इससे हमारे भीतर संवेदनशीलता का अभाव झलकता है और वह भी ऐसे मुद्दे पर जिसका सामना सामान्य श्रमिकों को करना पड़ रहा है। सी आइ टी यू की सभी राज्य समितियों तथा श्रमिक संघों को पूर्ण गम्भीरता के साथ हस्ताक्षर अभियान चलाना चाहिये ताकि इस आंदोलन को निचले स्तर तक श्रमिकों के मध्य ले जाया जा सके। कई लाख हस्ताक्षर एकत्रित कर लिये गए हैं और हम इन्हें संसद के समक्ष विशाल प्रदर्शन का आयोजन कर लोक सभा के अध्यक्ष को भेंट कर सकते हैं।

16. पांचवें वेतन आयोग की प्रतिगामी सिफारिशें

16.1 पाँचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट जो फरवरी, 1997 के अन्त में सरकार को पेश की गई, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर उदारीकरण की नीतियों के प्रभाव को दर्शाती, है। वेतन आयोग ने चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में मात्र 250 रुपये की वृद्धि की है, जबकि सचिव स्तर के अफसरों के वेतन में 9000 रुपये से भी अधिक की वृद्धि की है। आयोग की सबसे खराब सिफारिश यह है कि सरकारी नौकरियों में किसी भी खाली स्थान को न मरा जाए और कर्मचारियों की संख्या एक तिहाई कटौती की जाए। बड़े शहरों में किराये भत्ते में वृद्धि से शिखर के अफसरों को ही असल में फायदा होगा जिनको प्रति माह 9000 रुपये तक किराया भत्ता मिलेगा। चौथी श्रेणी के स्थानों में कटौती करने की आयोग की कोशिश से कर्मचारियों के एक बड़े भाग को नुकसान होगा। वेतन आयोग ने शारीरिक श्रम वाली नोकरियों के निजीकरण का एक नया सिस्टम शुरू किया है। उदाहरण के तौर पर एक अफसर को अपने अपने घर पर टेलीफोन अटेंडेंट रखने के लिए 1500 रुपये दिए जाएँगे। इस प्रकार वेतन आयोग नियमित नौकरियों को खत्म कर रहा है और अनौपचारिक नौकरियाँ पैदा कर रहा है।

16.2 पांचवें वेतन आयोग ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ बराबरी की मांग को एकदम अस्वीकार कर दिया है। मुख्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में अन्तर, जो 600 रुपये था, अब बढ़कर 1000 रुपये हो जाएगा। जहाँ तक अफसरों का सवाल है, वेतन आयोग सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के प्रथम श्रेणी के अफसरों की तुलना में शिखर के सरकारी अफसरों को अधिक वेतन देता है। इसी तरह, केंद्रीय सरकारी अफसरों की तुलना में पुलिस व सेना के अफसरों को भी कम वेतन मिलता है। इसके अलावा, वेतन आयोग खुल्लमखुल्ला उदारीकरण की वकालत करता है जिससे सरकारी कर्मचारियों की नौकरियाँ अस्थायी और गैर नियमित हो जाएंगी। वेतन आयोग की सिफारिशों का असर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, राज्यीय सरकारी कर्मचारियों और केंद्रीय सरकारी स्वायत संस्थाओं पर भी पड़ेगा। इसलिये यह पूरे ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिए एक चिंता का विषय है और हमें अखिल भारतीय स्तर पर इस मुद्दे को लेना होगा और वेतन आयोग की रिपोर्ट में निहित सिद्धांतों के विरुद्ध अभियान चलाना होगा। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों में गहरी रंजिश पनप रही हैं और वे कई कार्यक्रम को नीचे के स्तर के सरकारी कर्मचारियों के वेतन में काफी सुधार करने के लिए मजबूर कर सकें जिससे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के अधिकतम व न्यूनतम वेतन में अन्तराल काफी कम हो जाए। वेतन आयोग की प्रतिगामी सिफारिशों पर भी आंदोलन का निशाना होना चाहिए ताकि सरकार को उन्हें वापिस लेना पड़े और ऐसी सिफारिशे करनी पड़े जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को स्वीकार्य हो।

16.3 केंद्रीय सेवाओं की ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने के जो नियम हैं, वे संघ बनाने की स्वतंत्रता पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के समझौते

का उल्लंघन करते हैं। मान्यता देने के नियमों के विरुद्ध अभियान चलाने की सख्त जरूरत है ताकि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के ट्रेड यूनियन अधिकारों की पूरी तरह रक्षा की जा सके।

16.4 केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की जागरूकता तेजी से बढ़ रही है और वे न केवल अपनी मांगों के लिए बल्कि सरकार की नीतियों के विरुद्ध भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। टेलीकोम क्षेत्र की शानदार हड़ताल और उसकी उपलब्धियों ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बढ़ते हुए जुझारूपन को रेखांकित किया है। हमें हर संभव तरीके से इस प्रक्रिया को बढ़ावा देना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में जनसंगठनों के प्लेट फार्म के कार्यक्रमों में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की बड़े स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

17. सांप्रदायिक और विघटनकारी शक्तियों का खतरा

17.1 पिछले तीन वर्षों में, हमारे देश में सांप्रदायिक और विघटनकारी शक्तियों का प्रसार हुआ है। जिस प्रकार मजदूर वर्ग में इन शक्तियों की गहरी पैठ हुई है और अनेक औद्योगिक केंद्रों में सांप्रदायिक और फूटपरस्त उम्मीदवार आम चुनावों में जीते हैं, यह चिन्ता का विषय है। ट्रेड यूनियन आंदोलन में भी इन ताकतों का बढ़ता हुआ प्रभाव दिख रहा है और देश के मजदूर वर्ग का एक महत्वपूर्ण भाग इन फूटपरस्त प्रवृत्तियों का शिकार हो गया है। पिछले लोकसभा चुनावों में, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी है जब कि पंजाब के चुनावों में उन्होंने विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने के लिए अकालियों से हाथ मिला लिया। जम्मू-कश्मीर और उत्तरपूर्व के राज्यों में सांप्रदायिक और विघटनकारी शक्तियों की गतिविधियां बढ़ रही है और यह देश के जनवादी आंदोलन की जड़ों पर आघात है।

17.2 राजस्थान व दिल्ली में भाजपा सरकारें, उत्तर प्रदेश में भाजपा-बसपा की मिली जुली सरकार, महाराष्ट्र में शिव सेना भाजपा की सरकार, हरियाणा में हरियाणा विकास पार्टी व भाजपा की सरकार तथा गुजरात में वघेला सरकार ये सब सांप्रदायिक शक्तियों को प्रश्रय देती रही है और मजदूर वर्ग विरोधी नीतियां अपनाती रही हैं। हर ट्रेड यूनियन संघर्ष में ये बेशर्मी से मालिकों का साथ देती हैं। जो ट्रेड यूनियन आंदोलन इन सरकारों की मजदूर-विरोधी और जनविरोधी नीतियों का विरोध करता है, उसके खिलाफ ये सरकारें दमनकारी उपायों का सहारा लेती हैं और ट्रेड यूनियन अधिकारों पर बुनियादी आघात करती हैं। आर्थिक नीतियों के विरुद्ध संघर्ष में, मजदूर वर्ग की एकता को भंग करने के उद्देश्य से, ये शक्तियां पूरे देश में सांप्रदायिक और फूटपरस्त प्रचार करती है। अपने प्रचारतंत्र के माध्यम से वे गिरती हुई आर्थिक हालात के विरुद्ध लोगों की भावनाओं को गलत दिशा में मोड़ देते हैं। इसलिए सीटू यूनियनों के लिये यह जरूरी है कि वे मजदूर वर्ग के बीच में काम कर रही इन ताकतों के खिलाफ लम्बा संघर्ष चलाएँ।

17.3 यद्यपि हम सांप्रदायिक और फूटपरस्त ताकतों के विरुद्ध प्रचार करते रहे हैं, किन्तु लगता है कि हमारा प्रचार लोगों के दिलों तक नहीं पहुंचता। इसलिए हमें अपने प्रचार के तरीके को बदलना होगा जिससे हम जन-मानस की गहराई तक पहुंच सकें ताकि लोग सांप्रदायिक व फूटपरस्त ताकतों का शिकार होने की बजाय हमारे आंदोलनों में शामिल हों।

18. भ्रष्टाचार से विनष्ट समाज

18.1 मंत्रियों, बड़े नौकरशाहों, राजनीतिज्ञों और बिचौलियों के बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के उदाहरण, जो पिछले कुछ समय में साफ तौर पर सामने आए हैं, उन्होंने हमारे समाज के पूरे ताने-बाने को भ्रष्ट कर दिया है। विभिन्न मंचों ने भ्रष्टाचार का जो अभूतपूर्व स्तर उजागर किया है, उसने पूंजीवादी राजनीति, जो विकृत होकर हमारे देश में एक बहुत ही निम्न स्तर पर पहुंच गई है, के प्रति एक घृणा का भाव जगाया है। नरसिंह राव मंत्रिमंडल का एक बहुत बड़ा भाग हजारों करोड़ के कई घोटालों में फंसा हुआ था। भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वयं भष्टाचार के एक स्रोत के रूप में उभरे हैं। उनके बेशर्मी से अपने को बचाने के प्रयासो के बावजूद, देश की जनता को उनके लज्जाजनक व्यापारों और भ्रष्ट कारनामों में कोई सन्देह नहीं। व्यक्तिगत लाभ के लिए राजसत्ता का भयंकर दुरुपयोग जितना पिछले कुछ समय में हुआ है, उतना कभी नहीं हुआ।

18.2 ट्रेड यूनियन आंदोलन को ऐसे व्यापारिक घरानों को भी गंभीरता से देखना चाहिए जो सार्वजनिक कोष की लागत पर अपने गलत तरीकों से कमाए गए धन को बढ़ाने के लिए, राजनीतिज्ञों का इस्तेमाल करते रहे हैं। आखिर इन घोटालों में लगा हुआ बेशुमार धन मजदूर-वर्ग की मेहनत से ही तो उपजा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने व्यापारिक हितों को सुदृढ़ करने के लिए भ्रष्ट समझौतों के माध्यम से सरकारी मशीनरी का नियमित रूप से इस्तेमाल करती रही है। इस पूरे मुद्दे को कुछ व्यक्तियों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। पूरी व्यवस्था इतनी विकृत हो चुकी है कि समाज में भ्रष्ट कारनामों का सहारा लिए बिना कोई काम भी नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार में लगा हुआ धन उस धन से कहीं ज्यादा है जो बीमार उद्योगों को ठीक करने के लिए चाहिए। भ्रष्ट मंत्रियों और नौकरशाहों को बचाने में सी बी आई की भूमिका भी उजागर हुई है, किंतु इस पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकी है।

18.3 उदारीकरण की प्रक्रिया ने हर स्तर पर भष्टाचार की बेहद वृद्धि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान की है। इसलिए, ट्रेड यूनियन आंदोलन को भ्रष्टाचार का मुद्दा, नई आर्थिक नीति के विरुद्ध अपने अभियान के एक अंग के रूप में गंभीरता से लेना चाहिए।

19. वाम मोर्चा सरकारें

19.1 पश्चिम बंगाल, केरल व त्रिपुरा की वाममोर्चा नेतृत्व की सरकारें लगातार ऐसी नीतियाँ अपानती रही हैं जो जनता के और मजदूर वर्ग

के हित में हैं। ये सरकारें केंद्रीय सरकार की आर्थिक नीति के कारण उत्पन्न हुई अनेक कठिनाइयों के बावजूद, अपने अपने राज्य की अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए सकारात्मक कदम उठाती रही है। त्रिपुरा में, फूटपरस्त ताकतों द्वारा किए जाने वाले आतंकवादी हमलों और हमारे कई कामरेडों की हत्याओं के बावजूद, सरकार राज्य की समस्याओं को सुलझाने और मजदूर वर्ग व आदिवासी जनसंख्या के हितों की रक्षा करने की दिशा में, बहुत ही अच्छा काम करती रही है। हर औद्योगिक झगड़े में, ये तीनों सरकारें मजदूर वर्ग के हित में हस्तक्षेप करती रही हैं जिसके परिणामस्वरूप झगडों को समय पर सुलझाया जा सका। सभी संयुक्त संघर्षों और आंदोलनों में, जिनमें देशव्यापी हड़ताल की कार्रवाइयां भी शामिल हैं, इन सरकों ने संघर्षो का पूरी तरह समर्थन किया और मजदूर वग तथा आम जनता के साथ खड़ी रहीं। ये सरकारें वैकल्पिक नीतियों के लिए भी लड़ती रही हैं। इन राज्यों में सीटू की राज्य कमेटियां हमेशा मजदूर वर्ग के हितों में होने वाले संघर्षों की अगुवाई करती रही है।

19.2 इन तीन वाम मोर्चा सरकारों को बचाना मजदूर आंदोलन की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रही है ताकि इन सरकारों की नीतियों को मजदूर वर्ग के संयुक्त आंदोलनों का समर्थन मिल सके। सीटू की यूनियनों को लोगों को बताना चाहिए कि इन सरकारों और केंद्रीय सरकार-की नीतियों में क्या अंतर है ताकि बुजुर्आ अखबारों के इस विद्वेषपूर्ण प्रचार का मुंह बन्द किया जा सके कि ये सरकारें भी वहीं नीतियाँ अपना रही हैं जो केंद्रीय सरकार अपना रही हैं। यह प्रचार इस बात की पूरी तरह उपेक्षा करता है कि राज्य सरकारों के पास सीमित अधिकार हैं और इन्हें भारतीय संविधान के ढांचे के अंदर ही काम करना होता है। अपने रोजमर्रा के प्रचार में हमें वर्तमान राजनीतिक स्थिति में इन सरकारों की भूमिका को रेखांकित करना चाहिए।

20. ट्रेड यूनियन एकता की समस्याएँ

20.1 साथियों, ट्रेड यूनियन एकता की जरूरत कभी भी इतनी नहीं थी, जितनी आज है। संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम का सबसे बड़ा निशाना संगठित ट्रेड यूनियन आंदोलन को खत्म करना है। विकसित पूंजीवादी देशों में, स्थापित ट्रेड यूनियनों के कमजोर होने का कारण उदारीकरण की प्रक्रिया ही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आइ एल ओ) ने भी कहा है कि प्रतिस्पर्धा के वातावरण में, मालिक मजदूरों की काम करने की और रहन-सहन की दशाओं को बदतर करने की कोशिश करते हैं ताकि वे वस्तु की उत्पादन-लागत में कमी करके, उसे ज्यादा सस्ता बेच सकें।

20.2 अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां ट्रेड यूनियनों से बात न करके, सीधे मजदूरों के साथ लेनदेन करती हैं। अत: ट्रेड यूनियन व जनवादी अधिकारों पर हमला संरचनात्मक समंजन कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। एक उदारीकृत व्यवस्था में सामूहिक सौदेबाजी का कोई अर्थ नहीं रह जाता।

20.3 भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन तथाकथित 'आर्थिक सुधारों' का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि यह सब बहुत अचानक हुआ। कुछ ट्रेड यूनियनों में इस बात को लेकर संशय है कि देश में आर्थिक घटनाओं के क्रम को बदला जा सकता है या नहीं। इसलिए मजदूर वर्ग में यह विश्वास पैदा करने की बहुत जरूरत है कि यदि वे एकजुट हों तो उदारीकरण की नीतियों के खिलाफ प्रभावी ढंग से लड़ सकते हैं। मजदूर वर्ग में यह विश्वास उत्पन्न करने के लिए उन्हें काफी मात्रा में शिक्षा देना जरूरी है।

20.4 भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन को यह समझना जरूरी है कि यदि सब यूनियनें इकट्ठी हो जाएं, तो उनकी ताकत कितनी होगी। कोई भी अकेली ट्रेड यूनियन इस स्थिति में नहीं है कि अपने बलबूते पर आर्थिक हमले का मुकाबला कर सके। इसलिए सभी ट्रेड यूनियनों का इकट्ठा होना वक्त की जरूरत है।

20.5 टेलीकॉम, इस्को, एन टी सी, बैंकों और बीमा क्षेत्र के कर्मचारियों के संयुक्त संघर्षों ने दिखा दिया है कि एकताबद्ध मजदूर वर्ग ही पूंजीवादी हमले का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकता है और अपने एकताबद्ध संघर्ष के सामने शत्रु को पीछे हटने के लिए मजबूर कर सकता है।

20.6 दक्षिणी कोरिया के मजदूरों के शानदार संघर्ष ने यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि यदि ट्रेड यूनियन आंदोलन एकजुट हो और लड़ने के लिए कटिबद्ध हो, तो यह देशके पूरे औद्योगिक क्षेत्र को ठप्प कर सकता है।

20.7 उदारीकरण की नीतियों के कारण, मजदूर वर्ग के तेजी से बिगड़ते हुए हालात उनमें बेचैनी पैदा कर रहे हैं। यदि संघर्ष के लिए एकताबद्ध रूप से आह्वान किया जाए, तो मजदूर उस आंदोलन में शामिल होंगे। ट्रेड यूनियनों के संयुक्त नेतृत्व की एक अपनी विश्वसनीयता होगी और यह नेतृत्व मजदूर वर्ग की उस निराशा को दूर करने में समर्थ होगा जो ट्रेड यूनियन आंदोलन की, औद्योगिक बीमारी और उद्योग-बंदी के खिलाफ लड़ने की अक्षमता के कारण पैदा हुई है। हालत यहां तक है कि महीनों तक बीमार या बंद उद्योग में मजदूरों को अपना वेतन तक नहीं मिल पाता।

20.8 इस सम्मेलन में सीटू को सम्पूर्ण मजदूर वर्ग और ट्रेड यूनियन आंदोलन को एक जोशपूर्ण अपील करनी चाहिये कि वे वक्त की जरूरत को समझें और भारत सरकार की ''उदारीकृत'' आर्थिक नीतियों के विरुद्ध संघर्ष में एक होकर उठ खड़े हों।

20.9 यद्यपि ट्रेड यूनियन आंदोलन में फूटपरस्त व संघर्ष विरोधी प्रवृत्तियां विद्यमान है, किंतु हमें मजदूर वर्ग में आम तौर पर विद्यमान एकजुटता की मजबूत इच्छा का फायदा उठाना चाहिए। जबरदस्त देशव्यापी अभियान के द्वारा हम फूटपरस्त ताकतों की शरारत देशव्यापी अभियान के द्वारा हम फूटपरस्त ताकतों की शरारत पर विजय पा सकते हैं।

20.10 आज के वस्तुगत हालात यह मांग करते हैं कि मजदूर वर्ग की

संपूर्ण एकता होनी चाहिए और सीटू को ऐसी एकता स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए।

21. महासंघ का प्रस्ताव

21.1 ट्रेड यूनियनों का परिसंघ बनाने के सीटू के प्रस्ताव की ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में प्रशंसा की जा रही है, लेकिन केंद्रीय स्तर पर अभी इस पर गंभीरता से विचार नहीं हुआ। इस प्रस्ताव पर एटक का मुख्य ऐतराज यह है कि यह समन्वय समिति का ही दूसरा रूप है। एटक का कहना है कि वह परिसंघ बनाने के प्रस्ताव के विकल्प के रूप में, ट्रेड यूनियनों के विलय की हिमायत करते हैं। एटक के इस रुख के कारण अन्य ट्रेड यूनियनों ने भी इस मुद्दे पर पोजीशन लेने से मना कर दिया है। इस समस्या ने एटक और हिन्द मजदूर सभा के बीच विलय की बातचीत में एक नया पहलू जोड़ दिया है। पिछले छः सालों से इस विषय पर बातचीत चल रही है, लेकिन अभी वास्तव में विलय होना बाकी है। हालाँकि विभिन्न राज्यों में समन्वय समितियाँ गठित की गई हैं, लेकिन वे इन दोनों संगठनों के विलय के लिए एक ठोस टाइम-टेबल नहीं निर्धारित कर पाई हैं। यदि एटक और हिन्द मजदूर सभा का आपस में विलय होता है, तो सीटू इस का स्वागत करेगी क्योंकि हमारे इन दोनों संगठनों के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध हैं। उनके विलय से हमारे महासंघ बनाने के प्रस्ताव पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। बहरहाल, सीटू यह महसूस करती है कि जब तक ट्रेड यूनियन गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं, विभिन्न नीतिगत मुद्दों और ट्रेड यूनियन आंदोलन के लक्ष्य पर कोई सामूहिक समझ नहीं बनाई जाती, सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के विलय का प्रस्ताव साकार नहीं हो सकता। इसलिए सीटू ने परिसंघ के विचार का प्रस्ताव रखा है जो ट्रेड यूनियन आंदोलन के दृढ़ीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। यदि इकट्ठे काम करने की प्रक्रिया में चिन्तन की एकता स्थापित हो जाती है, तो देश में एक ट्रेड यूनियन केन्द्र के निर्माण का सपना साकार हो सकता है। लेकिन इसके लिए बहुत प्रयत्न और सतत बातचीत की जरूरत है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के अनेक उलझे हुए मुद्दों पर सामूहिक समझ बनाने की जरूरत है। यदि विवादपूर्ण मुद्दों को सुलझाए बिना विलय किया गया, तो वह न केवल अनुत्पादक और अल्पायु होगा, बल्कि विभिन्न घटकों के बीच और कड़वाहट को जन्म देगा। परिसंघ के काम करने में भी कठिनाइयाँ हो सकती हैं, लेकिन उस में समस्याओं को सुलझाना आसान है और परिसंघ एकदम स्वतन्त्र संगठनों को समाप्त नहीं करता। अतः सीटू यह समझती है कि ट्रेड यूनियनों का परिसंघ, देश में एक ट्रेड यूनियन केन्द्र के निर्माण की ओर एक कदम है।

21.2 सीटू यह नहीं मानती कि ट्रेड यूनियन आंदोलन राजनीतिक पार्टियों का एक अनुबन्ध है। क्योंकि एक परिसंघ में विभिन्न पार्टियों से सम्बद्ध ट्रेड यूनियनें इकट्ठा होंगी, परिसंघ की नीति वही हो सकती है जिसे सभी घटकों का समर्थन प्राप्त हो और यह आवश्यक नहीं कि यह नीति किसी पार्टी विशेष की हो। अतः वास्तविक अर्थ में जो परिसंघ होगा, वह ट्रेड यूनियनों को वास्तव में स्वतन्त्र बनाएगा। परिसंघ एक गैर-राजनीतिक संगठन नहीं होगा, बल्कि यह मजदूर-वर्ग की उस राजनीति को आगे बढ़ाएगा जिस पर सामूहिक सहमति हो। सीटू इस नीति का अनुसरण करती रहेगी क्योंकि उसे विश्वास है कि परिसंघ की अवधारणा ही आज के सन्दर्भ में मजदूर-वर्ग के हितों की रक्षा कर सकती है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अन्य ट्रेड यूनियनों की सहमति के बिना परिसंघ की अवधारणा साकार नहीं हो सकती अतः सीटू को द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से अन्य ट्रेड यूनियनों के साथ इस विषय पर बातचीत जारी रखनी चाहिये। इस मुद्दे पर अपने मंच से अभियान चलाना भी आवश्यक है, ताकि आम मज़दूरों को यह समझाया जा सके कि किस प्रकार परिसंघ प्रभावी ढंग से उन की आकांक्षाओं को वास्तव में पूरा कर सकता है।

21.3 आज सम्पूर्ण एकता वक्त की जरूरत है और जब तक मजदूर वर्ग एक वर्ग के रूप में एकताबद्ध नहीं होता, यह वर्तमान स्थिति की चुनौतियों का सामना करने में एक प्रभावी भूमिका अदा नहीं कर सकता। परिसंघ मजदूर वर्ग के हितों को बढ़ावा देने के लिए वर्ग-एकता का ऐसा ही आधार प्रदान करता है। हमारी यूनियनों द्वारा आम मजदूरों में देशव्यापी अभियान की जरूरत पर जोर देना आवश्यक है, ताकि मजदूर वर्ग की सम्पूर्ण एकता कायम करने के लिए परिसंघ की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया जाए। हालाँकि हमने पहले भी यह आह्वान किया है, किन्तु इस मुद्दे पर जनता के स्तर पर हमें ज्यादा जोर-शोर से अभियान चलाने की जरूरत है, ताकि महासंघ की अवधारणा सभी ट्रेड यूनियनों से सम्बद्ध मजदूरों की चेतना में पैठ सके। हमें ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार होना चाहिये। जिसका उद्देश्य ट्रेड यूनियन आंदोलन का एकीकरण हो और जो मजदूर-वर्ग की संगठनात्मक एकता कायम कर सके। इस विषय पर यदि हम खुले मन से और लचीलेपन से विचार करें, तो हम दूसरों से भी यही उम्मीद रख सकते हैं। आइए हम विचारधाराओं के अन्तर को एक तरफ रख के, मजदूर वर्ग की सम्पूर्ण एकता कायम करने के लिए दुगुना प्रयास करें। देश की वर्तमान जटिल राजनीतिक स्थिति में यह एक ऐतिहासिक काम है जो मजदूर वर्ग को करना है।

22. हमारी संगठनात्मक कमजोरियाँ

22.1 1993 में भुवनेश्वर में वर्किंग कमेटी की बैठक में संगठन पर जिस रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया गया, उसे तीन वर्ष हो गए हैं और इस बात पर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है कि यह रिपोर्ट किस हद तक कार्यान्वित हुई। समय-समय पर इस प्रश्न पर वर्किंग कमेटी और जनरल कौंसिल की बैठकों में विचार होता रहाहै, किन्तु अभी तक गहराई से इसका रिव्यू नहीं किया गया।

22.2 इसमें कोई शक नहीं कि इस रिपोर्ट के कार्यान्वय को मॉनीटर करने की मुख्य जिम्मेदारी सीटू केन्द्र और सेक्रेटेरियट की है। बहरहाल, केंद्र ने भी वे कई काम नहीं किए हैं जिनकी जिम्मेदारी रिपोर्ट में उसे दी गई थी। सीटू केंद्र के काम करने में जो थोड़ा-बहुत सुधार हुआ है, इससे तसल्ली नहीं की जा सकती क्योंकि सीटू की सम्पूर्ण

गतिविधियों के अगुआ अंग के रूप में, सीटू केन्द्र को अपनी जिम्मेदारियों का सामूहिक रूप से वहन करना होता है। बहरहाल, केंद्र को सामूहिक रूप से काम करने (अपने पूरे निहितार्थों में) की शुरूआत करना अभी बाकी है। कार्यक्रमों और मासिक कार्रवाइयों को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित करने और विभिन्न कॉमरेडों को उपयुक्त काम आबंटित करने की बजाय, अभी भी पिछला सिस्टम चला आ रहा है जिसके तहत प्रोग्राम अलग-अलग निर्धारित किए जाते हैं और फिर संगठन पर उन्हें थोप दिया जाता है। ऐसे पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमों के चलते, केंद्र के पास कोई चारा नहीं रहता और न ही केंद्र के लिए विभिन्न कामों में प्राथमिकता निर्धारित करने की कोई गुंजाइश रहती है। केंद्र सेक्रेटेरियट के सदस्यों के काम को भी नियमित रूप से मॉनीटर नहीं करता, जिसके कारण सेक्रेटेरियट को गतिविधियों में जो कमियाँ हैं, वे दूर नहीं हो पातीं। सीटू के मासिक अखबार को भी सारी गतिविधियों में प्राथमिकता नहीं मिल पाती जिसके फलस्वरूप इसके प्रकाशन का स्तर बहुत ही नीचा रहता है। सीटू केंद्र की सम्पूर्ण गतिविधियों में जो एक ढीलापन आया है, उसे केवल उपलब्ध सेक्रेटेरियट सदस्यों की नियमित बैठकें करके दूर नहीं किया जा सकता। इस तरह काम करने का असली परिणाम यह हुआ है कि न तो सीटू केंद्र ट्रेड यूनियन शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम तैयार कर सका है, और न ही प्राथमिकता के आधार पर सीटू का इतिहास प्रकाशित किया जा सका है, जबकि सेक्रेटेरियट में इस पर कई बार बात हुई। सीटू की गतिविधियों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, हिन्दी-भाषी क्षेत्रों को ज्यादा ध्यान देने का काम भी विशेष आगे नहीं बढ़ा। सेक्रेटेरियट के कई सदस्यों पर, जो दिल्ली से बाहर रहते हैं, कोई अखिल भारतीय जिम्मेदारी नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप तीन महीने में पूरे सेक्रेटेरियट की एक बैठक में भाग लेने को छोड़ कर, वे सीटू केंद्र से वास्तव में कटे रहते हैं। संगठनात्मक रिपोर्ट ने सीटू केंद्र को आदेश दिया था कि वह उन राज्यों पर ध्यान दे जहाँ आन्दोलन के आगे बढ़ने की संभावनाएँ हैं। लेकिन सीटू केंद्र, भुवनेश्वर रिपोर्ट के आदेश के अनुसार उन राज्यों में सीटू के संगठनात्मक आधार को मजबूत नहीं कर सका। विभिन्न राज्यों का दौरा करने वाले केंद्रीय नेताओं ने भी, उन राज्यों में संगठनात्मक रिपोर्ट के कार्यान्वय को सुनिश्चित करने पर समुचित ध्यान नहीं दिया। नतीजा यह कि वर्तमान संगठनात्मक कमजोरियाँ वहीं की वहीं हैं और उन में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं हुआ। संगठन पर जो भी वाद-विवाद हो रहा है, वह उथला है और समस्याओं की तह तक नहीं जा रहा। हमें राज्य और जिला कमेटियों के काम में जो कमियाँ हैं, उनका भी रिव्यू करना चाहिये, ताकि संगठनात्मक रिपोर्ट के दिशानिर्देशों की रोशनी में, उनके काम में सुधार लाया जा सके।

22.3 नेतृत्व का एक भाग रिपोर्ट में निर्धारित कार्यों को अम्ल में लाने में रुकावट ला रहा है, जिसके फलस्वरूप नौकरशाही प्रवृत्तियाँ और काम करने का व्यक्तिवादी स्टॉइल पहले की तरह ही चल रहे हैं। बहुत-सी यूनियनों में पुराने लोग ही अभी भी नेतृत्वकारी पदों पर बने हुए हैं जिससे नये नेतृत्व को विकसित होने का अवसर नहीं मिलता। सभी स्तरों पर विभिन्न कॉमरेडों को काम का आबंटन और फिर उनके काम का चैकअप भी ठीक तरीके से नहीं किया जाता और उसमें विभिन्न स्तरों पर समन्वय का अभाव रहता है। हमारे कई नेतृत्वकारी कॉमरेडों पर काम करने के पुराने स्टॉइल और गैर-वर्गीय आदतों का प्रभाव है, जिस कारण संगठन का समुचित विकास नहीं हो पाता। इन सब कमियों का नतीजा यह हुआ है कि क्षेत्र, राज्य और पूरे देश के स्तर पर नये नेतृत्व का समुचित विकास नहीं हुआ।

22.4 अब तक हमने कई फेडरेशन बनाए हैं जिनकी लिस्ट संगठनात्मक रिपोर्ट में दी गई है। बहरहाल, हम अभी तक उनके काम का रिव्यू नहीं कर पाए हैं, न ही धारात्मक कदम उठा पाए हैं जिससे उद्योग की समस्याओं पर मजदूरों में एकता कायम हो पाती। हमारी संगठित शक्ति उद्योग में लगी कुल जनसंख्या का एक छोटा-सा भाग है जिसके कारण हम प्रभावी ढंग से उद्योग में काम कर रहे मजदूरों की समस्याओं पर गम्भीरता से विचार नहीं कर पाते। हमें इन फैडरेशन को, जो केवल कागज पर विद्यमान हैं और जिनकी कोई नियमित गतिविधि नहीं है, सक्रिय करना चाहिये।

22.5 हमारी अधिकांश यूनियनों में जनवादी कार्यप्रणाली गम्भीरता से लागू करने की जरूरत है। जिन कामरेडों को फैक्ट्री में काम करने का अनुभव है, उन्हें यूनियन संगठनों में जिम्मेदारी के पद सँभालने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिये। क्योंकि जनवादी कार्यप्रणाली का महत्व आम मजदूरों की चेतना में ही नहीं है, अत: उन्हें इस की जरूरत भी महसूस नहीं होती। इसलिए यह नेतृत्व का कर्तव्य है कि ट्रेड यूनियनों में जनवादी कार्यप्रणाली के महत्व को और उस में मजदूर की भूमिका को, मजदूरों की चेतना का हिस्सा बनाए।

22.6 हमारी संगठनात्मक कमजोरियाँ, पूरे देश में सीटू की ताकत को बढ़ाने में गम्भीर बाधा बन रही हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे आंदोलन का असर पूरे देश में अनुभव हो, इसलिए हमें हिन्दी-भाषी क्षेत्रों और उन राज्यों को प्राथमिकता देनी चाहिये जहां उद्योगों और मजदूरों की संख्या अधिक है।

22.7 नेताओं के बूढ़े होते जाने के कारण इस प्रश्न का महत्व और भी बढ़ जाता है। हमें संगठन की नेतृत्वकारी समितियों में युवा नेताओं को शामिल करने की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिये।

23. कामकाजी महिलाएँ

23.1 हम बार-बार कामकाजी महिलाओं में अपनी गतिविधियाँ बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देते रहे हैं, लेकिन इस मोर्चे की उपेक्षा करने की पुरानी आदत अभी भी बनी हुई है। समय-समय पर कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक करने के बावजूद, यह काम अभी भी अधूरा है और हमारी ट्रेड यूनियनें कामकाजी महिलाओं की समस्याओं को अपने आन्दोलन की समस्याओं में से एक महत्वपूर्ण समस्या नहीं समझती। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और बीड़ी उद्योग में काम कर रही महिलाओं के बीच हमारी गतिविधियों में कुछ प्रगति तो हुई है, लेकिन कुल मिलाकर हम ज्यादा कामकाजी महिलाओं

को संगठित करने में सफल नहीं हुए हैं। कामकाजी महिलाओं में सीटू की सदस्य-संख्या लगभग तीन लाख है जो मुख्यत: बागानों, बीड़ी उद्योग, निर्माण उद्योग और अन्य असंगठित उद्योगों में है। एक और गम्भीर कमी यह है कि हमने ऐसी सक्रिय महिला कार्यकर्ताओं और महिला-नेताओं का विकास नहीं किया है जो ट्रेड यूनियन आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें। यदि हम अपनी गतिविधियों में भी महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो हमें महिला कॉडरों की शिक्षा की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये।

23.2 पिछले कुछ समय में भारत में घरेलू श्रमिकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और अनुमान है कि यह संख्या 30 लाख है। इन महिलाओं को बिचौलियों द्वारा सबसे अधिक शोषण का सामना करना पड़ रहा है, और इनके मालिक यह कहकर कि वे तो स्वयं-नियोजित (सेल्फ-एम्प्लॉइड) हैं, इन्हें ट्रेड यूनियन बनाने की भी इजाजत नहीं देते। घरेलू वर्करों पर आई एल ओ समझौता इन महिला वर्करों की अधिकारों की लड़ाई में एक अच्छा हथियार साबित होगा। सीटू को इन महिला श्रमिकों की यूनियनें बनानी चाहिये ताकि वे अपनी काम करने और रहन-सहन की दशाओं में सुधार के लिए लड़ सकें।

23.3 कामकाजी महिलाओं का अखिल भारतीय सम्मेलन कोचीन में 20 अप्रैल, 1997 को होगा, अर्थात् सीटू सम्मेलन से एक दिन पहले। लेकिन हमें यह नहीं सोचना चाहिये कि कामकाजी महिलाओं का सवाल केवल उन्हीं तक सीमित है। सभी ट्रेड यूनियनों की चेतना में यह बात लाने की जरूरत है कि उन्हें कामकाजी महिलाओं के बीच अपनी गतिविधियों का विकास करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। जब तक यह काम पूरा नहीं होता, समन्वय समिति भी प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकती।

24. बाल श्रम

24.1 सब जानते हैं कि भारत में बाल श्रमिकों की संख्या विश्व में सब से ज्यादा है। अनुमान है कि यह संख्या 2 से 5 लाख के बीच में है। जब तक मेहनतकश जनता में भयंकर गरीबी की समस्या विद्यमान है, बाल श्रम की समस्या का कोई प्रभावी हल नहीं निकल सकता। बाल श्रम उस पूंजीवादी श्रम व्यवस्था का एक भाग है जिसमें बच्चों को श्रम के एक सस्ते स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वे विकसित पूंजीवादी देश भी, जो भारत में बाल श्रम के बारे में बढ़-चढ़ कर बातें करते हैं, अपने देशों में बच्चों से काम करवाते हैं। अमरीका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस आदि देशों में भी बाल श्रम की प्रथा है। सीटू ने बालश्रम पर आई एल ओ, का एक प्रोजेक्ट लिया है, जो लगभग पूरा होने बाला है। नौ राज्यों और 14 उद्योगों में यह प्रोग्राम आई एल ओ के सहयोग से चल रहा था, किन्तु इसका मुख्य निशाना जागरूकता पैदा करना है। इस सम्मेलन में हमें गम्भीरता से यह विचार करना है कि हम कैसे दीर्घकाल में बाल-श्रम प्रथा के उन्मेलन के लिए संघर्ष चला सकते हैं। लेकिन जब तक यह घिनौनी प्रथा समाप्त नहीं हो जाती, हमें बाल-श्रमिकों की स्थिति और उनकी काम करने की दशाएँ सुधारने के लिए भी संघर्ष चलाने होंगे। यहां तक कि हमें बच्चों के पार्ट-टाइम काम करने की संभावनाओं पर भी विचार करना होगा ताकि वे खाली समय में अपनी पढ़ाई कर सकें।

24.2 बाल रम की समस्या कामकाजी महिलाओं के प्रश्न के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि अधिकांश बालश्रम असंगठित क्षेत्र में है, अत: इस प्रश्न को हमें असंगठित क्षेत्र के वर्करों के बीच अपने काम के साथ जोड़ कर देखना होगा।

25. असंगठित क्षेत्र में हमारा काम

25.1 सीटू असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में काम करने पर विशेष जोर देती रही है क्योंकि ये कुल श्रमशक्ति का 92 प्रतिशत है, इनकी मजदूरी-दर बहुत ही निम्न है और इनकी काम करने की दशाएँ चौंकाने वाली हैं।

25.2 कुछ समय से सीटू की राज्य कमेटियाँ असंगठित क्षेत्र के उद्योगों में काम करने में रूचि ले रही हैं और इनमें हमारी सदस्य संख्या कुछ बढ़ी है। लेकिन इस क्षेत्र में कुल श्रमशक्ति के आकार की तुलना में यह सागर में एक बूँद के समान है। इस सम्मेलन में हमें श्रमिकों के इस वर्ग में अपना आधार बढ़ाने का निर्णय लेना चाहिये ताकि हम इस वर्ग की स्थिति को सुधारने के लिए आन्दोलन चला सकें। इस क्षेत्र में श्रम-कानूनों को लागू करने का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह तभी किया जा सकता है जब इन श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा ट्रेड यूनियन आंदोलन में शामिल हो।

25.3 अखिल भारतीय समन्वय समिति नियमित रूप से मिल रही है, लेकिन जब तक राज्य कमेटियों द्वारा राज्यों के स्तर पर गतिविधियाँ नहीं होतीं, काम आगे नहीं बढ़ सकता। आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार तथा देहली में राज्य समन्वय समितियाँ नियमित रूप से काम करती रही हैं, जबकि पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र में इनके काम में कमियाँ रही हैं। अन्य राज्यों में, इस क्षेत्र में गतिविधियाँ बढ़ाने के लिए कमेटियों का गठन अभी होना है। असंगठित श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं पर राज्यव्यापी संघर्ष चलाना बहुत ही जरूरी है।

25.4 सीटू सेक्रेटेरियट को इस क्षेत्र को ज्यादा ध्यान देना चाहिये ताकि आने वाले समय में हम अपनी प्राथमिकताओं का ठीक से निर्धारण कर सकें।

26. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों की समस्याएँ

26.1 यह हम पहले ही देख चुके हैं कि अनुसूचित जाति व जनजाति के श्रमिकों का सामाजिक दमन उन्हें आम ट्रेड यूनियन आंदोलन से दूर कर रहा है। हाल ही में, सरकारी सेवाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए, देश भर में अनुसूचित जाति व जनजाति के श्रमिकों की अनेक ट्रेड यूनियनों का गठन हुआ और ये यूनियनें आजकल काफी आग्रही हो गई हैं अर्थात् काफी जोर

से अपना दावा पेश करती हैं। कई जगहों पर, यूनियन चुनावों में उन्होंने एक ब्लॉक की तरह से वोट दिया और ऐसे (एस सी/एस टी) वर्गों को समर्थन दिया। आमतौर पर ये श्रमिक ऐसे अवसरवादी नेताओं के प्रतिगामी प्रचार के बहकावे में आ जाते हैं, जो मजदूर वर्ग के आन्दोलन की मुख्य धारा से इनको अलग रखते हैं।

26.2 हालॉकि हम इस मुद्दे पर बार-बार बात करते रहे हैं, लेकिन इस श्रेणी के श्रमिकों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से नहीं ले पाए हैं। कुछ चुनावों में, गैर-अनुसूचित जाति व जनजाति के वर्कर एस सी/एस टी नेता के लिये वोट नहीं करना चाहते। इस कारण भी इस श्रेणी के लोगों की अलगाव की भावना को बल मिला है। हमने इस बात की ओर भी ध्यान नहीं दिया कि अपनी यूनियनों की वर्किंग कमेटी में या अन्य नेतृत्वकारी समितियों में एस सी/एस टी वर्करों को शामिल करें और आगे बढ़ाएँ। यह भी कुछ हद तक उनके अलगाव के लिए जिम्मेदार रहा है।

26.3 हालॉकि श्रमिकों का यह वर्ग सबसे अधिक शोषित है और इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, हमने उनकी समस्याओं को प्राथमिकता नहीं दी और उनका दिल जीतने की कोशिश नहीं की। हमारी यूनियनों को इस काम को प्राथमिकता देनी चाहिये ताकि ज्यादा से ज्यादा एस सी/एस टी वर्कर हमारी यूनियनों में शामिल हों और जिम्मेदार पदों पर आएँ। क्योंकि ऐसे अधिकांश वर्कर शिक्षा की कमी के कारण उद्योग के निचले स्तरों पर काम कर रहे हैं, उनमें कुशल व अकुशल कारीगरों के प्रति विद्वेष की भावना पनप गई है। इस मामले को भी हमारी यूनियनों को ठीक से सँभालना चाहिये ताकि इन वर्करों को दूसरे वर्करों के बराबर अधिकार दिए जाएँ। श्रमिकों के इस वर्ग का दिल जीत कर उन्हें अपने पक्ष में किए बिना, हम आने वाले समय में अपने जनाधार को मजबूत नहीं कर सकते। अतीत में हमने इस काम की जितनी उपेक्षा की है, हमें शीघ्र ही उसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी जिससे हम अपने संगठन व संघर्षों में हम इन श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित कर सकें।

26.4 अल्पसंख्यक श्रमिकों की समस्याओं को हाथ में लेने और उन्हें यूनियन की गतिविधियों में शामिल करने का मुद्दा भी मजदूर वर्ग की एकता पर बुरा असर डाल रहा है।

26.5 बहुसंख्यक समुदाय के कट्टरपंथी जो फूटपरस्त अभियान चलाते हैं, उस की पृष्ठभूमि में अल्पसंख्यक कट्टरपंथी श्रमिकों के इन वर्गों को मजदूर-वर्ग के आंदोलन से दूर रखने की बार-बार कोशिश कर रहे हैं। इन कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ हमें प्रभावी ढंग से अभियान चलाना चाहिये और हमें इन वर्करों की समस्याओं को प्राथमिकता देकर हाथ में लेना चाहिये। हमें इनसे नजदीकी सम्पर्क रखना चाहिये और संगठन में इन्हें लाने का विशेष प्रयास करना चाहिये ताकि हम इन वर्गों का दिल जीत सकें।

27. सदस्यता की जाँच पर विवाद

27.1 साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, सीटू ने 1980 की जाँच प्रक्रिया का बॉयकॉट किया था जिसके कारण भारत सरकार ने सीटू को विभिन्न त्रिपक्षीय कमेटियों में शामिल नहीं किया था और कुछ में उसे नाम-मात्र का प्रतिनिधित्व दिया था। बहरहाल, जब हमने खुद कुछ कमेटियों को बॉयकॉट करने का निर्णय लिया, तो मजबूरन सरकार को हमें उससे अधिक प्रतिनिधित्व देना पड़ा जितना 1980 की जाँच में दिखाया गया था। बाद में भारत सरकार ने जाँच प्रक्रिया को रिव्यू करने का निर्णय लिया और एक ऐसी प्रक्रिया बनाई गई जिस पर सहमति थी। अत: हमने 1989 की जाँच में भाग लिया। बहरहाल, 1996 में आरम्भिक और 1997 में अन्तिम परिणाम घोषित किए गए। इस जाँच में सीटू तीसरे स्थान पर रही। बहरहाल, कुछ ट्रेड यूनियनों ने 1989 को जाँच के परिणामों पर ऐतराज किया, जिसके फलस्वरूप सरकार आज भी 1980 की जाँच के आधार पर त्रिपक्षीय कमेटियों में लोगों को नामजद कर रही है। 1996 में सरकार ने सीटू को आई एल ओ डेलीगेशन में शामिल किया, लेकिन क्योंकि यह सन्देश सेशन के बिल्कुल अन्त में मिला, इसलिए हमने डेलीगेशन में न जाने का फैसला किया। अब प्रस्ताव यह है कि 1995 की सदस्यता की नये सिरे से जाँच की जाए। जाँच करने पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन प्रश्न यह है कि जब तक जाँच के परिणाम घोषित नहीं किए जाते, विभिन्न यूनियनों की स्थिति क्या होगी? जो 1989 की जाँच पर ऐतराज करते हैं, उन्होंने 1980 की जाँच को स्वीकार कर लिया है। सीटू अभी भी 1980 की जाँच लागू होने की स्थिति स्वीकार नहीं कर सकती है। सीटू ने पूरी जाँच प्रक्रिया पर ही ऐतराज किया है क्योंकि यह बहुत दोषपूर्ण है। कुछ यूनियनों में जाँच के परिणामों पर सरकार और जाँच अधिकारियों द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप का असर पड़ा है। हमें यूनियनों की ऐसी कई शिकायतें मालूम हैं कि जाँच अधिकारी यूनियनों के पक्ष में जाँच परिणाम देने के लिए उनसे कुछ उपहार माँग रहे हैं। कुछ अन्य संगठनों ने भी ऐसी ही शिकायतें की हैं। इसलिए जाँच प्रक्रिया में सुधार करने की जरूरत है ताकि अधिकारियों द्वारा ट्रेड यूनियनों की असली ताकत का सही अन्दाजा लगाया जा सके, और उसी के आधार पर उन्हें विभिन्न त्रिपक्षीय कमेटियों और आई एल ओ डेलीगेशन में प्रतिनिधित्व दिया जा सके।

27.2 कुछ ट्रेड यूनियनों में कृषि मजदूरों की सदस्यता को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाने की प्रवृत्ति पैदा हो गई है क्योंकि अधिकारी इस सदस्यता की सही जाँच नहीं कर सकते। कृषि मजदूरों में सी आई टी यू की कोई यूनियन नहीं है क्योंकि इस क्षेत्र मे अलग से काम कर रही है। इसी बीच एन टी यू सी ने दिल्ली हाई कोर्ठ में एक दावे के माध्यम से 1989 की यूनियनों की सदस्यता की जाँच को चुनौती दी है और सी आइ टी यू को इसमें पार्टी बनाया गया है। वकीलों सलाह के अनुसार इस मामले में उचित कदम उठाने होंगे।

28. बी टी रणदिवे मैमोरियल फंड

28.1 इस रिपोर्ट के परिशिष्ट में विभिन्न राज्यों में बी टी आर मैमोरियल फंड के लिए एकत्रित चन्दे का ब्यौरा दिया गया है। विभिन्न सभाओं, जनरल कौंसिल तथा वर्किंग कमेटी में बार-बार चर्चाओं के बावजूद,

हम आज तक अपने संस्थापक अध्यक्ष तथा शिक्षक कामरेड बी टी रणदिवे के लिए एक उपयुक्त यादगार का निर्माण करने के लिए पर्याप्त धन एकत्रित करने में सफल नहीं हो पाए हैं। विभिन्न राज्यों के लिए चन्दे के लक्ष्य तय किए गए हैं और राज्य कमेटियों ने इन लक्ष्यों को शीघ्र पूरा करने के वायदे भी किए हैं, परन्तु प्रगति को सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता। परिशिष्ट से स्पष्ट हो जाता है कि इस चन्दे में अब तक पश्चिम बंगाल का योगदान सब से अधिक है और यह भी कि कई राज्य कमेटियों ने इस काम को मुस्तैदी से नहीं किया है।

28.2 बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करने के बाद हमने अन्ततः जमीन का कब्जा ले लिया है तथा स्मारक का नक्शा बनाने के लिए एक वास्तुकार नियुक्त कर दिया है। स्मारक का मॉडल इस सम्मेलन में सभी के देखने के लिए रखा गया है। जब तक स्मारक का निर्माण करने के लिए आवश्यक धन इकट्ठा नहीं हो जाता, निर्माण कार्य शुरू करना सम्भव नहीं है।

28.3 दिल्ली प्रशासन से भवन के नक्शे की मंजूरी मिलते ही हम निर्माण कार्य आरम्भ करना चाहते हैं। इस लिए चन्दा अभियान युद्ध स्तर पर शुरू किया जाना चाहिये। इस लिए मैं सभी डेलीगेटों, सम्बद्ध यूनियनों, जिला और राज्य कमेटियों से अनुरोध करता हूँ कि वे इस काम को गम्भीरता से लें। इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी उद्योगों की फेडरेशनों को अपना जोर लगाना चाहिये। मैं इस अवसर पर सभी मित्र यूनियनों और फेडरेशनों से अपील करता हूँ कि वे इस महानकार्य में उदारता के साथ योगदान दें क्योंकि कॉमरेड बी टी आर का उन सभी से घनिष्ट सम्बन्ध था। कामरेड बी टी आर का अगला जन्मदिन 19-12-97 को होगा। इसलिए सभी चन्दा अभियान उस तारीख से पहले ही पूरे हो जाने चाहियँ ताकि हम इस दिवस को, बी टी आर मैमोरियल फंड के चन्दा एकत्रण लक्ष्यों की पूर्ति पर, गर्व के साथ मना सकें।

28.4 बी टी आर स्मारक एक ऐसा केंद्र होगा जो हमारी गतिविधियों को मजबूत करेगा और एक उपयुक्त पुस्तकालय, अनुसंधान केंद्र तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्र का संगठन करने में मदद करेगा।

29. मजदूर-किसान गठबन्धन

29.1 सीटू अपनी स्थापना के समय से ही, सीटू मजदूर-किसान गठबंधन का निर्माण करने और उसे मजबूत करने पर जोर देती रही है। हर सम्मेलन में इस बात को दोहराया जाता है, परन्तु मजदूरों और किसानों के इकट्ठा होने के कुछ छुटपुट उदाहरणों को छोड़ कर, हम साझे दुश्मन के विरुद्ध संघर्ष में मजदूर-किसान एकता का निर्माण करने और उसे मजबूत करने में असफल रहे हैं। जन संगठनों का राष्ट्रीय प्लेटफार्म (एन पी एम ओ) सीटू को अखिल भारतीय किसान सभा (ए आई के एस) अखिल भारतीय कृषि श्रमिक यूनियन (ए आई ए डब्ल्यू यू) तथा अन्य किसान संगठनों से जोड़ना है और हम इस प्लेटफार्म के कार्यक्रमों को पूरा सहयोग दे रहे हैं। हम नियमित रूप से एक दूसरे के सम्मेलनों में शामिल होते रहे हैं तथा एक दूसरे के समर्थन में प्रस्ताव पारित करते रहे हैं। परन्तु वास्तव में, हम अभी तक किसान मजदूर एता स्थापित करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए हैं। वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति में, गाँवों में वास्तविक भू-सुधार लागू किए बिना तथा सामन्तवादी संबंधों को नश्ट किए बिना, देश में आद्योगिक विकास आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक ट्रेड यूनियनें बुनियाी भू-सुधार लागू करने और फालतू जमीन को भूमिहीन लोगों में बाँटने के संघर्षों में सक्रिय हिस्सा नहीं लेती, और किसानों व कृषि मजदूरों के साथ एकजुटता नहीं दिखाती, तब तक कोई अर्थपूर्ण किसान मजदूर गठबंधन स्थापित नहीं हो सकता।

29.2 जब तक हम देश में सामन्तवाद की बीमारी के खिलाफ किसानों के संघर्षों में मजदूर वर्ग की एकजुटता स्थापित नहीं कर पाते, तब तक सीटू आज की राजनीतिक परिस्थिति में एक नेतृत्वकारी भूमिका अदा नहीं कर सकती। अतः हमें इस दिशा में कुछ कदम उठाने चाहिएँ ताकि ट्रेड यूनियन आंदोलन के इस उपेक्षित कार्य में हम कुछ प्रगति कर पाएँ।

30. वैकल्पिक नीतियों के लिए संघर्ष

30. वर्तमान परिस्थिति में जबकि पूंजीपतियों के दलालों तथा संचार-माध्यमों द्वारा एक जबरदस्त प्रचार किया जा रहा है कि "भूमंडलीयकरण तथा उदारीकरण का कोई विकल्प नहीं है," तो ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह वैकल्पिक नीतियाँ पेश करें और मजदूर वर्ग के आंदोलन के माध्यम से उन्हें लागू करने के लिए देशव्यापी संघर्ष करे ताकि मजदूर-वर्ग को भ्रमित करने के लिए किए जाने वाले पूंजीवादी प्रेस के झूठे प्रचार का भंडाफोड़ कर सके।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अनियंत्रित प्रवेश के विकल्प के तौर पर, हमने आत्मनिर्भर विकास का मार्ग सुझाया है और यह मांग की है कि देश के आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय साधनों का पूर्ण उपयोग किया जाए। भारत सरकार अनुसंधान तथा विकास पर सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.8 प्रतिशत खर्च करती है जबकि विदेशों से तकनॉलोजी का आयात बहुत ऊँची लागत पर किया जा रहा है। हमने साधन-एकत्रीकरण के कई वैकल्पिक तरीके सुझाए हैं, जैसे काले धन को जब्त करना; कर चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना, राष्ट्रीयकृत बैंकों, द्वारा निगम क्षेत्र को दिए गए 30,000 करोड़ रुपये के ऋण की जो निगम क्षेत्र ने वापिस नहीं किया, वसूली करा; अन्डर-इनवॉयसिंग व ओवर-इनवॉयसिंग को राकना; बड़े औद्योगिक घरानों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, जमींदारों और ग्रामीण धनी वर्ग पर ऊंचे कर लगाना, आदि। ये अंदरूनी साधन देश के बहुमुखी विकास के लिए, अधिक रोजगार उत्पन्न करने तथा विदेशी साधनों पर देश की अति-निर्भरता को कम करने में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हमें बुनियादी भूमि सुधारों के लिए संघर्ष करना है जो पूरी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के अलावा, ग्रामीण क्षेत्र में अधिक रोजगार उत्पन्न करने के लिए विशाल साधन उपलब्ध करा सकते हैं। इस प्रकार, हमें 1990 में हुए दुर्गापुर कन्वेंशन

के 'रोजगार के अधिकार' के प्रस्ताव को आगे बढ़ाना है। देश के समस्त गरीब लोगों के हितों की रक्षा करने के लए, आवश्यक वस्तुओं की विशाल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अभिचान करना है। भ्रष्ट लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा उनकी सम्पत्तियों को जब्त बरने के माध्यम से भी अर्थव्यवस्था में अध:संरचना के निर्माण के लिए विशाल साधन प्राप्त किए जा सकते हैं। उपरोक्त तथा दूसरे ऐसे उपायों का मजदूरों और दूसरे लोगों में अच्छी तरह प्रचार किया जाना चाहिए ताकि हमारे रोजमर्रा के संघर्ष, वैकल्पिक आर्थिक नीति के लिए उस संघर्ष से अच्छी तरह जुड़ जाएँ जो अर्थव्यवस्था को और अधिक पतन से बचाने के लिए जरूरी है।

30.2 हालांकि जनसंगठनों के राष्ट्रीय प्लेटफार्म से हमने वैकल्पिक आर्थिक नीतियों के रूप में बहुत से सुझाव पेश किए हैं, लेकिन इस अभियान को बहुत अधिक तीव्र करने की जरूरत है ताकि लोगों को वैकल्पिक नीतियों के लिए संघर्ष करने की जरूरत के बारे में जागरूक किया जा सके। इससे संघर्षशील जनता में यह विश्वास उत्पन्न होगा कि वर्तमान आर्थिक नीतियों को परास्त किया जा सकता है और वैकल्पिक नीतियों लागू कर के, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आर्थिक नुस्खे के कारण उत्पन्न होने वाले ऋणजाल में देश को फंसने से बचाया जा सकता है।

30.3 आने वाले समय में सीटू की सभी यूनियनों और सक्रिय कार्यकर्ताओं को वैकल्पिक नीतियों के लिए संघर्ष पर जदा जोर देना चाहिए, ताकि ट्रेड यूनियन संघर्ष को ऊँचे स्तर पर ले जाया जा सके।

31. हमारे भावी कार्य

31.1 साथियो, जाहिर है कि यह सम्मेलन पिछले तीन वर्षों की घटनाओं की समीक्षा करेगा और हमारे सामने जो जरूरी काम हैं, उन्हें करने के लिए दिशा निर्देश देगा। इस सम्मेलन के बाद का समय हम सभी के लिए गहन बहुमुखी गतिविधियों का समय होगा ताकि भूमंडलीकरण तथा उदारीकरण की चुनौतियों का सामना करने में हम सक्षम हो सकें। विभिन्न राज्यों व क्षेत्रों में काम करने वाले डेलीगेटों के बहुमूल्य अनुभवों से हमें इस रिपोर्ट पर बहस करने में ओर उन कामों को रेखांकित करने में मदद मिलेगी जिन्हें हमें आने वाले समय में करना है।

31.2 सम्मेलन का समापन इस संकल्प के साथ होना चाहिए कि हम उन सभी फैसलों को लागू करेंगे जो इस सम्मेलन में किए जाएंगे। हमारे देश के मजदूर वर्ग को इस सम्मेलन से बहुत आशाएं हैं और हमें उनकी आकाक्षाएं पूरी करने के लिए भरसक प्रयास करना होगा।

31.3 कामरेड बी टी रणदिवे का निधन आठ वर्ष पहले हुआ था, किन्तु उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे मन में ताजा है। इस सम्मेलन के महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों को लागू करने में, हमें कामरेड बी टी आर की शिक्षाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। इन आवश्यक कार्यों को मैं आपके सामने रख रहा हूं ताकि बहस के दौरान आप उन पर अपने विचार व्यक्त कर सकें।

31.3.1 भूमंडलीकरण और उदारीकरण के खिलाफ संघर्षों को मजबूत करो। भरत सरकार को नई आर्थिक नीतियों को उलटाने पर मजबूर करने के लिए, हमें इन नीतियों के खिलाफ संधर्षों को बहुत तेज करने की जरूरत है। काफी व्यापक संयुक्त तथा जुझारू ऐवन्शनों के बिना, सरकार आसानी से वर्तमान नीतियों को छोड़ने वाली नहीं है। सरकार के ऊपर विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दबाव हमारे संघर्ष के दबाव से कहीं अधिक है। हमें अपने संघर्षों के दबाव को इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के दबाव से अधिक शक्तिशाली बनाना होगा क्योंकि इसी दबाव के फलस्वरूप इन नीतियों में परिवर्तन होगा। इन राष्ट्रविरोधी नीतियों के खिलाफ एक शक्तिशाली तथा व्यापक आंदोलन खड़ा करना ही हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए। इन नीतियों से देश की प्रभुसत्ता को जो खतरा है, उसके खिलाफ लड़ाई में हमें मजदूर वर्ग तथा अन्य मेहनतकश जनता की देशभक्ति की भावना को उभारना चाहिए।

31.3.2 मजदूर वर्ग की राष्ट्रीय एकता को मजबूत करो। विभिन्न यूनियनों से सम्बद्ध मजदूरों को एक साझे प्लेटफार्म पर लाए बिना, वर्तमान संघर्षों को गुणात्मक रूप से मजबूत नहीं किया जा सकता। इस उद्देश्य से, सीटू दूसरी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ लगातार बातचीत करती रही है और इसके साथ ही उनके साथ जुड़े आम मजदूरों में जोरदार अभियान चलाती रही है। जितनी जल्दी संभव हो, यक एकता स्थापित की जानी चाहिए। इसी से हमारे संघर्ष मजबूत होंगे और उनका स्तर भी ऊंचा उठेगा।

31.3.3 अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को मजबूत करो। इसमें कोइ शक नहीं कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूर वर्ग के आंदोलनों की एकजुटता बढ़ रही है, लेकिन इन आंदोलनों पर बढ़ते हुए हमलों को देखते हुए, इस एकजुटता को और मजबूत करने की जरूरत है। सीटू को मजदूर वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने पर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि इसी एकता के बलबूते पर मजदूर वर्ग के संयुक्त आंदोलन विश्व स्तर पर पूंजीवाद की चुनौती का सामना करने में समर्थन हो सकते हैं।

31.3.4 इस वर्ष को गहन ट्रेड यूनियन व राजनीतिक शिक्षा के वर्ष के रूप में मनाओ। हमने अपने कॉडरों व कार्यकर्ताओं की राजनीतिक तथा टे0ड यूनियन शिक्षा की उपेक्षा की है जिससे हमारे आंदोलन पर बुरा असर पड़ा है और इस का गुणात्मक विकास नहीं हुआ है। इस दृष्टि से हमें 30 मई (जो सीटू का स्थापना दिवस है) से लेकर एक वर्ष की अवधि को एक गहन ट्रेड यूनियन व राजनैतिक शिक्षा के वर्ष के रूप में मनाना चाहिए। इस अवधि में हम सभी स्तरों पर अपने कॉडरों व साधारण कार्यकर्ताओं की शिक्षा के लिए ट्रेनिंग कार्यकर्ताआं, सेमिनारों व क्लासों का आयोजन कर सकते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, सीटू केंद्र को ऐसे सरल साहित्य का उत्पादन करना चाहिए जो आम

कार्यकर्ता की समझ में आ सके। हमारा वर्तमान साहित्य मुख्यत: नेतृत्वकारी कॉडरों को ध्यान में रखकर लिखा गया है। साधारण कॉडरों व आम कार्यकर्ताओं के मतलब के साहित्य के उत्पादन को ठीक तरह से आयोजित करने की जरूरत है ताकि हम सारे देश में अपने कार्यकर्ताओं की शिक्षा के प्रोग्राम को निर्धारित समय में प्रभावी ढंग से पूरा कर सकें।

31.3.5 संगठन पर रिपोर्ट को लागू करना सुनिश्चित करो। संगठनात्मक रिपोर्ट को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाना चाहिए। अपने संगठन को कारगर बनाने तथा उस जनवादी कार्यसंचालन को सुनिश्चित करने के लिए हमें सभी स्तरों पर संगठनात्मक दस्तावेजों में वर्णित कार्यों की समीक्षा के लिए, एक पूरा अभियान चलाना चाहिए और उन्हें जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिए।

हमें नीचे के स्तर पर काम कर रहे कॉडरों को उच्च पद देने चाहिएँ। यह काम इस वर्ष आयोजित किए जाने वाले गहन शिक्षा के प्रोग्राम के साथ-साथ किया जा सकता है।

31.3.6 एक मजबूत मजदूर किसान गठबंधन का निर्माण करो। सीटू के नेतृत्व को अपने सभी कॉडरों को राष्ट्रीय, राज्यीय व स्थानीय स्तरों पर किसान मजदूर गठबंधन के निर्माण की जरूरत स्तरों पर किसान मजदूर गठबंधन के निर्माण की जरूरत समझाने में गहरी दिलचस्पी लेनी चाहिए। जब तक मजदूर वर्ग बुनियादी भू-सुधारों तथा भूमि के बंटवारे संबंधी किसानों के संघर्षों के साथ एकजुटता नहीं दिखाता, ऐसे गठबंधन की स्थापना नहीं की जा सकती। हमें अपने सभी कार्यकर्ताओं की चेतना में यह बात लानी चाहिए कि ग्रामीण गरीबों की समस्याएं भी हमारे आंदोलन की ही समस्याएं हैं तथा उनके साथ एकजुटता व्यक्त करके मजदूर वर्ग केवल अपनी ऐतिहासिक भूमिका अदा करता है। सभी कमेटियों को इस क्षेत्र में अपनी गतिविधियों की समीक्षा करनी चाहिए ताकि हम इस उपेक्षित कार्य में कुछ प्रगति कर सके।

31.3.7 महिलाओं तथा असंगठित क्षेत्र में अपनी गतिविधियों बढ़ाओं। पिछले तीन वर्षों के दौरान हमने एस सी/एस टी कर्मचारियों तथा महिला श्रमिकों की ओर ध्यान नहीं दिया है। उनके बारे में कोई ठोस कदम उठाए बिना, हमने केवल खानापूरी वाली बात की है। अत: आने वाले समय में हमारी गतिविधियों में इन वर्गों को, जो कि असंगठित क्षेत्र के मुख्य भाग हैं, उचित प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इन वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, राज्य स्तर के आंदोलनों में इन्हें शामिल करने पर जोर दिया जाना चाहिए।

31.3.8 अगले तीन वर्षों में सीटू की सदस्य संख्या बढ़ा कर 40 लाख करो। हमारे सभी अभियानों का निशाना सीटू की सदस्यता को बढ़ाना होना चाहिए। हमने 30 लाख सदस्यता का लक्ष्य, तो प्राप्त कर लिया है, परन्तु मजदूर वर्ग के आकार को देखें, तो यह बहुत कम है। अत: आने वाले समय में, यदि हम सब एकजुट होकर प्रयास करें, तो सीटू के दसवें सम्मेलन तक 60 लाख सदस्यता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। राज्य कमेटियों द्वारा अपने सम्मेलनों में तय किए गए सदस्यता लक्ष्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि हम सब मिलकर गंभीरता से इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करें, तो हमारी यूनियनें यह काम सफलता-पूर्वक संपन्न कर सकती हैं। हमारी दूसरी गतिविधियों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आने वाले समय में हम सीटू की सदस्यता में कितनी वृद्धि कर पाते हैं।

31.4 मुझे विश्वास है कि आप सबके सक्रिय सहयोग से यह सम्मेलन उन सभी मुद्दों पर विचार विमर्श करेगा जो आज हमारे सामने हैं। आइए, हम सभी अपने बहुमूल्य अनुभवों को इकट्ठा करें। तभी हमारी साझी समझ मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा करने तथा लोगों के जनवादी अधिकारों की लड़ाई में, सही फैसले लेने में एक प्रकाश स्तंभ का काम करेगी। समाजवादी विचारधारा में पूर्ण विश्वास के साथ हम यह निश्चयपूर्वक दावा करते हैं कि हम इस विचारधारा का निष्ठा से अनुसरण करेंगे और ऊपर वर्णित कार्यों के प्रति हम अपने आपकों समर्पित करते हैं ताक हम देश में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के प्रिय लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ सकें।

31.5 अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं, इस सम्मेलन के लिए किए गए अत्युत्तम प्रबंध के लिए, स्वागत समिति तथा सीटू की केरल राज्य कमेटी की हार्दिक सराहना करना चाहूंगा।

भारत के मजदूर वर्ग की एकता जिन्दाबाद।

सी आइ टी यू जिंदाबाद।

दुनिया भर के मजदूरों, एक हो।

एम के पंधे

महासचिव

सदस्यता रिपोर्ट

STATEMENT SHOWING STATEWISE MEMBERSHIP AS PER ANNUAL RETURN RECEIVED

Name of state	Unions Submitting Returns				Position of membership accoridng to annual returns			
	1992	1993	1994	1995	1992	1993	1994	1995
Andaman & Nicobar	6	3	6	5	1454	760(-)	1440(-)	1525 (-)
A.P.	436	475	406	554	125642(10333)	132152(10342)	123680(14890)	148755(14744)
Assam	73	50	75	86	32207(11698)	24535(7139)	37417(10809)	40269(9770)
Bihar	26	17	27	28	30920(3661)	13714(1658)	67374(6646)	82393(8992)
Delhi	47	29	63	51	43716(2026)	30969(1062)	45671(2344)	52039(2220)
Goa	7	6	7	7	3216(90)	970(151)	2864(172)	3529(199)
Gujarat	20	14	17	21	16738(256)	11444(388)	11222(182)	16333(641)
Haryana	39	16	11	30	16825(1048)	4481(510)	4444(868)	20036(3146)
H.P.	31	19	25	21	4726(15)	3684(49)	4920(51)	5903(1922)
J & K	1	1	1	1	504(2)	507(4)	914(8)	602(09)
Karnataka	90	46	71	101	63296(19246)	39957(13135)	54915(17854)	85618(20696)
Kerala	817	833	754	836	608785(138666)	614178(147408)	640553(48300)	730058(163274)
M.P.	60	50	57	61	21631(1262)	22421(1753)	21366(1545)	29452(2817)
Mahrashtra	38	24	34	40	37705(3212)	30897(3087)	37021(4963)	39662(8146)
Nagaland	-	01	-	-	-	1184(-)	—	-
Orissa	28	38	34	26	30916(5493)	27972(4470)	31935(4086)	28461(3883)
Punjab	80	68	72	103	65165(314)	48675(278)	58071(340)	63261(685)
Rajasthan	75	24	63	61	28288(895)	7714(233)	26343(274)	32362(352)
Tamilnadu	310	345	376	424	150314(9966)	169210(12237)	190035(12482)	227176(7817)
Tripura	25	14	21	22	22043(1173)	25798(5962)	27850(5110)	43654(5884)
U.P.	97	40	93	69	32576(314)	10628(79)	23661(233)	24840(162)
W.B.	1037	1042	985	941	1044347(111960)	1149452(96399)	1058435(130823)	1111114(101123)
Toal	3343	3155	3198	3488	2381012(321620)	2371302(306344)	2470131(261980)	2787042(356482)

Total No. of Unions Submitting Annual Returns	Membership as per return
1983 1854	1890993
1984 2005	1575655
1985 1717	1716457 (132536)
1986 2412	1644273 (209348)
1987 2350	1680884 (206482)
1988 2618	1919280 (264507)
1989 3114	2425000 (247388)
1990 2934	2095550 (245060)
1991 2783	2088218 (291228)

Figures is bracket indicates female membership.

बी टी आर मैमोरियल ट्रस्ट पर रिपोर्ट

BTR MEMORIAL TRUST FUND

I am enclosing the details of contributions towards the BTR Trust Fund received till April,1997. From the table below we can see how the State Committee have responded so far:

		Amount Received	Committed Amount
W.B.	-	44,82,615.00	Rs.1 Crore (+)
A.P.	-	39,368.00	15,00,000.00
Assam	-	35,680.00	5,00,000.00
Bihar	-	12,651.00	8,00,000.00
Delhi	-	22,400.00	2,00,000.00
Kerala	-	12,00,000.00	50,00,000.00
M.P.	-	8,242.00	2,00,000.00
Orissa	-	10,119.00	5,00,000.00
Punjab	-	3,16,152.00	10,00,000.00
Rajasthan	-	2,50,615.00	5,00,000.00
Tamilnadu	-	4,62,580.00	13,00,000.00
Tripura	-	5,280.00	5,00,000.00
Karnataka	-	1,51,750.00	7,00,000.00
H.P.	-	2,726.00	2,00,000.00
Haryana	-	6,550.00	2,00,000.00
Maharashtra	-	41,527.00	10,00,000.00
U.P.	-	1,20,000.00	5,00,000.00
Indiviudals/Union		83,921.00	Guj 1,00,000.00 Goa 1,50,000.00
		72,52,176.00	2,48,50,000.00

Contributions received by BTR Fund directly till April '97.

1. Right to Work Convention/Durgapur	-	1,00,000.00
2. CITU Central Funds against collections	-	14,01,000.00
3. W. Bengal State Committee of CITU,Calcutta	-	8,65,000.00
4. Hindustan Steel Emp. Unions (ASP/Durgapur)	-	1,00,000.00
5. United Contractor Workers Union (Durgapur)	-	2,20,000.00
6. Hindustan Steel Employees Union(DSP/Durgaprur)	-	1,00,000.00
7. Alloy Steel plant Contractor's Emp.Un(i)	-	15,000.00
8. All India Avery Employees Federation	-	50,000.00
9. Swaraj Mazda Workers Union (Punjab)	-	5,000.00
10.Lal Jhanda AFCON Mazdoor Union (Punjab)	-	3,000.00
11.W. Bengal State Committee of CITU(Chq & Cash)	-	1,20,000.00
12.G. Janardhana Rao, Hyderabad(AP)	-	200.00
13.Hindusthan Steel Empl Union, Durgapur	-	1,00,000.00
14.Township Contractors Emp.Union, Durgapur	-	22,682.00
15.DYFI Ispatnagar Zone-A LC, Durgapur	-	500.00
16.DYFI Ispatnagar, Zone-B, LC, Durgapur	-	600.00
17.Through W B State Committee,CITU(ASP Durgapur)	-	1,00,000.00
18.Lal Jhanda Punjab Bhatta Mazdoor union	-	15,500.00
19.Ghaziabad Dist Committee of CITU	-	6,900.00
20.Through CITU (TN State Committee, CITU)	-	2,64,890.00
21.Assam State Committee of CITU	-	15,000.00
22.T Mukunda Rao, Hyderabad	-	502.00
23.Suner Marble & Granites Union (Udaipur)	-	5,000.00
24.Assam State Committee of CITU	-	9,000.00
25.Rajasthan State Committee of CITU	-	1,62,615.00
26.Rajasthan SC (Rajasamand)	-	50,000.00
27.WB. SC (ASP/Durgapur)	-	25,000.00
28.WB.SC. of CITU	-	8,00,000.00
29.Karnataka SC of CITU	-	17,750.00
30.CITU Centre (Kerala SC)	-	6,00,000.00
31.CITU Centre (Assam SC)	-	5,000.00
32.Com. Iruthya Raj(BEL)	-	200.00
33.MP Sc.(Indore Dist Com.)	-	1,700.00
34.Com. G. Janardhana Rao (AP)	-	100.00
35.Haryana SC (APL Workers Union)	-	4,550.00
36.Haryana SC (HHenan(Ind Workers)	-	2,000.00
37.CITU Centre (HP SC)	-	2,726.00
38.CITU Centre (Punjab SC)	-	3,600.00
39.T.N. SC of CITU	-	1,50,000.00
40.CITU Centre (total Collections till date)	-	8,76,957.00
41.W.B. State Committee of CITU	-	1,00,000.00
42.Mrs. Vimala Ranadive	-	3,000.00
43.Punjab SC of CITU	-	6,482.00
44.Acc Babcock Emp.U (Durgapur)/WB State Comm.	-	1,00,101.00

45.T.N. S.C. of CITU	-	22,290.00
46.Delhi SC of CITU	-	5,000.00
47.Bihar SC	-	4,000.00
48.WB.SC(Hindustan Steel Empl.)	-	7,000.00
49.CITU (Dewas/MP)	-	250.00
50. Mumbai Sramik Sangh (Maharashtra S/C)	-	40,000.00
51.United Contractor Workers Union(Durgapur)	-	4,620.00
52.Punjab State Committee of CITU	-	31,000.00
53.Dist. Committee.II Punjab	-	2,100.00
54.N.C.O.E.A. (Bokaro) KSP phase II	-	2,350.00
55. Samar Mukherjee/Vice President CITU	-	17,000.00
56.Punjab State Committee of CITU	-	52,430.00
57.CITU Centre (agaist collection up to Dec.'96)	-	36,900.00
58. U.P. State Committee of CITU	-	10,000.00
59. W.B. State Committee of CITU	-	4,00,000.00
60.Karnataka Stte Committee of CITU	-	34,000.00
61.Punjab State Comittee of CITU	-	38,000.00
62.Punjab Dist. State Committee of CITU	-	1,920.00
63.CITU Centre (against collection)	-	10,000.00
64.IEL Employees Union (Kanpur)	-	95,000.00
65.U.P. State Committee of CITU	-	5,000.00
66.CITU/Nagda (MP)	-	1,761.00
		72,52,176.00

Details of FDR & Cash in Bank

1. FDR	-	49,75,000.00
2. In Canara Bank A/c	-	1,67,626.00
		51,42,626.00
3. Withdrawals a/c		21,50,630.00
		72,93,256.00

आयोग के दस्तावेज

तकनीकी विकास तथा श्रमिक वर्ग के ढांचा संगठन में परिवर्तन

वैज्ञानिक तकनीकी क्रांति

वैज्ञानिक तकनीकी क्रांति ने उत्पादन शक्तियों के विकास हेतु नये आयामों के मार्ग खोल दिये हैं तथा श्रमिक वर्ग के ढांचे व संगठनीय प्रक्रिया क्षेत्रों में परिवर्तन का मार्ग खोल दिया है।

उत्पादन प्रणाली में क्रांति का प्रादुर्भाव श्रमशक्ति से हुआ। आधुनिक उद्योग में इसकी शुरुआत श्रम साधनों से हुई। इसके बाद, औद्योगिक प्रक्रिया ने 'उन्हें कई रह के सचेतन व योजनाबद्ध तरीकों द्वारा प्राकृतिक विज्ञान से संबद्ध कर उपायोगी परिणामों की प्राप्ति के लिये व्यावहारिक किया। (का.मा.) श्रम के बाद, विज्ञान वह महत्वपूर्ण अंतिम सामाजिक संपत्ति है जिसे पूंजी अनुबद्ध के उद्देश्य के रूप में बदल दिया जाता है। उत्पादन से संबद्ध सामान्य सामाजिक संपत्ति के रूप में विज्ञान व पूंजीवादी संपत्ति के रूप में विज्ञान के प्रयोग में अंतर पिछली औद्योगिक क्रांति व अब चल रही वैज्ञानिक-तकनीकी क्रांति का अंतर है आधुनिक इतिहास के बीसवीं शताब्दी के दौरान आधुनिक पूंजीवादी उद्योग में विज्ञान के वृहत प्रयोग ने श्रम प्रक्रिया व श्रमिक वर्ग के ढांचे में परिवर्तन को आवश्यक बना दिया है।

मंदी व बेरोजगारी

द्रतगति से चल रही वैज्ञानिक व तकनीकी क्रांति तथा अधिकांश आधुनिक उद्योगों में उनका प्रयोग, बहुराष्ट्रीय निगमों के रूप में ध्रुवीय स्तर पर पूंजी विस्तार के कारण विकसित पूंजीवादी देशों में ही श्रम-परिदृश्य में परिवर्तन नही है अपितु उसका प्रभाव विकासशील देशों, भारत सहित पर भी पड़ा है, दूसरी ओर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विश्वस्तर पर आई मंदी, विशेषतया इस शताब्दी के आठवें दशक में, के कारण पश्चिमी पूंजीवादी देशों ने अर्थशास्त्र के कैन्सियन सिद्धंत का परित्याग करते हुए, सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक निधिकरण ताकि अधिक आर्थिक गतिविधियां हों व रोजगारी बढ़े, सार्वजनिक क्षेत्रों में काट-छांट को बढ़ावा दिया जिसके फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र में भारी कटौती का सामना करना पड़ा। मंदी के फलस्वरूप पश्चिमी जगत व सार्वजनिक क्षेत्रों के उत्पादन में संकुचन की प्रवृति बड़े पैमाने बढ़ी। अत: दोनों ही क्षेत्रों में आई गिरावट ने गंभीर बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न की।

निजीकरण व उत्पादक संस्थानों में पुनर्निधारण तथा प्रभाव

विश्व बैक के आदेशों के तहद भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक व्यय में कमी, सार्वजनिक क्षेत्रों में कटौती तथा निजीकरण की शुरुआत हुई। एक ओर, सार्वजनिक क्षेत्र में निजीकरण के फलस्वरूप बेरोजगारी बढ़ी, पश्चिमी एवं अन्य विकसित पूंजीवादी देशों द्वारा उत्पादन में पुनर्निधारण के फलस्वरूप भारत जैसे तृतीय विश्व के देशों में उच्च तकनीक ने कोई महत्वपूर्ण रोजगारी को बढ़ावा नहीं दिया। ठीक इसके विपरीत, उच्च तकनीकों से लैस विदेशी कंपनियों के साथ प्रतियोगिता के कारण मेजबान देशों की देशी उद्योगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा जिसके कारण बेरोजगारी में और वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्रों में श्रम का थोड़ा विस्तार अवश्य हुआ लेकिन उसमें भी वर्तमान नीति के चलते भारी काट-छांट होगी, यह तय है। सेवा क्षेत्र में लचीली श्रम शर्तें हैं जो अंशकालिक व ठेकेदारी प्रणाली, विशेषतया महिला जगत, को बढ़ावा देती हैं और अंशकालिक श्रम रोजगार विद्यामन के अंतर्गत नहीं है।

सेवा क्षेत्र का विस्तार

विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं तथा भारत जैसे देशों में, सेवा क्षेत्र की प्रधानता बढ़ रही है। मुनाफे में कमी के कारण उत्पादन में गिरावट सेवाओं का विस्तार अधिक मुनाफा कमाने का निवेशों में विकल्प प्रदान करता है। यह जिस तरह पश्चिमी पूंजीवादी देशों में है जापान व भारत में भी ठीक वैसा ही है। उच्च तकनीक सेवा क्षेत्र व भारत के वित्तीय क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन ने उन्हें निवेश करने अधिक मुनाफा कमाने का विकल्प प्रदान किया है।

सेवा क्षेत्र में विस्तार तथा श्रम शक्ति में बढ़ती लचीली प्रक्रिया सेवा शर्तों में सुधार के स्थान पर उप-ठेकेदारी, अल्पकालिक, अंशकालिक व अन्य लचीली शर्तों को अपनाने को बाध्य कर रही हैं। इस लचीले श्रम शर्तों के चलते युनियनीकरण की प्रक्रिया के समक्ष गंभीर समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं क्योंकि उनकी सौदेबाजी करने की शक्ति कम होती जा रही है।

भारत का औद्योगिक परिदृश्य तात्कालिक तौर पर बड़े तथा छोटे बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा नियंत्रित रहेगा- उच्च तकनीक पर आधारित इन निगमों को श्रम शक्ति का प्रबंधन बाहरी श्रम के द्वारा होगा जिनमें अधिकांश महिलायें होंगी जिनकी सेवायें जरूरत पड़ने पर आसानी से समाप्त की जा सकेंगी। यह पद्धति बहुराष्ट्रीय व देशी दोनों में ही लागू होगी जो उप-ठेका प्रणाली को बढ़ावा देगी। इस कार्य के लिये कुछ कंपनियां आगे आ रही हैं जो विशिष्ट व प्रशिक्षित सेवायें प्रदान करेंगी व कर रही हैं, जिनकी सेवा शर्तें निम्न स्तर की हैं।

भारत में श्रम परिदृश्य

भारत में आज श्रम शक्ति विषम स्थिति में है। एक ओर उच्च तकनीक पर आधारित आधुनिक उद्योगों, जिनमें बहुराष्ट्रीय व देशीय क्षेत्र सम्मिलित हैं, जैसे इस्पात उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के भेल, ओ एन जी सी अथवा निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों को तेल-रासायनिक उद्योगों उद्योग हैं जहां अच्छी तनख्वाह व अच्छी सेवा शर्तें उपलब्ध हैं, और दर्शाती है कि आधुनिक श्रमिक वर्ग का विकास हो रहा है जबकि कुछ पारम्परिक उद्योगों, जैसे कपड़ा उद्योग, पटसन उद्योग, बागवानी आदि जगहों आधुनिकीकरण का अभी अभाव है, में कठिन सेवा शर्तों व कम वेतन पाने वाले मजदूर हैं जो पारम्परिक श्रमिक वर्ग के सदृश हैं। इसके अतिरिक्त भारत में भारी अनौपचारिक उद्योग हैं जहां निम्न वेतन प्राप्त करने वाले श्रमिक हैं जिनकी सेवा पूर्णतः असुरक्षित तो है ही, अन्य सुविधायें भी उन्हें प्राप्त नहीं हैं।

तकनीकी क्रांति श्रम को विस्थापित कर रही हैं।

अद्वितीय तकनीकी विकास की क्रांति ने श्रम का स्थान मशीनों को दे दिया है। लगभग सभी क्षेत्रों में, सेवाओं व उत्पादन ऐसा हो रहा है। प्रारंभिक औद्योगिक क्रांति ने मानवीय श्रम के लिये मशीनों का निर्माण किया, उसका स्थान लेने के लिये नहीं। परन्तु आज समस्त श्रम प्रक्रिया में बदलाव आ गया है। 'नौकरी-रहित विकास' एक ऐसी प्रक्रिया है जो पश्चिमी-अर्थव्यवस्थाओं और विशेषतया जापानी अर्थव्यवस्था तथा भारतीय पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रचलित हो रही है। हालांकि पश्चिमी देशों में अल्प साप्ताहिक सेवा अवधि, साझी सेवा जल्द अवकाश प्राप्ति आदि की प्रक्रियायें इसी नौकरी रहित प्रक्रिया के परिणाम हैं। भारत में इस पर जोर दिया जा रहा है, दोनों ही क्षेत्रों-निजी क्षेत्र व सरकारी क्षेत्र कि श्रम शक्ति में कमी की जाय, पूर्णतः स्वचालन की पद्धति लागू हों, छंटनी, पदों की समाप्ति व ऐच्छिक अवकाश योजना आदि इसी नीति के प्रमाण हैं।

भारतीय श्रमिक वर्ग के ढांचागत संगठन में परिवर्तन

इन सब कारणों पर ध्यान देने पर आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के अंतर्गत, भारतीय श्रमिक वर्ग के ढांचागत संगठन में परिवर्तन स्पष्ट दिखलाई पड़ने लगता है, विशेषतया उन औद्योगिक क्षेत्रों में जहां उच्च तकनीकी प्रक्रिया लागू हैं। बहुराष्ट्रीय व देशीय दोनों ही क्षेत्रों में भारतीय मजदूर आंदोलन को इन समस्याओं व परिप्रेक्ष्यों पर ध्यान देना पड़ेगा जिनके कारण श्रमिक वर्ग के ढांचागत संगठनों में परिवर्तन आया है।

भारतीय मजदूर वर्ग को ढांचा संगठन एक और प्रकार को परिलक्षित करता है जो तकनीकी क्रांति से संबद्ध नहीं है। ये भारतीय मजदूर वर्ग के सामाजिक, जातीय व जाति प्रथा की व्युत्पति से संबद्ध है, इस विभेदन के साथ भारतीय समाज में पुरुष-प्रधानता प्रचलन ने महिला-श्रमिकों की स्थिति को विषम व संभाग में पुरुष-प्रधानता के प्रचलन ने महिला श्रमिकों की स्थिति को विषम व अस्थिर बना दिया है। उच्च तकनीकी आधारित उद्योगों के सामानान्तर पूर्वपूंजीवादी उत्पादन संबंधों के अस्तित्व ने भारतीय श्रमिक वर्ग को बहु-ढांचा स्वरूप प्रदान किया है जो पुनः मजदूर संगठनों के समक्ष समस्यायें उत्पन्न करता है।

सेवा क्षेत्र भी अतिरिक्त मूल्य का निर्माण करता है सेवा क्षेत्र के वेतन भोगियों को औद्योगिक सर्वहारा से जोड़ता है:

सेवा क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि तथा उससे संबद्ध श्रमशक्ति ने एक नये सवाल को जन्म दिया है कि सेवा क्षेत्र में निवेशित पूंजी उत्पादकीय है अथवा नहीं दूसरा सवाल है कि इस क्षेत्र में सेवारत वेतन भोगी जो श्रम करता है वह उत्पादन है अथवा नहीं। आज के पूंजीवाद में उत्पादकीय श्रम की सीमायें उपरोक्त सवाल से गंभीर रूप से जुड़ी हुई हैं सेवा क्षेत्र में श्रमिक अपनी सेवा पूंजीपति को बेचता है व पूंजीपति उस सेवा को बाजार में उपयोगी वस्तु के रूप में बेचकर मुनाफा कमाता है अधिकांश बड़े निगमित उद्योगों में वृद्धिजीवि श्रमिक लेखाशास्त्र के लिये, कुछ परिकलक कार्य के लिये, कुछ लिपिक कार्य के लिये, कुछ प्रत्यक्ष उत्पादन के लिये रखे जाते हैं। उद्योग में इस तरह उत्पादित वस्तु को बेचकर पूंजीपति मुनाफा कमाता है अर्थात् अतिरिक्त मूल्य का सृजन अतः अतिरिक्त मूल्य सृजन में बुद्धजीवि श्रमिकों की भूमिका है। सेवा क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण तथा पूंजीपति द्वारा अतिरिक्त मूल्य को हड़पने और औद्योगिक क्षेत्र में हो रहे हड़पन से कम नहीं है। आधुनिक उत्पादन प्रणाली व विपणन की प्रक्रिया में मध्यम वर्ग बड़े पैमाने पर एक रूप में सर्वहारा वर्ग के निर्माण में सहायक हो रहा है लोगों की यह कार्यरत संख्या, जिसे साधारण तथा 'सफेद पोश' कहा जाता है, मजदूरों पर अपनी वरिष्ठता खोता जा रहा है व उच्च तकनीकी क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों की तुलना में कम वेतन पाता है लगभग वेतन भोगी मजदूरों के निम्न स्तर तक पहुंच गया है। सामाजिक व आर्थिक दबावों के चलते यह बुद्धजीवि श्रमिक सर्वहारा के साथ मिलने को बाध्य हो रहा है जिसके कारण श्रमिक ढाँचे में वृद्धि हो रही है। आज के मजदूर आंदोलन के लिये यह ढाँचा गंभीर रूप से सोचनीय है।

आज के श्रमिक आंदोलन का विकास उसे उग्रवादी बनाया जा सकता है बशर्ते भारतीय श्रमिक वर्ग के परिवर्तित ढाँचे पर विशेष ध्यान

दिया जाय व औद्योगिक दृष्टि से विकसित व विकाशील देशों में हो रहे अबाध तकनीकी विकास व पूंजी के ध्रुवीकरण के परिप्रेक्ष्य में उसे देखा जाय।

आज के श्रमिक वर्ग का क्रांतिकारी स्वरूप

अब जो गंभीर प्रश्न उठता है वह है कि श्रमिक वर्ग के ढाँचा संगठन में हो रहा यह परिवर्तन मजदूर वर्ग के अन्तर्निहित क्रांतिकारी स्वरूप में व्यावधान डाल रहा है अथवा नहीं सेवा क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों की बढ़ती संख्या इस क्रांतिकारी रूझान को निरावृत कर रही है या नहीं। इस शताब्दी के तीसरे दशक के दौरान जर्मनी में आई विश्व मन्दी तथा बेरोजगारी तथा कुछ अन्य पश्चिमी देशों में बुद्धजीवि वर्ग में तानाशाही ताकतों से मिलने की प्रवृत्ति जागृत हुई थी जबकि अमेरिका, कनाडा व अन्य देशों जैसे स्वीडन, स्विजरलैंड, नार्वे आदि में उनका रूझान सामाजिक लोकतांत्रिक राजनीति व मजदूर आंदोलन की ओर हुआ था।

आज के भूमण्डलीय व निजीकरण के फलस्वरूप प्रत्यक्ष छंटनी, कार्य के घण्टों में कमी आदि समस्याओं ने श्रमिक वर्ग के लिये असहनीय व गम्भीर स्थिति पैदा की है जिसके कारण पूरे विश्व में मजदूर वर्ग लड़ाकू संघर्ष की दिशा में बढ़ रहा है। 1991-1994 के दौरान केवल भारत में ही नहीं, जहाँ नई आर्थिक नीति के विरोध में राष्ट्रीय स्तर चार आम हड़तालों का आयोजन हुआ अपितु पश्चिमी देशों फ्रांस, जर्मनी, बेलजियम, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, व अस्ट्रेलिया में मजदूर आंदोलनों की आंधी भभकी। इनमें से सर्वाधिक उल्लेखनीय फ्रांस के श्रमिक वर्ग की 1995 दिसम्बर में शुरू हुई तीन सप्ताह की आम लड़ाकू हड़ताल है। दक्षिणी कोरिया, जहाँ तानाशाही का बोलबाला है, में दिसम्बर 1996 का अभूतपूर्व श्रमिक संघर्ष था जिसका आयोजन सरकार द्वारा बनाये गये श्रम विरोधी कानूनों के विरूद्ध हुआ। फ्रांस अथवा योरूपीय अथवा पूर्वी जहाँ कहीं भी ये आंदोलन हुए, श्रम से सम्बद्ध समस्त घटकों ने इनमें पूरजोर भाग लिया। इन देशों में लड़ाकू आंदोलन कारियों ने पुलिस अत्याचारों का डटकर सामना किया।

विश्व के विभिन्न भागों में लड़ाकू मजदूर संघर्षों का आरम्भ

वर्तमान पूंजीवाद के विरूद्ध हुये ये समस्त लड़ाकू आंदोलनों यह तार्किक ढंग से सिद्ध करते हैं कि श्रमिक वर्ग के ढांचा संगठन में परिवर्तन के बावजूद उसके लड़ाकू रूझान में कोई कमी नहीं आई है। परिवर्तित भूमण्डलीय आर्थिक स्थिति में भी श्रमिक वर्ग में अन्तर्निहित क्रांतिकारी स्वरूप में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

सोवियत ट्रटन व भूमण्डलीकरण ने श्रमिक वर्ग के लिये नये क्रांतिकारी मार्ग प्रशस्त किये हैं

अक्टूबर की समाजवादी क्रांति ने रूस के श्रमिक वर्ग के लिये नई जीवन प्रणाली सुनिश्चित की जिससे अन्य पश्चिमी पूंजीवादी देशों को भी बाध्य होकर अपने-अपने देशों के श्रमिकों को अच्छी सुविधायें प्रदान कीं ताकि इन देशों का श्रमिक वर्ग सोवियत के रास्ते न चल पड़े। उपनिवेशों से लूटी गई राशि का कुछ हिस्सा साम्राज्यवादी देशों ने अपने श्रमिकों के वेतन में बढ़ोतरी के रूप में प्रयोग किया ताकि उनकी जीवन किया में सुधार हो सके। पूर्व सोवियत संघ के टूटने, पूंजीवाद में आया गंभीर संकट, अर्थव्यवस्था के भूमण्डलीकरण, बड़े पैमाने पर हो रहीं स्वचलन की प्रक्रिया व निजीकरण के कारण विकसित पूंजीवादी देशों का श्रमिक वर्ग सेवा क्षेत्र के श्रमिकों समेत अपनी सरकारों व अथवा निजी पूंजीपतिं मालिकों से लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा। उसे झटका लगा है, छटनी का शिकार हुआ है, भत्तों में कमी आई है। वह ऐसी स्थिति में है जहाँ उसे धकेल दिया गया है, जिसमें वह आक्रामक पूंजीवादी रूझानों के विरूद्ध क्रांतिकारी विरोध करने को तत्पर है। ये संघर्ष अन्तर्राष्ट्रीय एकात्मकता को बांधने में तागे का कार्य करेंगे।

क्रांतिकारी स्वरूप प्रकट हो रहा है:

तृतीय विश्व के देशों के उत्पीड़ित श्रमिक वर्ग के साथ विकसित पूंजीवादी देशों के श्रमिक वर्गों में अन्तर्निहित क्रांतिकारी स्वरूप दृष्टिगोचर हो रहा है जो पूंजीवादी शोषण के विरुद्ध है।

तथ्यों का विकास कुछ लोगों द्वारा प्रस्तुत इस सिद्धांत का पूर्णत: खंडन करता है कि श्रमिक वर्ग का विलोप हो रहा है और सिद्ध करता है आज के श्रमिक वर्ग अपने क्रांतिकारी स्वरूप से पूर्णत: ओतप्रोत हैं जिसे कुछ लोग झुठिलाना चाहते हैं। ठीक इसके विपरीत, यह नवीन क्रांतिकारी उत्साह के साथ उभर रहा है। कहीं धीमे रूप में तो कहीं वस्तुनिष्ठ परिस्थितियों के अनुरूप।

वर्तमान संकटकाल के दौरान भारतीय श्रमिक आंदोलन को वर्तमान क्रांतिकारी उभार का अधिकाधिक लाभ उठाना चाहिये ताकि क्रांतिकारी मजदूर आंदोलन का मार्ग और अधिक सुदृढ़ हो।

जनवादी कार्य पद्धति

1. सी आइ टी यू सभी प्रकार के शोषण से समाज की पूर्ण मुक्ति चाहता है। यह मुक्ति केवल समाजवादी रूपांतरण से प्राप्त की जा सकती है। सी आइ टी यू ने अपने संविधान में घोषणा की है कि ''उसक दृढ़ विश्वास है कि वर्ग संघर्ष के बिना सामाजिक रूपान्तरण नहीं हो सकता और वह श्रमिक वर्ग को वर्ग सहयोग के पथ पर ले जाने के प्रयासों का निरंतर प्रतिकार करता रहेगा।''

2. वर्ग संघर्ष के लिए इस प्रतिबद्धता तथा श्रमिक आंदोलन में वर्ग सहयोग की नीति से लड़ने के संकल्प को श्रमिक वर्ग की पंक्तियों में विशाल एकता को सुनिश्चित बनाकर और संगठन में सभी पक्षों से तथा सभी स्तर पर जनवादी कामकाजी कार्य पद्धति को लागू करके ही पूर्ण किया जा सकता है। अत: सी आइ टी यू के लिये सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य जहां तक सम्भव हो सके अधिक से अधिक ट्रेड यूनियन जनवाद को सुनिश्चित बनाना है।

चुनौती तथा प्रत्युत्तर

3. इसलिये संगठन में जनवादी कार्य पद्धति को सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से सी आइ टी यू के संविधान में कुछ विशेष प्रावधान किये गये हैं जिनका अनुसरण किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त सी आइ टी यू के स्थापना सम्मेलन में कामकरेड बी टी रणदिवे ने भाषण देते समय ट्रेड यूनियन जनवाद के वास्तविक अर्थों की व्याख्या की थी और सी आइ टी यू द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष की नीति के अत्याधिक महत्व पर बल दिया था।

4. जहां प्रत्येक परिस्थिति में ट्रेड यूनियन जनवाद का भारी महत्व होता है वहीं उस स्थिति में जब श्रमिक वर्ग पर चारों ओर से पूंजी के हमले हो रहे हों, इसकी अनिवार्यता स्पष्ट रूप से उत्पन्न हो जाती है। भारत में शायद ही पहले कभी श्रमिक वर्ग के लिये अपनी सम्पूर्ण शक्ति को एकजुट एवं लामबंद करने की नितांत आवश्यकता उत्पन्न हुई हो जितनी वर्तमान में है। वर्ष 1991 के मध्य से विनाशकारी आर्थिक नीति के वास्तविक खतरे ने देश के श्रमिक वर्ग को इस चुनौतिपूर्ण स्थिति में ला खड़ा किया है।

5. सी आइ टी यू ने तत्काल इस चुनौती का प्रत्युत्तर दिया है, इसमें संदेह नहीं। उसने निरंतर श्रम साध्य प्रयास करके प्रमुख केंद्रीय श्रमिक संगठनों तथा औद्योगिक महासंघों (फेडरेशन्स) पर आधारित एक संयुक्त मंच का गठन किया, आर्थिक नीतियों के विरुद्ध संघर्ष में स्पानसॅरिंग कमेटी की स्थापना की गई और बाद के चरण में जन संगठनों के राष्ट्रीय मंच का गठन किया गया जिसमें श्रमजीवी जनता की अन्य सभी श्रेणियों और खेत मजदूर, किसान सभाओं, युवाओं, छात्रों तथा महिला संगठनों जैसे जन संगठनों को सम्मिलित किया गया। किन्तु इस प्रक्रिया के प्रारंभिक चरणों में सम्पूर्ण श्रमिक वर्ग तथा जनता की अन्य श्रेणियों को लामबंद करने के ऐतिहासिक कार्य को पूर्ण करने, इस नीति का प्रतिकार करने और अन्ततोगत्वा उसे परास्त करने के लिये सी आइ टी यू को अपनी सांगठनिक शक्ति अपर्याप्त होने का बोध हुआ। इसके तत्काल पश्चात् शायद संगठन सी आइ टी यू की स्थापना के 22 वर्षों में पहली बार सांगठनिक स्थिति तथा सी आइ टी यू की कार्य प्रणाली की व्यापक समीक्षा की गई।

सांगठनिक समीक्षा

6. समीक्षा करते समय रेखांकित किया गया कि पूंजी के बढ़ रहे हमलों के विरुद्ध सामान्य संघर्ष में श्रमिक संघों को एकजुट करने तथा तीव्र गति के साथ इन संघर्षों को नेतृत्व देने पर भी सी आइ टी यू का संगठन सदस्य संख्या में प्रारंभिक वृद्धि होने के पश्चात् निश्चल हो गया है अथवा पठार जैसी स्थिति में पहुंच गया है। इसके और विकसित होने के मार्ग में अनेक दुर्बलताएं आड़े आती हैं और इन दुर्बलताओं का एक प्रमुख कारण जनवादी कार्य पद्धति के सिद्धांतों का पालन नहीं करना है, इसके चलते संगठन का विकास अवरुद्ध हो गया है। सी आइ टी यू संगठन के सभी स्तरों पर समीक्षा की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् जून 1993 में संगठनात्मक रिपोर्ट पारित की गई। उस रिपोर्ट में जनवादी कार्य पद्धति के नियमों का पालन न करने तथा संगठन में आए भटकावों की व्यक्त किया गया। इन भटकावों को दूर करने के लिये निदानात्मक उपायों के रूप में तात्कालिक कार्य निश्चित किये गये। एक वर्ष पश्चात् पटना में संपन्न सी आइ टी यू के आठवें महाधिवेशन द्वारा पारित आयोग के दस्तावेज में एक बार पुन: जनवादी कामकाजी पद्धति पर बल दिया गया।

7. यद्यपि कुछ स्थानों पर और कुछ पक्षों से स्थिति में कुछ सुधार दिखाई देता है किन्तु आवश्यक परिवर्तन की तुलना में जो परिर्वतन अथवा सुधार आया है वह भी अपेक्षा से कहीं कम है। क्या हम इस स्थिति को जारी रख सकते हैं ? यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो हम अधिक समय तक प्रभावशाली ढंग से उस ऐतिहासिक भूमिका का निर्वहन नहीं कर सकेंगे जिसे हम पिछले तीन वर्षों से निभाते चले आ रहे हैं। इसका श्रेय श्रमिक आंदोलन को एकजुट रखने वाली हमारी सही ट्रेड यूनियन नीति को जाता है। हमें इस प्रमुख दुर्बलता को

दूर करने के लिये गंभीरतापूर्वक अपने प्रयास जारी रखने चाहियें और इस सम्बंध में यदि हम विफल रहते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा, हमें उसका बार-बार स्मरण करना होगा।

8. जब हम ट्रेड यूनियन जनवाद अथवा कार्य कामकाजी पद्धति की बात करते हैं तो हमें ये दो भिन्न-भिन्न बातें प्रतीत होती हैं, किन्तु वास्तव में इन दोनों का गहरा अन्त: सम्बन्ध है। ट्रेड यूनियन जनवाद का पहला पक्ष यूनियन के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं के प्रति नेतृत्व के रुख तथा एक ओर यूनियन कार्यकर्ताओं के साथ और दूसरी ओर सामान्य श्रमिकों के साथ नेताओं के सम्बन्धों के साथ सम्बन्ध रखता है। दूसरे पक्ष का सम्बन्ध समितियों के कामकाजी नियमों, समिति के सदस्यों के मध्य कामकाजी सम्बन्धों इत्यादि के साथ है। जनवादी कामकाजी पद्धति के इन दोनों पक्षों की दृष्टि से हमारे भीतर गंभीर दुर्बलताएं पाई जाती हैं।

यूनियनें तथा साधारण श्रमिक

9. ट्रेड यूनियन जनवाद के पहले पक्ष की कामरेड बी टी रणदिवे ने सी आइ टी यू के स्थापना सम्मेलन में समापन भाषण देते समय विस्तृत विवेचना की थी। उन्होंने कहा था— "अधिकांश यूनियनों में—एक साधारण श्रमिक की स्थिति अतिथि जैसे ही होती है, उसकी स्थिति उस व्यक्ति जैसी नहीं होती जिसका यह (यूनियन) किला होता है, जिसका यह अपना घर होता है।" उन्होंने आगे कहा था, "एक रुझान पाया जाता है कि यूनियन को श्रमिकों एवं श्रमजीवी जनता का एक विशाल संगठन बनाने की अपेक्षा कुछेक नेताओं के लिये ही आरक्षित रखा जाए," और वह जागरूकता जो हमने उनमें उत्पन्न की है, ऐसी है कि स्वयं श्रमिक इस स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, वे समझने लगते हैं कि यूनियन का काम करना केवल नेताओं का ही कारोबार है। उन्होंने कहा था, "...हमारा संघर्ष श्रमिक वर्ग की एकता का संघर्ष है, यह संघर्ष आंदोलन का संघर्ष है। सभी श्रमिकों के साथ एकता स्थापित की जानी चाहिये...ट्रेड यूनियन एकता...प्रतिरोध की एकता का तात्पर्य प्रत्येक श्रमिक चाहे वह किसी संगठन के साथ सम्बन्धित हो या न हो, सर्वसामान्य वर्ग संघर्ष में सम्मिलित किया जाना ही चाहिये।" इसे सुनिश्चित बनाने के लिए हमारे श्रमिक संघों को अपने झंडे तले एकत्रित होने वाले प्रत्येक के लिये वास्तव में जीवंत संस्था बनना होगा और प्रत्येक श्रमिक को सोचना होगा कि यह उसका अपना किला है, यह नेताओं का किला अथवा उनका आवास नहीं है किन्तु एक सामान्य श्रमिक का घर है। "हम यूनियन में जनवादी कार्य पद्धति लागू करने की मांग करते हैं...क्योंकि हम श्रमिकों को सामान्य संघर्ष में खींच लाना चाहते हैं। वह केवल उसे मूक दर्शक बनकर देखता न रहे अपितु एक सक्रिय सहभागी के रूप में, सक्रिय नेताओं के रूप में उसमें भाग ले...जब तक हम श्रमिक वर्ग में काम करते समय जनवादी कामकाजी पद्धति को नहीं अपनाएंगे तब तक हम श्रमिकों को एकजुट करने में सफल नहीं होंगे...हम में से प्रत्येक साथी को स्वयं अपनी जागरूकता में परिवर्तन लाना होगा, हमें पुरानी जागरूकता तथा पुरानी कार्य पद्धति का परित्याग करने के लिये दृढ़ प्रतिज्ञ होना होगा...।"

10. 22 वर्ष के पश्चात् संगठनात्मक रिपोर्ट में उसी दुर्बलता को रेखांकित किया गया है कि "हमारी यूनियनों में साधारण श्रमिकों की सहभागिता केवल निष्क्रिय होती है।" साधारण श्रमिकों को यूनियन की नीतियां समझाने के लिये जनरल बाड़ी बैठकें कभी-कभार होती हैं किन्तु इन बैठकों का आयोजन भी केवल कुछेक यूनियनें करती हैं, प्राय: अधिकांश यूनियनों में सदस्यता का एक छोटा-सा भाग इन बैठकों में भाग लेता हैं और वहां निचले स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिये बहुत कम अवसर प्राप्त होता है। सी आइ टी यू द्वारा निदेश जारी किये जाने पर भी समझौतों के प्रारूप हस्ताक्षर करने से पूर्व स्वीकृति के लिये जनरल बाड़ी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाते, सम्मेलन का आयोजन नियमित रूप से नहीं किया जाता, ऐसे सम्मेलनों की उद्धरणें भी मिलती हैं जिनका आयोजन 8-10 वर्षों के अन्तराल में किया जाता है, सम्मेलनों में साधारण सदस्यों-प्रतिनिधियों को शायद ही अपने विचार व्यक्त करने के लिये अवसर दिया जाता हो, निचले स्तर से होने वाली आलोचना को दृष्टिलोप कर दिया जाता है, यहां तक कि चुनाव भी नियमित रूप से नहीं होते और जब कभी होते भी हैं तो इस ढंग से होते हैं कि श्रमिक स्वतंत्रतापूर्वक अपने नेतृत्व का चुनाव ही नहीं कर सकते।

11. लगभग चार वर्ष पूर्व पारित संगठनात्मक रिपोर्ट में इन सभी तथा अन्य दुर्बलताओं पर सविस्तार चर्चा की गई थी और जनरल कौंसिल तथा वर्किंग कमेटी की सभी बैठकों में सभी श्रमिक संघों को बार-बार इसका स्मरण कराया गया, इस पर भी स्थिति में बहुत कम परिवर्तन आया है। सदस्य संख्या में कुछ वृद्धि अवश्य हुई है। किन्तु हम यह दावा कदापि नहीं कर सकते कि काम करने की हमारी पुरानी पद्धतियों में कुछ सीमा तक कोई परिवर्तन हुआ है। यूनियन तथा साधारण सदस्यों के मध्य दूरी पूर्व की भांति विद्यमान है।

12. यह दूरी अब विचलित कर देने वाला कारक बन रही है। हाल ही में हमने देखा है कि बहुत दिनों से मान्यता प्राप्त यूनियन का दर्जा हासिल होने पर भी हमारी यूनियन को गुप्त मतदान में पराजय का मुंह देखना पड़ा है। इसके अतिरिक्त स्थानीय तथा विदेशी धन प्राप्त एजेंसियां इस स्थिति से लाभ उठा कर श्रमिकों में केंद्रीय श्रमिक संगठनों के प्रति उदासीनता का भाव उत्पन्न कर रही है, तथाकथित स्वतंत्र ट्रेड यूनियनवाद को प्रोत्साहन दे रही हैं और देश में श्रमिक आंदोलन में विभाजन के बीज बो रही हैं।

समितियों के काम

13. जनवादी कार्य पद्धति का एक और पक्ष श्रमिक संघों के विभिन्न अंगों, समितियों, परिषदों, सचिव मंडलों इत्यादि के कामों के साथ सम्बन्ध रखता है और इसी के भाग के रूप में यह पक्ष कार्यकर्ताओं के कार्यों तथा इस प्रक्रिया में उनके आन्तरिक सम्बन्धों के साथ भी सम्बन्धित है।

14. किसी भी जन संगठन की जनवादी कार्य पद्धति के लिये उसके विभिन्न अंगों की नियमित बैठकों तथा सम्मेलनों का आयोजन करना आवश्यक है। सांगठनिक रिपोर्ट में संगठन की गंभीर दुर्बलताओं को रेखांकित किया गया था। सी आइ टी यू की अनेक समितियां तथा सम्बद्ध श्रमिक संघ जनवादी सिद्धांतों की धज्जियां उड़ा कर नियमित रूप से सम्मेलनों का आयोजन नहीं करते, उनके नियमित चुनाव भी नहीं होते और न ही सी आइ टी यू की अनेक समितियां नियमित रूप

से अपनी बैठकें करती हैं। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि साधारण कार्यकर्ताओं की भांति कार्यकर्ता तथा सम्मेलन के प्रतिनिधियों की भांति सक्रिय कार्यकर्ताओं में भी उदासीनता का भाव (या उनमें अपने स्तर पर व्यक्तिगत रूप से काम करने की भावना विकसित होने लगती है) उत्पन्न होने लगती है। संगठन का काम कुछेक पदाधिकारी ही करते हैं। यहां तक कि पदाधिकारी भी परस्पर नियमित रूप से विचार विमर्श नहीं करते, उनकी नियमित अन्तराल में बैठकें नहीं होतीं और न ही सचिवमंडल की बैठकें की जाती हैं, उनके मध्य परस्पर सूचनाओं के आदान-प्रदान की कोई व्यवस्था नहीं है। अन्ततोगत्वा यूनियन अथवा समिति के सभी मामलों का नियंत्रण प्राय: अध्यक्षों तथा सचिवों अथवा उनमें से भी किसी एक के हाथ में केंद्रित होकर रह जाता है। इससे नौकरशाही की संवृत्ति के पनपने की सम्भावनाओं का बढ़ जाना स्वाभाविक ही है, इस पर संगठनात्मक रिपोर्ट में विचार किया जा चुका है। इस अत्यंत घातक रुझान का धन संगठन की जीवन क्षमता को ही चट कर जाता है।

15. नि:संदेह अनेक श्रमिक संघों द्वारा सम्मेलन तथा चुनाव कराए जाते हैं, अनेक समितियां यदि कड़ाई के साथ नियमित बैठकें नहीं करती तो यदा-कदा अवश्य करती रहती हैं। किन्तु संगठनात्मक रिपोर्ट में यह रेखांकित किया गया है कि सम्मेलनों तथा बैठकों में भी फलप्रद विचार विमर्श कम किया जाता है जिससे कि समिति के साधारण सदस्य अथवा प्रतिनिधि कुछ सीख सकें और उन्हें अपने अनुभवों के आधार पर बैठकों में बोलने को अवसर भी बहुत कम मिलते हैं। श्रमिक संघ-सी आइ टी यू समिति इस प्रकार सभी क्षेत्रों के श्रमिकों की सामुहिक बुद्धिमत्ता से वंचित रह जाती हैं।

16. जहां तक नेतृत्व का सम्बन्ध है—यदि हम पदाधिकारियों अथवा सचिव मंडल को नेतृत्वकारी निकाय मानते हैं तो जनवादी कार्य पद्धति का अर्थ है सामूहिक कार्य पद्धति। नेतृत्व की सामूहिक कार्य पद्धति के लिये निरंतर सूचनाओं का आदान-प्रदान करने, निरंतर सामूहिक विचार विमर्श करने, विचार विनिमय करने, की आवश्यकता है। इसमें विचार तथा समझदारी की विशाल एकता बनती है तथा कामों इत्यादि का समुचित विभाजन हो पाता है। सामूहिक कार्य पद्धति समूह की पद्धति है। इसमें टीम की भावना को भले ही व्यक्तिगत रूप से जन नेता के रूप में स्वीकार किया जाता है किन्तु समूह के भीतर उन्हें समूह के नेता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना होता है। समूह के नेता के रूप में उसे सुनिश्चित बनाना चाहिये कि समूह के प्रत्येक सदस्य को उसकी योग्यता तथा झुकाव के अनुसार अच्छे से अच्छा काम करने का अवसर प्रदान किया जाए और यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार जहां तक संभव हो सके संगठन के लाभ से सब सदस्यों के योगदानों को केंद्रित करे। उसे अत्यंत चौकसी से काम लेना होगा। उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि वह सुचेत अथवा अत्यंत दोनों प्रकार की अवस्थाओं में कहीं किसी एक गुट विशेष का नेता ही न बन जाए। वह "समान स्तर के लोगों में प्रथम" होगा और सभी साथियों के साथ समान व्यवहार करेगा। सामूहिक कामकाजी स्वस्थ्य पद्धति के कुछ विशेष लक्षण होतें हैं। किसी सभी संगठन की जनवादी कार्य पद्धति पूर्ण रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि नेतृत्वकारी दल कितने प्रभावशाली ढंग से काम करता है।

17. सामूहिक नेतृत्व अत्यंत दुर्लभ होता चला जा रहा है। इसके अभाव में संगठन में जनवादी कार्य पद्धति का विकास विशाल स्तर पर अवरुद्ध हो जाता है।

18. द्वितीय पक्ष मे साथ सम्बन्धित विपथगमन की उद्धरणों की सूची हम अपने दस्तावेजों मे दे चुके हैं। उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हम उन कारणों पर विचार करें कि संगठनात्मक रिपोर्ट पारित होने के चार वर्ष पश्चात् भी उसे व्यवहार में क्यों नहीं लाया जा सका।

प्रतिकूल विचारधारा का प्रभाव

19. सभी प्रकार के भटकावों एवं विपथगमन मूल रूप से प्रतिकूल वर्गीय विचारधारा के प्रभाव में निहित है, यह प्रतिकूल विचारधारा शोषक वर्ग, सामंत तथा पूंजीपति वर्गों की विचारधारा ही हो सकती है। हमारे देश में आधुनिक उद्योग की मंद प्रगति हुई है और सामंती एवं अर्ध-सामंती सम्बंध निरंतर बने रहे हैं, सामंतवादी विचारधारा का प्रभाव अत्यंत व्यापक है। पूंजीवादी व्यक्तिवाद के साथ-साथ सत्ता की सामंती प्रवृति ने हमारी मानसिकता का निर्माण किया है और ऊपर से सुधारवादी रुझानों ने हमारा पोषण किया है।

20. यूनियन में साधारण सदस्य तथा सामान्य श्रमिकों की उपेक्षा करने की भावना हमारे अंदर सुधारवादी प्रभावों के चलते गहराई तक समाई हुई है। हमारे यूनियन के नेताओं में विकासशील प्रक्रिया के रूप में वर्ग संघर्ष की अवधारणा और उसके साथ-साथ सम्पूर्ण श्रमिक वर्ग की जागरूक सक्रिय सहभागिता जैसी भावनाओं (अथवा मानसिकता) का नितांत अभाव सा है, अधिकांश मामलों में तो ऐसी भावना पाई ही नहीं जाती। इसलिये हम श्रमजीवी जनता के प्रति इस प्रकार का रुख अपनाते हैं जो सुधारवाती नेताओं के रुख से अलग नहीं होता। एक अत्यंत घिनावनी बात जिसकी ओर कामरेड बी टी रणदिवे ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया था, वह यह है कि श्रमिक गण भी किसी नेता द्वारा अलोकतांत्रिक ढंग से काम करने पर अपना विरोध व्यक्त नहीं करते । वे इसे सामान्य सी बात मानते हैं, यूनियन का काम करना नेताओं का ही दायित्व है। इससे हमें उस खाई की गहराई का अनुमान हो जाता है जिसकी सुधारवादी जागरूकता की दलदल में हम धंसते ही चले जा रहे हैं।

21. हमारे अधिकांश नेताओं का मूल रूप से श्रमिक वर्ग के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, उनमें से अधिकांश स्वयं कभी न श्रमिक थे और न हैं। वे नेता भी जो श्रमिक हैं, अधिकांशतया पहली पीढ़ी के श्रमिक हैं जो विरोधी वर्गों की विचारधारा का पूर्णतया परित्याग किये बिना ही श्रमिक वर्ग की पंक्तियों में सम्मिलित हो गए थे। कुछेक नेताओं का कुछ न कुछ सैद्धांतिक आधार है और कुछेक के पास ऊंची डिग्री है और वे एक वर्ग के रूप में श्रमिकों की ऐतिहासिक भूमिका से जागरूक हैं, सम्पूर्ण वर्ग को एकजुट करने में उनके काम का महत्व तो है किन्तु उनका ज्ञान उनके अन्तर तम की गहराइयों तक नहीं जाता जिससे उनमें मूलभूत परिवर्तन आ सके।

22. हम अपनी बात को एक बार पुन: दोहराएंगे, हमारे यहां ऐसे साथी सभी है जो सामूहिक कार्य पद्धति पर लम्बा-चौड़ा भाषण दे सकते हैं किंतु उनकी मानसिकता वैसी नहीं होती और उनके लिये अपनी व्यक्तिगत भूमिका ही सर्वोच्च महत्व रखती है। व्यक्तिवाद की इसी विचारधारा के कारण ही वे न केवल साधारण श्रमिकों की उपेक्षा

करते हैं अपितु समितियों में अपने सहयोगी सदस्यों, सचिवमंडल में अपने सहयोगियों को भी नजरअंदाज कर देते हैं, समिति तथा परिषदों की नियमित बैठकों में भी वे लापरवाही से काम लेते हैं। और यह बात केवल प्रमुख नेताओं पर ही लागू नहीं होती, अन्य लोगों का प्रत्युत्तर भी प्राय: उसी विचारधारा से निर्धारित होता है और वह वैसा ही हो सकता है।

हमारे कार्य

23. यदि यह मूल कारण है तो इसका निदान हमारी जागरूकता को बदलने से ही संभव हो सकता है। यह, निश्चित रूप से कुछ दिनों अथवा महीनों में पूर्ण कर लिया जाने वाला कार्य नहीं है. विचारधारात्मक परिष्कार तथा आत्म परिष्कार प्रतिकूल विचारधारा के उन्मूलन और जागरूकता एवं मानसिकता में पूर्ण परिवर्तन के लिये अत्यावश्यक है। शिक्षा श्रमिक संघों की नियमित गतिविधियों का एक नियमित भाग होनी चाहिये किन्तु नित्य प्रतिदिन की शिक्षा से इन काम में अधिक सहायता नहीं मिलती। हमें इस उद्देश्य के लिये विशेष रूप से बनाई गई शैक्षणिक पद्धति पर विचार करना चाहिये। समितियों में ईमानदारी से आलोचना करना तथा आत्म आलोचना अत्यंत लाभदायक होती है। यह एक कठिन कार्य है।

24. कुछ नियमों का यंत्रवत पालन करने से ही ट्रेड यूनियन जनवाद नहीं आ जाता और न ही वह इस प्रकार के नियमों पर आधारित होता है। जागरूकता का परिष्कार किये बिना यह जनवाद आ ही नहीं सकता। तथापि ये नियम जनवादी जनवादी पद्धति के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, इसलिये इनका अत्याधिक महत्व है। गलत विचारों अथवा इसके अभाव की ठोस अभिव्यक्ति हमारे संगठनात्मक कार्यों के माध्यम से होती है। गलत विचारों के शुद्धिकरण का कार्य संगठनात्मक रूप किया जाना चाहिये। हमारे दस्तावेजों में इन भटकावों की ओर संकेत करते हुए, ठोस रूप से वे नियम बनाएं हैं जिनका पालन किया जाना चाहिये। प्रत्येक नियम का गंभीरतापूर्वक पालन किया जाए, इसके लिये हर संभव प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। उच्च स्तरीय समितियों पर इसे सुनिश्चित बनाने का अधिक दायित्व आता है। किंतु सर्वप्रथम उन्हें स्वयं अपना सुधार करना होगा और उसके पश्चात् वही कार्य करने के लिये अधीनस्थ समितियों की सहायता करनी होगी। इस सम्बन्ध में सभी स्तरों पर जिसमें केंद्र भी सम्मिलित हैं, हमारी विफलता एक समान है। केंद्र स्वयं प्रतिकूल वर्गीय विचारधारा के प्रभाव को निकाल बाहर करने के लिये प्रभावी व्यवस्था लागू करने में विफल रहा है। इसके अतिरिक्त उसकी विफलता स्वयं अपने कामों में वांछित स्तर तक सामूहिकता की भावना विकसित करने के मामले में भी है, यद्यपि स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। वह जनवादी कामकाजी पद्धति को सुनिश्चित बनाने के लिये सांगठनिक रिपोर्ट को लागू करने में भी अब तक विफल रहा है। केंद्र के दृढ़ एवं जोरदार हस्तक्षेप के बिना जनवादी नियमों में व्याप्त विसंगतियों की दूर करने की अपेक्षा करना सिद्धांत तथा व्यवहार दोनों दृष्टियों से गलत है, यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिये।

25. इस बिंदु पर हमें सावधानी बरतने काम लेना होगा। यद्यपि हमारे पिछले दस्तावेजों में हमारी संगठनात्मक कमियों, दुर्बलताओं तथा असफलताओं को अनावृत करने में सख्ती से काम लिया गया है, वर्तमान दस्तावेज में भी ऐसा ही किया गया है तथापि हम एक क्षण के लिये भी इस तथ्य को भुला नहीं सकते कि ये सब दुर्बलताएं होने पर भी, सी आइ टी यू के जन्म से ही हमने अपने देश में श्रमिक आंदोलन में ऐतिहासिक महत्व की भूमिका निभाई है अब तक हम ऐसी भूमिका निभा रहे हैं। सी आइ टी यू भिन्न-भिन्न विचारधाराएं रखने वाले अधिकांश श्रमिक संगठनों को शोषक वर्गों के हमलों प्रतिकार हेतु सांझे संघर्षों में खींच लाने में सफल रहा है। किन्तु क्या अब कुछ और करना शेष नहीं रहा। हमें अभी बहुत कुछ करना है। हमारा संगठन ही हमारा शस्त्र है। हम अपने इस शस्त्र की दुर्बलताओं के विषय में जागरूक हो गए हैं, यह एक अच्छी बात है और हमने पहले ही अपनी दुर्बलताओं का पता लगाने के लिये लम्बे समय तक कठोर कार्य किया है और हमने इन पर काबू पाने के ढंगों एवं साधनों का पता लगाया है। यदि हम सदा अपने उन कर्त्तव्यों का स्मरण करते रहे जिनका दायित्व इतिहास ने हमारे कंधों पर डाला है, यदि श्रमिकों की विशाल संख्या के साथ अपने सम्बंधों में दूरी न आने दें और निरंतर अपनी कमियों एवं दुर्बलताओं को दूर करने के लिये प्रयास करते रहें तो हम निश्चित रूप से अपने ऐतिहासिक दायित्वों को पूर्ण करने में सक्षम ही सकेंगे।

सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण

विश्व भर में श्रमिक वर्ग विभिन्न निर्माता (मैन्युफेक्चरिंग) प्रक्रियाओं की जबरदस्त प्रगति के फलस्वरूप उत्पन्न स्वास्थ्य तथा सुरक्षा की गंभीर समस्याओं को झेल रहा है। उद्योग द्वारा हजारों प्रकार के कच्चे माल का उपयोग किया जाता है और इसकी संख्या में चौंका देने वाली सीमा तक उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जा रही है। औद्योगिक उत्पादों के प्रति व्यक्ति उपभोग में तीव्र वृद्धि के चलते यह समस्या अवश्यमेव और गंभीर हो जाएगी। इसका शुद्ध परिणाम प्रचुर उपयोग, तथा मनुष्य द्वारा निर्मित-कृत्रिम सामग्री द्वारा प्राकृतिक सामग्री के प्रतिस्थापन के चलते खतरनाक रसायनों के प्रभावन के रूप में निकलता है। अंतिम सामग्री अनेक स्थितियों में कैन्सर जैसे रोग उत्पन करने का कारण बनती है और कुछेक रसायनों में रडियोधर्मी अवयय होते हैं।

उद्योगों के आकार तथा क्षमताओं में निरंतर वृद्धि होती चली जा रही हैं और विशाल उत्पादन प्रक्रिया का लाभ उठाया जा रहा है किन्तु यदि यह एक निर्माता उद्योग है तो उसके हिस्से-पुर्जों का उत्पादन कार्य हजारों-झुग्गी-झोपड़ियों में स्थानांतरित हो जाता है। लघु एवं गृह आधारित उत्पादन केंद्र कार्य संचालन, रख-रखाव तथा निस्सारी तत्वों को ठिकाने लगाने के कार्य अनेक खतरे उत्पन्न कर रहे हैं। ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में आवासीय ढांचे में परिवर्तन ने जलती में तेल का काम दिया है तथा यह संवृत्ति स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिये और भी चिंता का कारण बन गई है।

श्रमिक वर्ग क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया की अग्रिम पंक्ति में होता है, इसलिये सभी प्रकार के व्यावसायिक खतरों का प्रभाव उस पर पड़े बिना नहीं रह सकता और वह उन सभी खतरों का सर्वाधिक शिकार होता है। श्रमिक संघों के क्षेत्रों में इस प्रश्न पर पहले ही जागरूकता आ रही है और विकसित देशों में श्रमिक वर्ग ने अपने-अपने प्रबंधनों को यदि सभी स्थानों पर नहीं तो कम से कम कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षात्मक उपाय करने पर विवश कर दिया है। किन्तु विकासशील देशों में औद्योगिक मंदे की स्थिति तथा घोर आर्थिक संकट ने श्रमिक वर्ग की स्थिति को अत्यंत क्षीण बना डाला है और वह असहाय होकर यह सब देखने पर विवश है अनेक मामलों में तो वह कामकाजी स्थलों में सुरक्षात्मक उपाय करने के लिये प्रबंधन पर दबाव डालने की स्थिति में भी नहीं है।

भारत का श्रमिक आंदोलन सर्वप्रथम औद्योगिक बीमारी, कामबंदी, छंटनी, वेतन समझौतों जैसी गंभीर कार्यसूची के बोझ तले दबा हुआ है और ऊपर से सत्ताधारी वर्ग तथा सत्तासीन सरकार की ओर से किये जाने वाले अनेक प्रकार के हमले। इस पर भी श्रमिक संघ इस महत्वपूर्ण मुद्दे से कन्नी नहीं कतरा सकते क्योंकि इसका दुष्प्रभाव भारत में करोड़ों श्रमिकों तथा उनके परिवारीजनों पर पड़ रहा है।

समस्या

स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा पर्यावरण पर भारत में आयोजित तेरहवीं विश्व कांग्रेस ने इन समस्याओं के साथ संबंध रखने वाले अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों की ओर ध्यान दिलाया था। आइ एल ओ की रिपोर्ट में रहस्योद्घाटन किया गया था कि औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण प्रति वर्ष 12 करोड़ श्रमिक काम के समय घायल हो जाते हैं। उनमें से 20 लाख श्रमिकों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ जाता है। इस विश्व में सड़क यातायात से संबंधित दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले लोगों की संख्या 150 लाख से कम नहीं होगी।

भारत में तो दुर्घटनाओं की दर उससे कहीं ऊंची है। हमारे यहां कारखानों, खदानों, गोदियों, बागों, रेल, सड़क इत्यादि में मारे जाने वाले श्रमिकों की संख्या अत्यंत विशाल होती है। सड़क में प्रति 1000 वाहनों के पीछे घातक दुर्घटनाओं की दर भारत में जापान की अपेक्षा 21 गुणा अधिक तथा अमरीका की अपेक्षा 17 गुणा अधिक होती है। खदान में यदाकदा दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जहां भारी संख्या में श्रमिक मरते हैं, इसके अतिरिक्त छतों से गिरने अथवा भूमि के धंसने जैसी दुर्घटनाओं के चलते भी असंख्य लोग मारे जाते हैं या घायल होते हैं। यहां जक कि सार्वजनिक क्षेत्र में श्रमिकों ने कुछ विरोध अवश्य किया है किन्तु वह भी स्वत: स्फूर्त ही है। हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में वर्ष में 80-100 श्रमिक मारे ही जाते हैं, जिसके चलते संयंत्रों में मृतकों के परिवारों को दी जाने वाली राशि का प्रावधान वार्षिक बजट में किया जाता है। इस्पात उद्योग में सुरक्षा संबंधी खतरों का सर्वाधिक शिकार संविदा (अर्थात् ठेका) श्रमिक होते हैं, उन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है। निर्माण उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की शोचनीय स्थिति का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। यहां तक कि भारत सरकार भी निर्माण उद्योग में होने वाली दुर्घटनाओं, मरने तथा घायल होने वाले श्रमिकों की संख्या का रिकार्ड रखने की आवश्यकता अनुभव नहीं करती। देश की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पश्चात् भी स्थिति है। निर्माण उद्योग में दुर्घटनाओं के कारण मरने वाले श्रमिकों की संख्या के संबंध में कुछ गैरसरकारी अनुमान लगाए गए हैं जिससे पता चलता है कि उनकी संख्या वर्ष में इतनी अधिक अर्थात 10,000 तक हो सकती है। गैर कोयला खदानों, बिजली, गोदियों, रेलवे, बागानों इत्यादि में भी दुर्घटनाएं होती हैं। यदि इनकी गिनती एक साथ की जाए तथा समाचार पत्रों में उसका प्रकाशन हो जाए तो वह पूरे देश को हिला कर रख देने के लिये पर्याप्त होगा।

असंगठित क्षेत्र तथा लघु उद्योगों में वस्तु स्थिति का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भारत सरकार तथा राज्यों का श्रम विभाग केवल यह तर्क देकर अपने दायित्व से पिंड छुड़ा लेता है कि संबंधित इकाइयां कारखाना अधिनियम के अंतर्गत नहीं आतीं। उद्योग की 70 लाख से अधिक लघु इकाइयों के श्रमिकों को उन स्थितियों में काम करना पड़ता है जो 18वीं शताब्दी के लिये उपयुक्त थीं। लघु तथा असंगठित क्षेत्र में लगे श्रमिक असुरक्षित कामकाजी स्थितियों में काम करते हैं, किन्तु वे किसी संरक्षण की अपेक्षा नहीं कर सकते अथवा उनके कामकाजी स्थलों में अत्याधिक व्यावसायिक खतरे होते हैं।

पत्थर खदानों, ईंट के भट्ठों, नमक के खेतों, चूना जलाने, पत्थर काटने तथा पालश करने, फेरस तथा गैर-फेरस फाउंडरियों माचिस तथा पटाका कारखानों, आभूषण उद्योगों, चर्म उद्योग, शीशा पिघलाने, माइका खदानों, पलास्टिक मौल्डिंग, चाय के बागों, मोटर गैरजों इत्यादि में कार्यरत करोड़ों श्रमिक व्यावसायिक रोगों की उच्चतर दर का निरंतर शिकार होते हैं। उनके लिये न सामाजिक सुरक्षा और न ही किसी प्रकार की चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है जिसके चलते किसी समय उनका दु:ख हलका हो सके। चिकित्सा पर आने वाला भारी भरकम खर्च उन्हें अपना उपचार न कराने पर ही विवश कर देता है, वे औपचारिक डाक्टरी उपचार से दूर भागते हैं और चुपचाप मृत्यु की गोद में चले जाते हैं।

नयी नीति नये आयाम

नयी आर्थिक नीति के तत्वाधान में मुक्त अर्थ व्यवस्था के लागू होने के साथ यह समस्या और भी विकराल रूप धारण कर गई है। विकसित देश अपनी प्रदूषण फैलाने वाली उत्पादन प्रक्रियाओं को भारत जैसे विकासशील देश में स्थानांतरित कर रहे हैं। खनिज सम्पदा की दृष्टि से समृद्ध देशों से कच्चे माल का आयात करने की अपेक्षा उनका उद्देश्य कच्चे माल को प्राथमिक उत्पादों में बदलना तथा उसके पश्चात् अपने कारखानों में इनका उपयोग करने के लिये अंतरित करना है ताकि उससे अतिरिक्त मूल्य के परिष्कृत उत्पाद तैयार किये जा सकें इस ढंग से वे अपने देश में पर्यावरणीय खतरों का निराकरण कर सकें और व्यावसायिक रोगों के प्रस्फुटन से बच सकें। उनके अपने देश में जिस उत्पादन प्रक्रिया अथवा प्रौद्योगिकी पर प्रतिबंध लगा हुआ है, उसे वे बाई-बैंक समझौते तथा प्रौद्योगिकीय हस्तांतरण इत्यादि के अंतर्गत विकासशील देशों में स्थानांतरित कर रहे हैं। निर्यात प्रसंस्करण अंचलों में विशेष रूप से और व्यावहारिक रूप से सम्बंधित देश का अपना कानून नहीं चलता। यह एक वास्तविकता है।

हाल ही में हजारों लघु तथा गृह आधारित उद्योगों के क्षेत्र में उत्पादन प्रक्रिया स्थानांतरित कर देने का व्याकुल कर देने वाला रुझान चल रहा है। उद्योगपति कारखाना अधिनियम, प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, कचरा निपटान अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम, श्रमिकों का क्षतिपूर्ति अधिनियम इत्यादि के अंतर्गत अपने ऊपर आने वाले कानूनी दायित्वों से पिंड छुड़ा लेने के लिये यह विधि अपना रहे हैं। इस प्रकार एक ओर जहां पर वे अपने कानूनी दायित्वों से पूर्णतया मुक्त हो रहे हैं वहीं दूसरी ओर न्यूनतम श्रम लागत पर अपना उत्पादन कार्य करा रहे हैं। वर्ष 1972 में 17, 58, 218 औद्योगिक इकाईयां थीं जिनकी संख्या वर्ष 1995 में बढ़ कर 70 लाख तक पहुंच गई। इससे परिवर्तन के रुझान का संकेत मिलता है। पहले राज्य का दर्शन कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुआ करता था, उसका स्थान अब बाजार अर्थव्यवस्था ने ले लिया है, फलस्वरूप व्यावसायिक एवं औद्योगिक गृहों के लिये यह वरदान सिद्ध हुआ है, उनका नैतिक उत्साह बढ़ा है और वे कम श्रम लागत पर भारी-भरकम लाभ अर्जित करने की ओर प्रवृत हो गए हैं। केवल श्रमिकों को कानून द्वारा प्रदत्त न्यूनतम सेवा लाभ देने से इंकार करने तथा सभी प्रकार की पर्यावरणीय आवश्यकताओं तथा सुरक्षा नियमों की अवहेलना करके ही इसे (भारी भरकम लाभ अर्जित करने की लालसा) संभव बनाया जा सकता है।

भारतीय उद्योगों द्वारा विषाक्त रसायनों का अंधाधुंध उपयोग हमारी चिंता का एक महत्वपूर्ण कारण हैं। आइ एल सी की रिपोर्ट के अनुसार जिन रसायनों का नियमित उपयोग होता है, उनकी संख्या 40,000 से कम नहीं है, इसके चलते शरीर की कोशिकाओं एवं स्नायु तंत्र सहित मानव शरीर के अन्य अंगों को गंभीर क्षति पहुंचती है। आइ एल ओ के अध्ययन से यह भी पता चला है कि विश्व में प्रति वर्ष इन विषाक्त रसायनों से 30 लाख से अधिक लोग पीड़ित होते हैं। भारत सहित अन्य सभी विकासशील देशों में इससे पीड़ित होने वाले लोगों की संख्या कहीं अधिक है।

क्योंकि हमारे देश में रोजगार का भयानक संकट चल रहा है, इसलिये कोई भी श्रमिक इन विषाक्त रसायनों के उपयोग से शरीर पर घातक प्रभाव पहले के तथ्य से परिचित एवं जागरूक होने पर भी व्यक्तिगत रूप से इसका प्रतिकार नहीं कर सकता।

इन अधिकांश उद्योगों में महिलाएं तथा बच्चे काम करते हैं। इस प्रकार उनके कार्य संचालन से लाखों लोग प्रभावित होते हैं। इसके दुष्परिणाम स्वरूप वे अपंगता, अक्षमता तथा अन्य व्यावसायिक रोगों का शिकार हो जाते हैं।

बहुराष्ट्रीय निगमों ने तो अपने विषाक्त तथा रेडियोधर्मी कचरे को ठिकाने लगाने के मैदान के रूप में भी विकासशील देशों का चुनाव कर लिया है। इससे हमारी भूमि, हमारी नदियां तथा समुद्री जल विषाक्त हो रहा है और सम्पूर्ण जनता के स्वास्थ्य पर इसका दूरगामी घातक प्रभाव पड़ रहा है।

श्रमिक संघों का दृष्टिकोण

अभी भी हमारे अधिकांश श्रमिक संघ बढ़ती औद्योगिक दुर्घटनाओं तथा व्यावसायिक रोगों के प्रति चिंता व्यक्त नहीं करते। यूनियन गतिविधियों में अधिकांश समय रोजगार सुरक्षा तथा उद्योग के चलते रहने से संबंधित आर्थिक मांगों तथा अन्य सेवा लाभों जैसे मुद्दों पर व्यतीत होता है।

कुछेक (अर्थात् मुट्ठी भर) श्रमिक संघ ही अपना कुछ समय सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण जैसे मुद्दे के लिये निकालते हैं और अपने सचिवमंडल की बैठकों की कार्यसूची में इसे सम्मिलित करते हैं। बहुत कम श्रमिक संघों ने इन समस्याओं के अध्ययन हेतु उप समितियों का गठन किया है। शायद ही इस संबंध में उनके द्वारा प्रबंधन को ठोस सुझाव अथवा मांगें प्रस्तुत की जाती हों ताकि उनके आधार पर स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरणीय स्थिति में सुधार लाने के लिये किसी कार्रवाई योजना को कार्यरूप दिया जा सके। प्रबंधन इससे

संबंधित कानूनों तथा अधिनियमों का पालन करने के मामले में पूर्णतया उदासीन रहते हैं किंतु इस पर श्रमिक संघों में अधिक चिंता उत्पन्न ही नहीं होती। ऐसे अनेक उद्धरण दिये जा सकते हैं जहां श्रमिक संघों ने प्रबंधन के साथ व्यक्तिगत सुरक्षा के लिये आवश्यक उपकरणों अथवा सुरक्षा प्रबंधों की अपेक्षा "सुरक्षा भत्ते" पर समझौते किये। सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के लिये संघर्ष को कुछ समय पहले तक फैशन गतिविधि अथवा उस स्थिति में जब कारखानों की विशाल संख्या पहले ही संकट ग्रस्त हो और अपने चलते रहने के लिये संघर्ष कर रही हो, इसे अव्यवहारिक माना जाता था। समग्र रूप में स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के मुद्दे को अभी भी श्रमिक आंदोलन की कार्यसूची में लाया जाना शेष है।

जब भोपाल की गैस त्रासदी अथवा कोलियरी अग्निकांड तथा न्यू केंडा कोयला खदानों में विध्वंसक अग्निकांड, सूरत में प्लेग जैसी महामारी फूट पड़ी तो इसके विरुद्ध अनेकानेक वक्तव्यों ने समाचार पत्रों की शोभा बढ़ाई तो कुछ हलचल अवश्य हुई किंतु उसके पश्चात् अगली दुर्घटना तक फिर वही सदियों पुरानी चुप्पी धारण कर ली गई।

स्थिति ने नया मोड़ उस समय ले लिया जब पर्यावरणीय आधार पर उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के आदेशों के चलते सैकड़ों कारखानों के ऊपर कामबंदी की तलवार लटकने लगी। श्रमिक संघ अत्यंत कठिन तथा दुःखदायी स्थिति में फंस गए हैं। प्रायः अदालतों के कानूनी निर्णय के विरुद्ध आंदोलन चलाना तथा प्रदूषण फैलाने वाली इकाईयों को उसी रूप में चलते रहने की अनुमति देना अथवा उसके सदस्यों को चुपचाप एवं शांतिपूर्वक छंटनी स्वीकार कर लेने का परामर्श देना कठिन होता है।

प्रत्येक प्रकार के कारखाने की समस्या का कोई सर्व सामान्य समाधान नहीं निकल सकता और न ही इस समस्या के साथ निपटना सहज है। प्रत्येक श्रमिक संघ को ये सभी दबाव ध्यान में रख कर समस्या के समाधान हेतु अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा और प्रत्येक संभव समाधान निकालने के लिये तत्पर होना होगा।

तथाकथित भूमंडलीयकरण के नाम पर बहुराष्ट्रीय तथा विदेशी निगम हमारी छवि को धूमिल करने के लिये सुरक्षा तथा प्रदूषण जैसे मुद्दों का उपयोग उपकरणों के रूप में कर रहे हैं। वे हमारे उद्योगों को हस्तगत करने और हमारे उत्पादों से पिंड छुड़ाने जो उनके अपने उत्पादों की तुलना में सस्ते हैं, के लिये हर प्रकार की चालबाजी से काम ले रहे हैं।

पश्चिमी देशों द्वारा हाल ही में बाल मजदूरी के नाम पर भारतीय कालीन, अग्नि हृदय होने के तर्क पर भारत के सिले-सिलाए वस्त्रों का आयात करने से इनकार किये जाने, भारत कृषि उत्पादों की प्रतिबंधित करने क्योंकि उनके लिये रसायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाओं का उपयोग किया जाता है, जैसी घटनाएं सर्वविदित हैं। हम पर्यावरणीय मुद्दों का उपयोग संरक्षणवादी उद्देश्य के लिये किये जाने की संभावनाओं को रद्द नहीं कर सकते। हमें विकसित देशों के इस अपवित्र दबावों से अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिये कड़ा संघर्ष करना होगा। किन्तु उसके साथ ही हम पर्यावरणीय समस्याओं की अनदेखी भी नहीं कर सकते।

हमारे कार्य

प्रौद्यागिकी, उत्पादन प्रक्रिया अथवा कारखाना स्थल को रातां रात अथवा कुछेक वर्षों में बदल देना संभव नहीं है। पहले ही संकटग्रस्त प्रमुख उद्योग अपने काम को पूर्णतया सुरक्षित बनाने के लिये अतिरिक्त धन लगाने तथा उसके साथ-साथ आर्थिक बर्बादी से बचने की सामर्थ्य नहीं रखते।

इस पर भी श्रमिक संघों को वर्तमान स्थिति में तीव्र गति से सुधार लाने के लिए श्रमिक वर्ग के मध्य जनमत जागृत करने के लिए भरसक प्रयास करने होंगे। जब हजारों करोड़ रुपये काले बाजार की शोभा बढ़ा रहे हो अथवा उन्हें विदेशी गुप्त खातों में जमा करा दिया जाता हो किन्तु दूसरी ओर संसाधनों की कमी के नाम पर हमारे श्रमिकों के जीवन तथा उनके अंगों की रक्षा के लिये धन का निवेश नहीं किया जाता तो उस स्थिति में हम मूकदर्शक बनकर बैठे नहीं रह सकते। भारत के औद्योगिक गृहों को व्यावसायिक वातावरण में सुधार लाने के लिये कुछ प्राथमिकताएं निश्चित करनी होगी और जलवायु को स्वच्छ बनाना होगा ताकि हमारा देश एक ऐसी धरती बन जाए जहां प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण सुरक्षा के साथ रह सकेगा।

श्रमिकगण ही इस समस्या को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। श्रमिक वर्ग का संघर्ष तथा पहलकदमी ही खराब विश्व व्यवस्था को बदल सकती है। हमें किसी न्यायिक अधिकारी की टिप्पणी अथवा आदेश की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये। हमें यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि अनेक कारखाना मालिक अपनी सारी मशीनरी अथवा प्रौद्योगिकी को बदल नहीं सकते—किन्तु वे स्वच्छ पेय जल की आपूर्ति करने, निजी सुरक्षा के उपकरणों को उपलब्ध कराने, कारखाने को समुचित ढंग से सुव्यवस्थित करने, गंदी हवा के निकास, रोशनदानों, शौचालय का बनवाने तथा हाथ इत्यादि धोने की समुचित व्यवस्था करने, पर्याप्त संख्या में विश्राम कक्ष बनवाने और कैन्टीन, साफ खाद्य पदार्थों की आपूर्ति, अत्यंत असुरक्षित कार्य के उन्मूलन तथा समुचित अभिचार के बिना विषाक्त निस्सारी तत्वों के विसर्जन के लिये वार्षिक बजट में उल्लेखनीय राशि रखने की स्थिति में तो है।

उद्यम स्तर पर श्रमिक संघों के कार्यकर्ताओं में सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाना अत्याधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। उद्यम स्तर पर सक्रिय श्रमिक संघों को कार्य स्थल की सुरक्षा तथा पर्यावरणीय खतरे जैसे मुद्दे दैनंदिन ट्रेड यूनियन गतिविधियों की अपनी नियमित कार्यसूची में अवश्यमेव रखने चाहिये। उत्पादन प्रक्रिया पर पूर्ण संशय तथा कार्य संचालन के प्रत्येक चरण में संभावित खतरे ऐसे में स्थानीय स्तर के श्रमिक संघ की कार्यसमिति के नेतृत्व के लिये अत्यावश्यक हो जाता है कि वह कामकाजी स्थल में स्थास्थ्य तथा सुरक्षा की समस्याओं का अध्ययन करे और उनका समाधान ढूंढ़ निकालने का प्रयास करे। यूनियन को श्रमिकों के मध्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता अभियान चलाना चाहिये। इससे सुरक्षा आंदोलन को विपथगामी होने अर्थात् केवल खतरा भत्ता मांग कर ही अपने कर्त्तव्य की इतिश्री मान लेने से रोका जा सकेगा। श्रमिक संघ में सुरक्षा पर एक उप समिति बनाने का सुझाव दिया जाता है यह उप समिति जागरूकता अभियान चलाएगी तथा श्रमिक संघ के नेतृत्व में स्वास्थ्य और सुरक्षा के मामलों में विशेषज्ञता लाएगी तथा उसे विकसित करेगी। ये कुछ ऐसी बाते हैं जिन्हें अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिये।

श्रमिक आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर भी पूर्ण गंभीरता के साथ सुरक्षा एवं पर्यावरणीय खतरों के विभिन्न पक्षों को उठाना होगा। प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाईयों के मामले में न्यायपालिका के हस्तक्षेप ने पहले ही श्रमिक आंदोलन की कार्यसूची में पर्यावरण से संबंधित मामलों को जोड़ दिया है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि औद्योगिक कार्यों के माध्यम से प्रदूषण फैलने जैसी समस्याओं की ओर अब तक श्रमिक आंदोलन ने ध्यान नहीं दिया। प्रदूषण के चलते हाल ही में कायर्बदी की बढ़ती घटनाओं के लिये यह भी एक उत्तरदायी कारक है। इसके कारण ही न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ा।

वर्तमान स्थितियों में जहां श्रमिक संघों को संयुक्त रूप से नियोजकों को दबाव डालना होगा कि वे (नियोजक) मशीनरी में समुचित सुधार लाकर, उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन लाकर तथा विसर्जन से पूर्व कचरे का अभिचार करके प्रदूषण को फैलने से रोकने के लिये आवश्यक कदम उठाएं। उन्हें समुचित आंतरिक संरचना को विकसित करने, उसे उपलब्ध कराने तथा प्रदूषण नियंत्रण के लिये आवश्यक धन का व्यय करने के लिये सरकार पर दबाव डालना चाहिये। श्रमिक आंदोलन को केंद्रीय तथा राज्य सरकारों पर दबाव डाल कर उन्हें प्रदूषण नियंत्रण हेतु अल्पावधि तथा दीर्घावधि की योजनाएं बनाने पर विवश करना चाहिये। इन योजनाओं में औद्योगिक गृहों तथा कार्पोरेट क्षेत्र को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये। सरकार औद्योगिक केंद्रों में प्रदूषण नियंत्रण तथा कचरा एवं निस्सारी तत्वों के अभिचार संयंत्रों की कुछ समुचित परियोजनाएं हाथ में ले सकती हैं। इन परियोजनाओं के लिये प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाईयों से संसाधन जुटाएं जाएं और सरकार भी इससे अनुपूरक निवेश कर सकती है ताकि प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण के लिये सीमित संसाधनों के उपयोग को सुनिश्चित बनाया जा सके।

इसके साथ ही उन औद्योगिक इकाईयों के श्रमिकों के हितों तथा रोजगार की रक्षा के लिये समुचित विधायी उपाय करने पर सरकार को विवश किया जाए जिन्हें प्रदूषण के कारण कामबंदी तथा अन्यत्र स्थानांतरण जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली स्थित औद्योगिक इकाईयों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने एक दिशा निर्धारित कर दी है किंतु इस संबंध में अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

यही नहीं एक ओर कोयला खदानों तथा गैर कोयला खदानों, पत्थर खदानों तथा रसायनिक संयंत्रों जैसे प्रमुख प्रदूषण प्रवण (प्रोन) तथा दुर्घटना प्रवण औद्योगिक क्षेत्रों वहीं दूसरी ओर असंगठित क्षेत्र में विभिन्न लघु निर्माता तथा प्रसंस्करण (प्रोसैनिंग) इकाइयों के संबंध में यह जानने के लिये कि वहां सुरक्षा नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, एक निगरान तंत्र बनाया जाना चाहिये। निगरानी के लिये समुचित तंत्र उपलब्ध कराया जाए तथा अपराधी पाए जाने वाले नियोजकों-प्रबंधकों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की जाए। इसके लिये व्यापक कानून बनाया जाना चाहिये और अंतिम रूप से श्रमिक आंदोलन पूर्ण गंभीरता के साथ इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये अपनी जोरदार आवाज उठाए।

न्यूनतम वेतन नीति

भारत सरकार ने देश में रोजगार के विभिन्न केंद्रों के कर्मचारियों तथा श्रमिकों के लिये कोई वेतन नीति नहीं बनाई है। इसलिये वेतन में उच्चतर संशोधन, कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों में वेतन समानता, निर्वाह ब्याज का निष्प्रभावन तथा राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन निर्धारित करने जैसे मामले केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में रोजगार की विभिन्न श्रेणियों में कार्यरत कर्मचारियों तथा श्रमिकों के संघर्ष के मुख्य लक्षण हैं।

कोई वेतन नीति नहीं होने के कारण असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की विशाल संख्या सर्वाधिक पीड़ित हो रही है। ये श्रमिक भारत की कुल श्रमशक्ति का 92 प्रतिशत से भी अधिक हैं। बार बार मांग किये जाने पर भी सरकार ने न्यूनतम वेतन का निर्धारण करने की कोई कसौटी नहीं बनाई है। इसलिये न्यूनतम वेतन की राशि राज्य दर, उद्योग दर उद्योग तथा एक ही राज्य एवं एक ही उद्योग में अलग-अलग है। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को मिलने वाले न्यूनतम वेतन गरीबी की रेखा से भी नीचे हैं। सभी उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में निर्बाध वृद्धि के चलते उनकी स्थितियां और भी बिगड़ चुकी हैं और उनके वास्तविक वेतन कम हो रहे हैं। कामकाजी महिलाओं की स्थिति तो बहुत ही खराब है क्योंकि उन्हें उनके पुरुष सहयोगियों के समान भी वेतन नहीं दिये जाते।

नयी आर्थिक नीति का प्रभाव

तथापि न्यूनतम वेतन के मुद्दे पर भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नयी आर्थिक एवं औद्योगिक नीति तथा संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम के प्रभावों की पृष्ठभूमि में विचार किया जाना चाहिये।

संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्रों में श्रमिकों की सघनता वाली लघु एवं नन्हीं औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने वर्ष 1967 से उत्पादन हेतु आइटमों को उनके लिये आरक्षित करना शुरू कर दिया था। इसका एक और उद्देश्य था उनमें बड़े इजारेदार घटानों का अनुप्रवेश रोकना तथा रोजगार का सर्जन। आरक्षित आइटमों की सूची उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई। वर्ष 1991 में यह 47 उद्योगों से बढ़कर 836 तक पहुंच गई। लघु उद्योग भारती द्वारा दिये गये आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग 27 लाख उद्योगों की लघु इकाईयां हैं, उनमें लगभग 3,75,000 करोड़ रुपये मूल्य के उत्पाद तैयार होते हैं और उनमें लगभग अढ़ाई करोड़ श्रमिक काम करते हैं। ये इकाईयां देश के औद्योगिक उत्पादन में 40 प्रतिश्त भाग का योगदान देती हैं। इन इकाइयों से वर्ष 1971-72 के 9.6 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 1994-95 में 35 प्रतिशत उत्पादों का निर्यात हुआ।

तथापि बढ़ते इजारेदारीकरण के चलते उद्योगों की लघु एवं नकदी इकाईयों जिनके संयंत्रों तथा मशीनरी पर 2 लाख रुपये से भी कम धन का निवेश हुआ है, और जो 1987-88 में एस एस आइ की गणना के अनुसार सभी एस एस आइ इकाईयों का 83 प्रतिशत बनती है, और जो श्रमिकों की अधिक सघनता वाली है, अन्य एफ एफ आइ इकाइयों की अपेक्षा अधिक रोजगार उपलब्ध कराती है, को बैंकिंग क्षेत्र द्वारा कम कामकाजी पूंजी प्रदान किये जाने के कारण हाशिये पर धकेला जा रहा है। इन नन्हीं इकाइयों ने अपने संसाधनों के एक प्रतिशत से भी कम संस्थागत (बैंक इत्यादि) ऋण लिया है जबकि ऋण का भारी भरकम भाग तो एस एस आइ इकाइयां ही हड़प कर गई हैं। यद्यपि नन्हीं इकाईयां अधिक संस्थागत ऋण प्राप्त करने के लिये एस एस आइ इकाइयों के भीतर संघर्ष करती रही हैं, तथापि आरक्षण नीति के चलते इन दोनों का इजारेदार घरानों के हमलों से बचाव होता रहा है।

उपरोक्त परिस्थितियों के चलते नन्हीं इकाइयों में कार्यरत श्रमिक घोर दरिद्रता जैसी स्थिति में धकेले जा चुके हैं। अन्य लघु इकाईयों में कार्यरत श्रमिकों के वेतन भी गरीबी की रेखा से नीचे हैं। इसलिये इन विशाल क्षेत्रों में न्यूनतम वेतन का प्रश्न एक ज्वलंत प्रश्न बन चुका है।

तथापि वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत लघु तथा नन्हीं इकाईयों के इन दोनों औद्योगिक क्षेत्रों के कपाट न केवल भारतीय इजारेदारों अपितु विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों के लिये भी खोल दिये गए हैं। इस नीति पर चलते हुए सरकार धीरे-धीरे आरक्षित आइटमों के आरक्षण को समाप्त करना शुरू कर दिया है। नरसिम्हा राव सरकार ने लघु इकाइयों के लिये पूंजी निवेश की सीमा 40 लाख से बढ़ा कर 60 लाख कर दी।

''संरक्षण से बढ़ावा देने तक'' के बहुराष्ट्रीय निगमों के उपदेशों का अनुसरण करते हुए नरसिम्हा राव सरकार ने 1991 की औद्योगिक नीति को लागू करने के लिये उदारीकरण की नीति के अन्तर्गत आबिद हुसैन समिति का गठन किया। उस समिति से कहा गया कि वह लघु तथा नन्हीं इकाइयों में औद्योगिक नीति को लागू करने के संबंध में ठोस उपायों का सुझाव दे। आबिद हुसैन समिति ने अपनी पैशाचिक रिपोर्ट (छोटे उद्यम-नयी नीति के दिशा निदेश) जो जनवरी 1997 में संयुक्त मोर्चा सरकार की सत्ता के समय प्रस्तुत की गई, आरक्षित आइटमों का आरक्षण तथा लघु एवं नन्हीं इकाइयों के लिये

विदेशी एक्विटी की सीमा पूर्णतया समाप्त कर देने की संस्तुति (सिफारिश की) दी। पहले कदम के रूप में आरक्षित आइटमों की सूची में और कांट-छांट की गई तथा अंतिम बजट ने संयंत्र तथा मशीनरी में निवेशित धन की सीमा पांच गुणा बढ़ा दी गई अर्थात् उसे 60 लाख रुपये से बढ़ा कर 3 करोड़ रुपये कर दिया गया। वर्ष 1991 के पश्चात् उद्योगों की लाखों लघु तथा नन्हीं इकाइयां बंद हो गई जिसके चलते श्रमिकों की भारी संख्या बेरोजगार हो गई।

संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम तथा श्रमिकों का संयोजन

उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमंडलीयकरण के दर्शन का व्यावहारिक स्वरूप संरचनात्मक समायोजन कार्याक्रम (एस ए पी) के द्वारा उसे लागू किये जाने की प्रक्रिया में देखा जा सकता है। सर्वप्रथम, संगठित सार्वजनिक क्षेत्र को धीरे-धीरे विखंडित किया जा रहा है और निजीकरण की दिशा में कदम बढ़ाने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य सरकारी रोजगारों में सेवाओं का संविदाकरण किया जाने लगा है (अर्थात् स्थायी कर्मचारियों के स्थान पर ठेका (संविदा) श्रमिकों को काम पर रखना)। श्रमिकों को रोजगार के लिये असंगठित क्षेत्र जहां पहले ही श्रमिकों की भारी धक्कम पेल हो रही है, में धकेला जा रहा है, दूसरे संगठित निजी क्षेत्र की भी सिकोड़ा जा रहा है और उसके श्रमिकों को भी असंगठित क्षेत्र में दर-दर की ठोकरें खाने के लिये छोड़ा जा रहा है। संगठित क्षेत्र में उत्पादित उत्पादों का उत्पादन अब असंगठित क्षेत्र तथा गृह आधारित औद्योगिक इकाइयों में किया जा रहा है और इन इकाइयों की संख्या निरंतर बढ़ रही है. इजारेदार उद्योगपति कम कामकाजी पूंजी लगाकर तथा अल्प वेतन देकर श्रमिकों का हृदयहीन शोषण करके भारी भरकम लाभ अर्जित कर रहे हैं। गृह आधारित उद्योग धंधों में तो श्रमिकों का शोषण और भी हृदयहीनता के साथ किया जाता है। इन उद्योग धंधों में कार्यरत श्रमिकों में भारी संख्या विशेष रूप से कामकाजी महिलाओं तथा बाल श्रमिकों की होती है। उन्हें उनके पुरुष सहयोगियों की तुलना में अत्यंत अल्प वेतन दिये जाते हैं।

असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का संयोजन भी इस प्रकार के संरचनात्मक समाचोजन कार्यक्रम के साथ-साथ परिवर्तित हो रहा है। क्योंकि संगठित क्षेत्र से श्रमिकों को निकाल बाहर किये जाने के कारण असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की भीड़ बढ़ रही है, उनमें भारी संख्या कुशल तथा अत्यंत कुशल श्रमिकों की है, इसलिये इस उदीयमान क्षेत्र में न्यूनतम वेतन का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण बनता चला जा रहा है।

आइ एल ओ कन्वेंशनें

भारत सरकार ने आइ एल ओ की अनेक कन्वेंशनों की पुष्टि तक नहीं की है। ये कन्वेंशनें उद्योग के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के साथ संबंध रखती हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कन्वेंशन न्यूनतम वेतन पर 1970 की कन्वेंशन संख्या 131 है। कन्वेंशन संख्या 131 सदस्य देशों से अनुरोध करती है कि वे निर्वाह व्यय के अनुरूप आवश्यकताओं के अनुसार न्यूनतम वेतन का निर्धारण करने के लिये कसौटी निश्चित करें अथवा व्यवस्था बनाएं। वह सभी रोजगारों में न्यूनतम वेतन के प्रावधान का विस्तार करने का अनुरोध करती है। वह सदस्य देशों से उन रोजगारों की सूची प्रस्तुत करने का अनुरोध भी करती है जिन्हें कुछ ठोस कारणों के चलते न्यूनतम वेतन के अन्तर्गत नहीं लाया जा सकता। रोजगारों की भारी संख्या न्यूनतम वेतन "नियमों" के अन्तर्गत आती ही नहीं है। कन्वेंशन संख्या 26 न्यूनतम वेतन का निर्धारण करने वाले तंत्र का गठन करने का अनुरोध करती है। सरकार ने न्यूनतम वेतन कसौटी निश्चित करने के लिये एक केंद्रीय न्यूनतम वेतन परामर्शदाता बोर्ड का गठन किया था। किन्तु बोर्ड ने किसी कसौटी का निर्धारण नहीं किया। सामाजिक सुरक्षा उपायों तथा श्रम कानूनों को लागू करने संबंधी आइ एल ओ कन्वेंशन की अवहेलना की जा रही है। उपरोक्त कन्वेंशनों के अतिरिक्त न्यूनतम वेतन पर तथा असंगठित क्षेत्र के विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों की कामकाजी तथा सेवा स्थितियों पर भी आइ एल ओ की अनेक कन्वेंशनें हैं जिनकी सरकार ने या तो पुष्टि ही नहीं की है और या उन्हें लागू करने से ही इंकार कर दिया है। श्रमिकों की इन श्रेणियों में कामकाजी महिलाएं, बाल श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, संविदा (ठेका) श्रमिक, खेत मजदूर इत्यादि आ जाते हैं।

आवश्कता पर आधारित वेतन

वर्ष 1957 में आइ एल ओ के 15वें सत्र ने न्यूनतम वेतनों का निर्धारण करने के लिये अधोलिखित कसौटी बनाई थी :

1. श्रमिकों तथा उनके परिवारों की न्यूनतम मानवीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम वेतन आवश्यकता पर आधारित होने चाहियें।

2. श्रमिक वर्ग का एक मानक परिवार तीन उपभोगी इकाइयों पर आधारित होना चाहिये जिसमें केवल एक सदस्य ही कमाने वाला हो। उस परिवार में चार सदस्य भी हो सकते हैं—एक स्वयं, दूसरी पत्नी तथा दो बच्चे।

3. प्रत्येक व्यस्क सदस्य की खाद्य आवश्यकता 2700 कैलोरीज प्रतिदिन मानी जाए।

4. चार सदस्यों पर आधारित प्रत्येक परिवार में कपड़े की न्यूनतम आवश्यकता 77 गज वार्षिक हो।

5. आवास के लिये एक श्रमिक के खर्चे का आंकलन सरकार द्वारा औद्योगिक आवास योजना के अंतर्गत सब्सिडी वाले सरकारी मकानों के लिये जा रहे न्यूनतम मकान किराए के आधार पर की जानी चाहिए।

6. ईंधन, प्रकाश इत्यादि फुटकल वस्तुओं पर श्रमिक के खर्च का आंकलन कुल न्यूनतम वेतन के 20 प्रतिशत की दर पर किया जाए।

तीन सदस्यों वाली एक पारिवारिक इकाई के लिये निर्धारित उपरोक्त नियम तथापि यथार्थ परक नहीं है क्योंकि समग्र परिवार कम से कम पांच सदस्यों पर आधारित होता हैं। आइ एल सी के 15वें सत्र ने आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन की अवधारणा के लिये केवल 15 उद्योगों को ही लिया था। इसका विस्तार करके सभी उद्योगों को इस गणना में सम्मिलित किया जाना चाहिये।

किन्तु 1957 में आयोजित 15वें श्रम सम्मेलन के 40 वर्षों के पश्चात् भी उपरोक्त लक्ष्य प्राप्त करना अभी दूर की बात ही प्रतीत होती है। सरकार तथा नियोजकों ने इसकी पूर्णतया उपेक्षा कर दी और वे आइ एल सी के 15वें सत्र के निर्णयों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वर्ष 1991 में रेपटाकोस ब्रेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड (1991 की अपील संख्या 4,336, अक्टूबर, 1991) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि —

''न्यूनतम वेतन'' की अवधारणा अब वह नहीं रही जो वर्ष 1936 में थी। यहां तक कि 1957 तो बहुत बाद की बात है... वेतन संरचना की प्रत्येक श्रेणी को सामाजिक न्याय दिया जाना चाहिये जो वर्तमान में हमारे समाज की एक जीवंत कड़ी है। वेतन संरचना के सामाजिक-आर्थिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए हम विचार व्यक्त करते हैं कि उद्योग में न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के लिये मार्ग दर्शक के रूप में अधोलिखत अतिरक्त अवयवों को जोड़ना आवश्यक है।

7. बच्चों की शिक्षा, चिकित्साकीय आवश्यकताएं, उत्सवों, समारोहों जैसे मनबहलाव के न्यूनतम साधन, वृद्धावस्था का प्रावधान, विवाह इत्यादि कुल न्यूनतम वेतन के 25 प्रतिशत पर आधारित हैं।''

बहुत समय पूर्व उच्चतम न्यायलय ने अपने एक पहले निर्णय में क्षमता न होने के संबंध में नियोजकों की दुहाई को रद्द कर दिया था। उसने कहा था कि न्यूनतम वेतन का निर्णय करते समय भुगतान क्षमता के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

श्रमिकों द्वारा कठोर संघर्ष करने के फलस्वरूप न्यूनतम वेतन अधिनियम बनाया गया था। तथापि न्यूनतम वेतन निर्धारित करने की कोई कसौटी न होने के कारण यह अधिनियम असंगठित क्षेत्र में खून-पसीना एक करके काम करने वाले श्रमिकों जो नियोजकों के शोषण से बचने के लिये सौदेबाजी करने की शक्ति नहीं रखते, को कोई राहत देने में सफल नहीं हो सका। यही नहीं, भारी संख्या में रोजगार इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते और सरकार ने मनमाने ढंग से जो न्यूनतम वेतन निर्धारित किये हैं, वे भी श्रमिकों को दिये नहीं जाते। और निर्धारित किये गए न्यूनतम वेतन गरीबी की रेखा के नीचे हैं और कर्मचारी इतने अल्प वेतन निर्धारित किये जाने के विरुद्ध अदालत में गए हैं। अनेक राज्यों में निर्धारित न्यूनतम वेतन मूल्य सूचक अंक के साथ जोड़े नहीं गए। इसलिये श्रमिकों के वास्तविक वेतन कम हो रहे हैं। इनमें क्षेत्रीय समानता भी नहीं है। इसके फलस्वरूप उद्योग एक राज्य से कम न्यूनतम वेतन वाले राज्य में स्थानांतरित हो रहे हैं, इसके चलते एक राज्य में बेरोजगारी फैलती है और दूसरे राज्य में अल्प वेतन देकर श्रमिकों का शोषण किया जाता है। असंगठित क्षेत्र में न्यूनतम वेतन के मामले में पूर्ण अराजक स्थिति पाई जा रही है।

जहां तक खेतमजदूरों का संबंध है, उनकी स्थिति अभी भी अत्यंत खराब है। श्रमिक संघों तथा खेत मजदूरों की ओर से निरंतर मांग किये जाने पर भी सरकार ने खेत मजदूरों के न्यूनतम वेतन की रक्षा के लिये केंद्रीय कानून नहीं बनाया है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिये मानक वेतन संरचना बनाने के लिये कोई भी प्रयास करने से पूर्व 15वें श्रम सम्मेलन में हुई बहस तथा शीर्ष अदालत के उपरोक्त निर्णय पर भी विचार कर लेना चाहिये। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय तथा राज्य दोनों ही क्षेत्रों के सभी रोजगारों को लाया जाना चाहिये। न्यूनतम वेतन को मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ना चाहिये तथा प्रत्येक छह मास के पश्चात् इसमें संशोधन किया जाए अथवा उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक के 50 बिन्दुओं जो भी पहले हों, की वृद्धि की जाए। अधिनियम में उसके अनुसार संशोधन किया जाए तथा उसे संविधान की 9 सूची में सम्मिलित किया जाए ताकि नियोजक इसके विरुद्ध अदालत का द्वार न खटखआ सकें।

आवश्यकता पर आधारित वेतन के मामले पर 15वें आइ एल सी नियमों के अनुसार विचार नहीं किया गया। यहां तक कि 15वें आइ एल सी के पश्चात् विभिन्न वेतन बोर्डों का गठन भी किया जा चुका है। सभी श्रमिक संगठनों द्वारा लगभग सभी भारतीय श्रम सम्मेलनों, स्थायी श्रम समिति की बैठकों तथा अब समाप्त हो चुके केंद्रीय न्यूनतम वेतन परामर्शदात्री बोर्ड जिसे न्यूनतम वेतन निर्धारित करने की कसौटी बनाने के लिये, आइ एल ओ नियमों के अनुसार गठित किया गया था, बराबर मांग करने पर, इस प्रश्न पर विचार किया गया।

राज्यों के श्रम मंत्रियों की बैठकों तथा क्षेत्रीय श्रम मंत्रियों की बैठकों में इस मुद्दे पर बार बार विचार किया गया है। ये बैठकें केंद्रीय श्रम मंत्री द्वारा समय-समय पर बुलाई जाती रही है।

किन्तु ये सब विचार विमर्श होने पर भी सरकार ने अभी तक 15वें आइ एल सी नियमों को लागू नहीं किया है और न ही उसने उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया है और न ही राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के लिये कोई निर्णय लिया है। अत: सम्पूर्ण असंगठित क्षेत्र में न्यूनतम वेतन गरीबी की रेखा के नीचे हुए हैं और इस क्षेत्र में पूर्ण अराजक स्थिति पाई जा रही हे। केंद्र तथा राज्य दोनों क्षेत्रों में ऐसी ही स्थिति बनी हुई है।

निचले स्तर के न्यूनतम वेतन

निचले स्तर के न्यूनतम वेतन के संबंध में सरकार की अवधारणा के अनुसार उसके नीचे और कोई न्यूनतम वेतन नहीं होने चाहिये और ये वेतन गरीबी की रेखा के नीचे भी नहीं होनी चाहिये। किन्तु सरकार की ओर से घोषणाएं किये जाने पर भी निचले स्तर के न्यूनतम वेतन गरीबी की रेखा के नीचे बने हुए हैं। योजना आयोग के अनुसार (आठवीं पंच वर्षीय योजना) गरीबी की रेखा 1991-92 के मूल्यों के अनुसार समायोजित की गई है और ये मूल्य ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिये क्रमवार 11,060 रुपये तथा 11,850 रुपये हैं। योजना आयोग द्वारा किये गए परिवार के आकार के लेखे के दृष्टिगत 5.08 ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 4.71 शहरी क्षेत्रों में है, अत: गरीबी की रेखा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 35 रुपये प्रतिदिन (अनुमानित) तथा शहरी क्षेत्रों के लिये 39 रुपये (अनुमानित) निश्चित की गई है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में आइ एल सी के 33वें सत्र ने 24-25 नवम्बर 1996 को इस मुद्दे पर एक बार पुन: विचार किया था। सभी केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने, इस विषय पर एक सामान विचार बनाने के लिये निर्णय लिखा था कि वे निचले स्तर के न्यूनतम वेतन गरीबी की रेखा के ऊपर रखने की मांग करेंगे जो 1991 में आनुपातिक सूचक

अंक (1960=100) उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार 25 प्रतिशत अर्थात् 50 रुपये प्रतिदिन था। सी आइ टी यू द्वारा आइ एल सी में यह मांग उठाई गई जिसका सभी केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने समर्थन किया था। सरकार ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं की थी।

तथापि इस आइ एल सी में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका और यह सत्र सी आइ टी यू द्वारा विरोध व्यक्त करने के साथ समाप्त हो गया था। किंतु सरकार ने उसके पश्चात् एक वक्तव्य जारी करके निचले स्तर का न्यूनतम वेतन 35 रुपये प्रति दिन निश्चित करने की घोषणा कर डाली। सी आइ टी यू, एटक तथा एम एम एस ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी करके सरकार की इस घोषणा को रद्द कर दिया था।

उपरोक्त संदर्भ मं असंगठित क्षेत्र की अखिल भारतीय समन्वय समिति ने भी अनेक बार इस मुद्दे पर विचार किया है। विशाखापट्टनम में 5-8 जनवादी, 1997 को संपन्न सी आइ टी यू महापरिषद (जनरल कौंसिल) की बैठक में भी इस मुद्दे पर विचार किया गया था।

आवश्यकता पर आधारित वेतन के लिये अभियान

महापरिषद (जनरल कौंसिल) में विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया-

1. हमें 15वें आइ एल सी द्वारा निर्धारित नियमों तथा 25 प्रतिशत अतिरिक्त वेतन देने के उच्चतम न्यायालय के निर्णयादेश के अनुसार आवश्यकता पर आधारित वेतन पाने के लिये जोरदार अभियान चलाना तथा संघर्ष करना चाहिये। हमारा अभियान शिक्षाप्रद हो ताकि श्रमिकगण 15वें आइ एल सी के निर्णयों और अपनी आवश्यकताओं से जागरूक हो सकें, न केवल पोषण भी दृष्टि से अपितृ उच्चतम न्यायालय के निर्णयादेश सहित अन्य आवश्यकताओं की दृष्टि से भी। इस अभियान को निरंतर जारी रखना आवश्यक है ताकि धीरे-धीरे संघर्ष के द्वारा आवश्यकता पर आधारित वेतन प्राप्त किया जा सके।

उन्हें यह बात समझ लेनी चाहिये कि वे दोनों समय उदारपूर्ति करने की स्थिति में भी नहीं है क्योंकि असंगठित क्षेत्र में उन्हें गरीबी की रेखा से भी नीचे के वेतन दिये जाते हैं।

2. परिवार की इकाई 5 सदस्यों पर आधारित हो, तीन सदस्यों पर नहीं।

3. यहीं पर बस नहीं, श्रमिकों को निर्वाह व्यय में वृद्धि होने पर पूर्ण निष्प्रभान की मांग करनी चाहिये। उनके वेतन उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक के साथ स्वयंमेव जुड़े हों और उनके वेतन में प्रत्येक छः मास के पश्चात् संशोधन हो अथवा सूचकांक में 50 पैसे प्रति बिंदु की दर से वृद्धि जो भी पहले हो, दी जाए।

4. सभी प्रकार के रोजगार न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत होने चाहिये।

5. उपरोक्त बिंदुओं के अनुसार न्यूनतम वेतन अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिये और उसे संविधान की नवम अनुसूची में सम्मिलित किया जाय।

6. पहले कदम के रूप में तत्काल प्रभाव से वेतन गरीबी की रेखा के ऊपर लाए जाएं. उसके लिये निचले स्तर के न्यूनतम दैनिक वेतन दिये जाएं जिसकी मांग सभी केंद्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा दी जा रही है और जिस पर हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं। नीचे दी गई गणना के अनुसार कुल देनिक वेतन 78.00 रुपये होगा और इसके साथ ही निचले स्तर का न्यूनतम वेतन 50.00 रुपये दैनिक घोषित किया जाए।

7. वेतन अंतर

इस तथ्य के दृष्टिगत कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का संयोजन संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम के चलते परिवर्तित हो रहा है, अनेक कुशल तथा यहां तक कि अत्यंत कुशल श्रमिक भी इस क्षेत्र में आकर काम करने के लिये विवश हो गए हैं। इसलिये अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल तथा अत्यंत कुशल श्रमिकों के लिये वेतन में अधोलिखित अनुपात से अंतर रखने का सुझाव दिया जाता है। और अकुशल श्रमिक के लिये निचले स्तर का न्यूनतम वेतन 78.50 रुपये होना चाहिये

1:1, 5:2: 2.5

तथापि सरकार ने 1950 के दशक में वेतन अंतर का सुझाव देने के लिये एक कार्यदल का गठन किया था। उस कार्यदल ने यह वेतन अंतर सुझाया था, 1:1 25:1.5 : 75:2.00 (विशेष कुशल)। आयोग को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये इस पर भी विचार करना चाहिये।

तथापि आयोग को इस प्रश्न प विस्तार से विचार करना होगा ताकि सी आइ टी यू का नवम महाधिवेशन इस मुददों पर कोई अंतिम निर्णय ले सके।

कुल दैनिक न्यूनतम वेतन

क. शहरी क्षेत्र में गरीबी की रेखा वाला वेतन सरकारी अनुमानों के अनुसार वर्ष 1991 के मूल्यों की दृष्टि से (आनुपातिक सूचकांक 1045)

-- 1960 = 100 39.00 रुपये

ख. उच्चतम न्यायालय के निर्णयादेश के अनुसार 25 प्रतिशत वृद्धि 9.25 रुपये

कुल 48.25 रुपये

ग. 1996 में आनुपातिक सूचकांक
(1960=100) 1646 रुपये

घ. कुल निचले स्तर का दैनिक
न्यूनतम वेतन 50.00 (गरीबी की रेखा से ऊपर)

$$\frac{1646 \times 50}{1045 \times 1} = 78.50$$

श्रमिक वर्ग तथा श्रमिक आंदोलन पर उनका प्रभाव

1. वर्ष 1991 में संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (सट्रक्चरल एडजस्टमैंट प्रोग्राम) के लागू होने के पश्चात् ''बाजार अर्थव्यवस्था'' की ''चमत्कारिक शक्ति'' का भारी उत्साह के साथ प्रचार किया गया था। यह कहा गया कि मानों बाजार अर्थव्यवस्था को भारत में पहली बार वर्ष 1991 में ही शुरू किया गया और ऐसा जताने का प्रयास किया गया कि इससे पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था में बाजार की तो कोई भूमिका ही नहीं थी।

2. किन्तु तथ्य तो यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था ने विकास के पूंजीवादी पथ को ही चुना था और उसमें बाजार की शक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका का निवेदन किया और इस अवधि में बाजार के समीकरण ऐसे रहे जिन्हें भारत के संदर्भ में आदर्श नहीं माना जा सकता जैसा कि हमारे नीति निर्धारकों ने दावा किया था।

3. स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत के सत्ताधारी वर्ग ने स्थिति की अनिवार्यता के चलते देश के आधारभूत तथा भारी उद्योगों, पूंजीगत सामान तथा आतंरिक संरचनात्मक उद्योगों के निर्माण में राज्य के हस्तक्षेप तथा राज्य की सामूहिक भूमिका की नीति को लागू किया ताकि निजी निवेशकों के लिये जीवंत आधार उपलब्ध कराया जा सके। इसके परिणामस्वरूप विशाल काम सार्वजनिक क्षेत्र के नेटवर्क का अभ्युदय हुआ था।

आर्थिक गतिविधियों से राज्य का पीछे हटना

4. वर्ष 1991 में आर्थिक गतिविधियों से राज्य के पूर्णतया पीछे हटने के दर्शन और यहां तक आर्थिक तथा विकास के पथ के विनियमन में उसकी भूमि भी इसमें सम्मिलित है, वर्तमान स्थितियों में भारतीय सत्ताधारियां द्वारा उठाए जाने वाले कोष/बैंक मार्का आर्थिक उपाय क्या हैं। इसका अर्थ है उद्योग में राज्य की प्रत्यक्ष भूमिका की समाप्ति और इसलिये सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का निजीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी पूंजी के लिये पूर्णतया खोल देने, श्रमिकों के संदर्भ में विनियमन हस्तक्षेपकारी राज्यों की भूमिका की समाप्ति और श्रमजीवी जनता को श्रम बाजार में मांग एवं आपूर्ति के हथकण्डों एवं बाजार के प्रभुओं की दया पर छोड़ देने जैसी बातें होने लगी हैं। बैंक/कोष दृष्टिकोण के अनुसार राज्य अथवा सरकार केवल बाजार के खिलाड़ियों (केवल पूंजीवादी शक्ति के लिये) के लिये मुक्त एवं अनुकूल वातावरण उपलब्ध करा सकते हैं। और यह काम उन्हें पूर्ण विनियमन के माध्यम से करना होगा।

दोषपूर्ण नीति की परिणति तथा सामंतवाद के साथ समझौता

5. ''मिश्रित अर्थव्यवस्था'' के तथाकथित मंडल को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् ही अपना लिया गया था। इस मण्डल में भी मूलभूत दुर्बलताएं हैं और भारत में आर्थिक विकास का इतिहास दर्शाता है कि भारत के सत्ताधारियों ने अपनी राजनीतिक अनिवार्यताओं के चलते इन दुर्बलताओं को और बढ़ाया तथा उन्हें पुष्ट किया है। यही नहीं आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका जिसकी परिकल्पना 1956 की औद्योगिक नीति के प्रस्ताव में की गई थी/की धार को निरंतर कुंद किया जाना रहा है और छिन्न-भिन्न करके उसे एकपक्षीय रूप से प्रभावी बनाया गया है। उसकी मूलभूत दुर्बलताओं में से एक भारत के नीति निर्धारकों की सामंतवादी शक्तियों के साथ समझौता करने की प्रवृति तथा भारत के कृपि क्षेत्र जहां 70 प्रतिशत जनसंख्या है, में सामंती भूमि सम्बन्धों की समाप्त करने में विफलता रही है। पूंजीवादी पथ का अनुसरण करते हुए देश के उद्योगीकरण के लिये किये गए प्रयासों तथा उनके साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सामंती आर्थिक संरचना का अधिपत्य एवं सह-अस्तित्व का दुष्परिणाम एक ओर विशाल ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उपलब्ध कराए गए दुर्लभ संसाधनों का मुठ्ठी भर ग्रामीण भूपति वर्ग के हाथों में अनुत्पादक जमाव तथा दूसरी ओर भारत की बहुसंख्य जनता के धीरे-धीरे दरिद्रता की दलदल में धंसते चले जाने के रूप में निकला है। इसके चलते औद्योगिक उत्पादों के लिये स्वदेशी बाजार के सिकुड़ने तथा उद्योगों का विलंबित विकास एवं क्षमताओं के अपूर्ण उपयोग के अतिरिक्त आर्थिक विकास के लिये संसाधन उपलब्ध कराने का संकट उत्पन्न हो गया है।

6. सामंती भूमि सम्बन्धों की समाप्त करने में भारतीय शासकों की विफलता औद्योगिकीकरण की गति तथा चरित्र में अनेक विसंगतियां उत्पन्न कर दी हैं और इसके फलस्वरूप वर्तमान में विद्यमान अर्थव्यवस्था के मूल ढांचे के भीतर उपलब्ध पूंजीवादी विकास की पूर्ण संभावनाओं तथा क्षमताओं का भी उपयोग नहीं हो पाया। और वास्तव में सामंतवाद के साथ यह समझौते आर्थिक गतिविधियों पर राज्य के नियंत्रण का नीति की धार को वर्षों से कुंद करने की प्रक्रिया तथा आयात-प्रतिस्थापन की नीति का परिणाम ही है। इसके अंतर्गत अधिक से अधिक क्षेत्रों को निजी क्षेत्र तथा विदेशी पूंजी के अधिक से अधिक क्षेत्रों को निजी क्षेत्र तथा विदेशी पूंजी के लिये खोल दिया गया है। इसमें उल्लेखनीय 1980 में नीतिगत दिशा में लाया गया भारी परिवर्तन सम्मिलित है। इसके अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के लिये आरक्षित क्षेत्रों की निजी पूंजी के लिये अधिक प्रवण (प्रोन) बना दिया गया और भारतीय अर्थव्यवस्था के बाढ़ द्वारों

की पूंजीगत सामान, उपभोक्ता वस्तुओं के तथा उनके उपकरणों के आयात के लिये विशाल स्तर पर खोल दिया गया। इसके चलते भारतीय उद्योग की आयातों पर निर्भरता कई गुणा बढ़ गई है और व्यापार की खाई और चौड़ी हो गई है। इसकी परिणति 1980 के दशक के अंत में तथा 1990 के दशक के प्रारम्भ में उत्पन्न विदेशी मुद्रा के संकट के रूप में हुई है।

7. अत: निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सामंतवाद के साथ अपवित्र गठबंधन तथा औद्योगिक आर्थिकता पर उसके प्रभाव के कारण नवीनतम संकट उत्पन्न हुआ है। इसकी परिणति संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम के कोष/बैंक स्वरूप के समक्ष भारतीय शासकों के आत्मसमर्पण के रूप में हुई है। मूल रूप से यह संरचना अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के विकासशील देशों जिनमें भारत की सम्मिलित है, की अर्थव्यवस्थाओं में अनुप्रवेश को सहज बनाने के लिये की गई है। यह काम इन देशों के स्वदेशी उद्योग तथा आत्मनिर्भर विकास के मूल्य पर किया जा रहा है। पूर्व सोवियत संघ तथा पूर्वी युरोप में समाजवाद का पराभव होने के कारण यह प्रक्रिया और तीव्र हुई है और साम्राज्यवादी शक्तियां विकासशील देशों की की अर्थव्यवस्थाओं पर धावा बोलने के लिये और दु:साहसी हो गई है, इसमें संदेह नहीं है।

8. सामंती तत्वों ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में सामाजिक पिछड़ेपन की दृष्टि से अपना शाखा विस्तार किया है। औद्योगिक प्रबंधन पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ा है और इसक साथ-साथ इसका प्रकटीकरण देश के सार्वजनिक क्षेत्र के विशाल नेटवर्क के कुप्रबंधन के रूप में हो रहा है।

जनगण के मूल्य पर पूंजी को सभी सुविधाएं

नयी नीतिगत सत्ता भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वारा पूर्ण रूप से बाहरी विश्व के लिये खोल देने और इसके साथ-साथ सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों से राज्य द्वारा अपना पल्लू छुड़ा लेने की दिशा की ओर अग्रसर है। वह केवल आंतरिक संरचना तथा कानूनी ढांचा उपलब्ध कराने का कार्य करता है। आंतरिक संरचना के क्षेत्र में भी राज्य की ओर से क्रय-गारंटी तथा लाभ गारंटी के रूप में निजी तथा विदेशी पूंजी की विशाल स्तर पर सहायता की जा रही है। नयी स्थितियों में राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह जन साधारण को उपलब्ध कराई जाने वाली सभी प्रकार की सब्सिडी वापस ले लेवे, और कार्पोरेट सेक्टर तथा बुर्जुआजी को उसकी आय तथा लाभ पर किसी भी कर के बोझ से पूर्णतया मुक्त कर दे। राज्य से यह अपेक्षा भी की जाती है कि वह सार्वजनिक क्षेत्र को खण्डित कर दे, अर्थव्यवस्था पर अपने नियंत्रण को ढीला कर दे तथा इस प्रकार देश के औद्योगिक आधार का क्षरण हो लेने दे। सिकुड़ते स्वदेशी बाजार की पृष्ठभूमि में निर्यातोन्मुखता किसी भी उत्पादक-उद्यम के लिये प्रेरक शक्ति हो और इसलिये आयातों पर किसी पकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिये।

10. केंद्रीय सरकार के उत्तरोत्तर वार्षिक बजटों विशेष रूप से वर्ष 1991 के पश्चात्, ने उपरोक्त दिशा तथा अवधारणा के प्रति अपनी दृढ़प्रतिबद्धता को व्यक्त किया है। इनके अंतर्गत सीमा शुल्कों में जबरदस्त कटौती की गई है, कार्पोरेट तथा सम्पत्ति कर में भारी राहत दी गई है, इजारेदार घरानों तथा विदेशी पूंजी को उदार छूटें और इसके साथ-साथ दरिद्रता उन्मूलन, शिक्षा तथा सामान्य जनता के हित की सभी मदों पर धन के आबंटन को कम करने जैसी बातें हो रही हैं। आर्थिक गतिविधियों से राज्य के पीछे हटने का प्रकटीकरण धीरे-धीरे पूंजी विनिवेश करके सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के निजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाइयों की पुनर्जीवित नहीं करने तथा दूरसंचार, खनन, तेल, ऊर्जा, प्रतिरक्षा उद्योगों बीमा (अब तक आंशिक रूप से) इत्यादि अति संवेदनशील क्षेत्रों को निजी तथा विदेशी पूंजी के लिये खोला जा रहा है।

11. नयी नीतिगत सत्ता के एक और महत्वपूर्ण पक्ष की ओर भी ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। सरकार कुछ बाध्यताओं के चलते आयात पर भाड़ा-दरों को समाप्त कर रही है, कार्पोरेट गृहों तथा बड़ी बुर्जुआजी पर कर-बोझ कम कर रही है और ग्रामीण क्षेत्र के समूह वर्ग पर कर न लगाना भी उसकी बाध्यता है। सामान्य जन गण द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं पर कर अभी भी आप का प्रमुख स्रोत बना हुआ है। उसकी भी अपनी सीमाएं हैं। सामान्य रूप से नयी नीतिगत सत्ता के अंतर्गत सरकार के राजस्व का आधार उल्लेखनीय सीमा तक दुर्बल हो गया है। पिछले बजट के पश्चात् कर-जी डी पी अनुपात केवल 10.5 प्रतिशत पर स्थिर रहा जबकि उसकी तुलना में अनेक विकासशील देशों में यह अनुमान 20 पतिशत था। अत: इजारेदार गृहों, विदेशी पूंजी तथा ग्रामीण क्षेत्र के समूह वर्ग को करों में भारी छूटें देने के चलते देश के राजस्व-आधार के सिकुड़ने की पृष्ठभूमि में और विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वित्तीय घाटे मे भारी कमी लाने के लिये लादी गई शर्त एवं बाध्यता के कारण सामान्य जनगण के कल्याण तथा मूलभूत अनिवार्य सेवाओं पर होने वाले खर्च में जबरदस्त कटौती की जा रही है। इसका दुष्प्रभाव जनजीवन तथा जनता के जीवन स्तर पर पड़ता है। तथा स्वदेशी बाजार और भी सिकुड़ कर रह जाता है। संक्षेप में, इस पूरे बजट तथा वित्तीय कार्यकलाप की पूरी दिशा आर्थिक क्षेत्र में धीरे-धीरे राज्य की भूमिका को हाशिये पर धकेल देने वाली है "सामाजिक कल्याणकारी राज्य" की तथाकथित अवधारणा धीरे-धीरे अपना अर्थ खोती चली जा रही है। और उसके स्थान पर "जिसकी लाठी उसकी भैंस" के सिद्धांत को ही पुन: लागू किया जा रहा है।

12. अत: स्वाभविक है कि नयी नीतियों की शाखाओं-प्रशाखाओं ने भारतीय अर्थव्यवस्था के सम्पूर्ण शरीर पर अपना दुष्प्रभाव छोड़ा है।

ऋण का मकड़जाल

13. वर्ष 1990 में भुगतान संतुलन के संकट को ही पुरानी नीति का परित्याग करके कोष/बैंक के नुसखों पर आधारित उदारीकरण की नीति लागू करने का मूल कारण बताया गया था। नयी नीति का अनुपालन करते हुए पांच वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, इस पर भी भुगतान संतुलन का संकट बना हुआ है और देश का ऋणों के मकड़जाल में फंस जाना अवश्यंभावी प्रतीत होने लगा है। वर्ष 1995 में चालू बजट घाटा 2.1 लाख करोड़ से बढ़ गया था। देश में विदेश मुद्रा का भंडार यद्यपि प्रत्यक्ष यप से उसकी अत्यन्त उत्साहवर्धक स्थिति दर्शाई जाती है और वह मार्च 1996 के अंत में 21,6870 लाख डालर था, किन्तु उसका बहुत बड़ा भाग विदेशों में प्राप्त किये गए ऋण तथा पोर्टफोलियो निवेश से होने वाली

राशि के अन्तर्वाह का ही है। और यह भंडार भी देखते ही देखते उड़न छू ही जाएगा। विश्व बैंक ने भी इस तथ्य को अपनी नवीनतम रिपोर्ट में स्वीकार किया है। प्रति वर्ष विदेश पूंजी के कुल अंतर्वाह में 70 प्रतिशत से अधिक विदेशी पूंजी पोर्टफोलियो निवेश के रूप में आती है। यह क्रय उदारीकृत सत्ता के पिछले पांच वर्षों से जारी है। देश पर विदेशी ऋण जी डी पी का 32.8 प्रतिशत (96 लाख करोड़ डालर) बना हुआ है।

श्रमिकों पर प्रभाव:

बढ़ती दरिद्रता, गिरते वास्तविक वेतन

14. नयी नीति का श्रमिकों पर अत्यंत धावक दुष्प्रभाव पड़ा है। उदरीकरण की नीति ने देश की 80 प्रतिशत से अधिक जनता के जीवन को दु:खदायी बना डाला है। अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य आकाश को छू रहे हैं। और इसके चलते समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में भारी गिरावट आई है। आनुपातिक वार्षिक मुद्रास्फीति 10 प्रतिशत है, इसकी पृष्ठभूमि में सामान्य जनगण की क्रय शक्ति में चौंका देने वाली सीमा तक गिरावट आ गई है। यहां तक कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों की बिक्री में जबरदस्त कमी हुई है। वर्ष 1991-92 में इन खाद्यान्नों की बिक्री 188 लाख टन थी जबकि 1994 में कम होकर 141 लाख टन रह गई और उसके बाद के वर्षों में भी यही रुझान चल रहा है।

15. खेत मजदूर जो श्रम शक्ति की विशाल बहुसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, के वास्तविक वेतनों में भी भारी कमी आई है। भरपूर, मानसून होने पर भी अनाज के उत्पादन में हाल ही के वर्षों में कमी आई है। नेशनल सेम्पल सर्वे के अनुमानों के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में दरिद्रता 1990-91 के 34.04 प्रतिशत से बढ़ कर 1994 के अंत तक लगभग 44 प्रतिशत हो गई थी और निरपेक्ष रूप में इस समय ग्रामीण भारत में दरिद्रजनों की संख्या 24.50 करोड़ तक पहुंच चुकी है।

बढ़ती बेरोजगारी

16. नयी नीति की सत्ता का सबसे बड़ा शिकार भारत का विद्युत उत्पादन क्षेत्र रहा है। इसके फलस्वरूप नीति निर्धारकों का यह दावा सत्य सिद्ध नहीं हो पाया कि इसके चलते देश में रोजगार बढ़ेगा तथा समृद्धि आएगी। बेरोजगारी की दर निरंतर चौंका देने वाली सीमा तक बढ़ रही है। वर्ष 1991 में यह दर कुल श्रम शक्ति का 3.1 प्रतिशत थी और 1994 में बढ़कर 5.5 प्रतिशत हो गइ। बेरोगारी में वार्षिक वृद्धि की दर रोजगार कार्यालयों में पूंजीकृत नामों के अनुसार वर्ष 1995 में पहले ही 2.80 करोड़ तक पहुंच चुकी है। रोजगार सर्जन निरंतर नहीं हो रहा। यहां तक कि जी डी पी की निस्तेज वृद्धि का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा। नयी नीति सत्ता के अंतर्गत रोजगार वृद्धि की क्षमता में निरंतर कमी हुई है। वर्ष 1994 में यह केवल 0.41 प्रतिशत थी। इसके चलते हमें रोजगार विहीन सत्य का सामना करना पड़ रहा है।

17. उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त असंगठित तथा ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त अर्ध रोजगार की स्थिति पूर्ण बेरोजगारी में परिवर्तित हो रही है। इस परिवर्तन के भी समुचित कारक हैं; इसके चलते बेरोजगारी की दर निश्चित रूप से कम से कम 25 प्रतिशत बढ़ जाएगी।

18. समस्या का अंत यहीं पर नहीं हो जाता। इसके साथ-साथ हमें औद्योगिक बीमारी तथा श्रम शक्ति के आधिक्य की समस्या के साथ भी दो चार होना पड़ रहा है।

19. एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिक बीमारी तथा विभिन्न अन्य कारणों से चलते संगठित क्षेत्रों में श्रमशक्ति का आधिक्य 25 लाख तक पहुंच चुका है। इनमें से लगभग 7 लाख श्रमिक बीमार औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत हैं जो सरकारी तथा अर्धसरकारी संगठनों में कार्यरत श्रमशक्ति के 18.2 प्रतिशत है। निजी संगठित क्षेत्रों में श्रमिकों का आधिक्य 13 लाख तथा उद्योगों के लघु क्षेत्र में लगभग 10 लाख है।

रोजगार सर्जन पर रोजगार क्षति की काली छाया

20. उदारीकरण लागू होने के बाद की अवधि में रोजगार सर्जन का ढाचा कुछ कटु सत्यों का उद्घाटन करता है। वर्ष 1991-95 के दौरान संगठित क्षेत्र द्वारा रोजगार का सर्जन प्रति वर्ष एक प्रतिशत से कहीं कम किया गया। यह अधिकांशतया 0.5 प्रतिशत से भी नीचे रहा। संगठित क्षेत्र की अपेक्षा अनौपचारिक/ असंगठित क्षेत्र में रोजगार सर्जन की दर अधिक रही, इसमें संदेह नहीं। किन्तु असंगठित क्षेत्र में रोजगार विहीनता की बारम्बारता और ऋतुनिष्ठ तथा अस्थायी श्रमिकों की पुरानी प्रकृति के चलते रोजगार वृद्धि की यह दर अवरुद्ध होकर रह गई है। यहीं पर बस नहीं औद्योगिक बीमारी तथा श्रम शक्ति को तर्कसंगत बनाने की प्रक्रिया के चलते संगठित क्षेत्र में रोजगार क्षति हुइ है। शुद्ध अर्थों में रोजगार वृद्धि लगभग नकारात्मक ही रही है।

श्रमशक्ति का अस्थायीकरण

21. पूर्ण कालिक उत्पादक रोजगार का सर्जन करने की अपेक्षा उदारीकरण की नीति ने समग्र रूप में श्रम शक्ति का अधिक अस्थायीकरण तथा अनौपचारिक करण किया है। उद्योग के लगभग सभी क्षेत्रों में भारी संख्या में स्थायी रोजगार समाप्त किये जा रहे हैं और ये काम ठेकेदारों तथा सहायक एजेसियों को दिये जा रहे हैं। औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में यह एक स्थायी संवृति बन चुकी है। संगठित क्षेत्र और विशेष रूप से सरकारी सेवा क्षेत्र संविदा (ठेका) प्रणाली के सबसे बड़े प्रोत्रक के रूप में उभर चुके हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात श्रमिकों में 80,000से अधिक संविदा श्रमिक हैं और भारतीय रेलवे ने रेल परिचालन के विभिन्न चरणों में एक लाख से अधिक संविदा कर्मचारी रखे हैं। डाक तार सेवाएं, दूरसंचार सेवा तथा सार्वजनिक क्षेत्र की अनेक अन्य निर्माता तथा सेवा इकाइयों जैसे विभिन्न सरकारी विभागों के मामले भी यही स्थिति बनी हुइ है। इन विभागों में नियमित रूप से पुरानी श्रम शक्ति को घटाया जा रहा है और उसके स्थान पर संविदा श्रमिकों की भर्ती की जा रही है। सम्पूर्ण निर्माण उद्योग जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां भी सम्मिलित हैं, संविदा अथवा अस्थायी श्रम शक्ति के आधार पर चल रही है। बाजार संचालित तथाकथित नीतिगत सत्ता के स्थापित होने के पश्चात् काम के संविदाकरण तथा अस्थायीकरण की गति ने और लम्बी छलांग लगाई है।

22. नयी आर्थिक नीतिगत सत्ता उद्योगों में उत्पादन-संगठनों में कुछ संरचनात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में भी अपना योगदान दे रही है। इसका रोजगार ढांचे, रोजगार की स्थिति तथा यूनियनकरण पर प्रभाव पड़ना भी अवश्यंभावी है। ये परिवर्तन अत्यंत विशाल स्तर पर हो रहे

हैं और नयी नीतिगत सत्ता इन परिवर्तनों को बढ़ावा दे रही है। ऐसे भी उदाहरणें हैं जहां कुछ कम्पनियां कभी अपने बड़े कारखानों में उत्पादन के जबरदस्त ढांचे को चलाती थी, उनमें हजारों श्रमिक काम करते थे। इन श्रमिकों की आफ-लोडिंग प्रक्रिया के अंतर्गत बाहर धकेल दिया गया और वे अनेक लघु इकाइयों/ एजेंसियों तथा गृह आधारित इकाइयों में स्थानांतरित हो गए यह काम श्रमिक शक्ति को आधिक्य को दर्शा कर कारखाने को न चला कर उन्हें बीमार घोषित करके किया गया। बाटा और बिजली एवं इलेक्ट्रानिक सेक्टर की अनेक इकाईयां उत्पादन विकेन्द्रीकरण के रुझान की उद्धरणें हैं। वास्तव में उत्पादन की कारखाना प्रणाली में विक्रेन्द्रीकरण का यह रुझान पहले ही शुरू हो चुका था जिसके अंतर्गत श्रम शक्ति का अनौपचारिककरण अधिक हुआ है। और यह श्रम शति के अधिकाधिक असंगठित क्षेत्र में स्थानानांतरित होने की प्रक्रिया बन रही है। हमारे जैसे भारी-बेरोजगारी के परिदृश्य में, इस प्रकार का रुझान श्रम मानकों तथा रोजगार की गुणवत्ता में तेजी से आ रही गिरावट की ओर संकेत करता है। इसके अतिरिक्त इसका श्रमशक्ति के यूनियनकरण पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। विकेंद्रीकृत कारखाना व्यवस्था का उक्त रुझान ने असंगठित क्षेत्र की समस्या में नये आयाम जोड़े हैं जो दीर्घावधि से श्रम सघनता के आधिपत्य वाला रहा है और जो वर्गीकरण की दृष्टि से अकुशल श्रेणी के श्रमिक हैं।

ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमला

23. उदारीकरण की नयी नीति ने श्रमिकों के ट्रेड यूनियन तथा जनवादी अधिकारों पर अपने हमले और तेज कर दिये हैं।

24. श्रमिक तथा जनवादी आंदोलन की शक्ति इस विशाल देश में असमान रूप से फैली है और देश में श्रमिक आंदोलन के कमजोर आधार वाले स्थानों में कानून नाम की कोइ चीज नहीं है और कर्मचारियों का बेरोकटोक शोषण होता है। असंगठित क्षेत्र के सर्वाधित इससे सर्वाधिक पीड़ित हुए हैं। कर्मचारियों द्वारा नृसंसतापूर्वक श्रम कानूनों तथा श्रमिकों को विधायी न्यूनतम वेतन एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं, दुर्घटना लाभ, सुरक्षा नियमों इत्यादि का पालन करने के अपने विधायी दायित्वों की नियोजकों द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही है। पूरे देश भर में फैले नियति प्रसंकरण अंचलों में स्थिति बदतर हो चुकी है। यहां तक कि श्रमिक संघों को भी उनके परिसरों में घुसने नहीं दिया जाता और श्रमिक अत्यंत अमानवीय स्थितियों में वहां काम करने के लिये विवश होते हैं। उन्हें अत्यंत अल्प वेतन दिये जाते हैं और काम से निकाल बाहर करने की नंगी तलवार सदा उनके सिरों पर लटकाएं रखी जाती हैं।

25. सरकारों द्वारा श्रम कानूनों का ऐसा उल्लंघन प्रत्यक्ष रूप में किया जाता है। इसके लिये उन्होंने विभिन्न राज्यों में सम्बन्धित प्रवर्तन द्वारा प्रबंधन में हस्तक्षेप न करने के लिये समय-समय पर निरीक्षण करने की प्रणाली का परित्याग कर दिया है। इसके साथ ही श्रम विभाग के अंतर्गत अत्यंत अकुशल तथा कछुए की चाल से विवादों का निपटारा करने वाला गठन रही सही कसर को पूरा कर देता है।

26. संगठित क्षेत्र में यूनियनकरण की दर अपेक्षाकृत ऊंची है। इस क्षेत्र में श्रमिकों के ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमले बढ़ रहे हैं। बीमा क्षेत्र के कर्मचारियों को सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार प्राप्त नहीं है। सरकार किसी भी कानूनी हड़ताल को गैर कानूनी करार देने के अपने अधिकार को बढ़ रही है। इस प्रकार की कार्रवाइयां उसने कोयला उद्योग, डाक एवं तार क्षेत्र तथा सफदरजंग अस्पताल के कर्मचारियों की हड़तालों के मामले में की है। पिछले पांच वर्षों में ट्रेड यूनियन कार्रवाइयों पर एसमा लागू करने के मामले कई गुणा बढ़ चुके हैं। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के संघों को मान्यता देने के सम्बन्ध में एकपक्षीय ढंग प्रतिगामी कानून लागू करना श्रमिकों के ट्रेड यूनियन अधिकार का निर्लज्ज हनन करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

श्रम बाजार के विनियमीकरण की ओर

27. कोष/बैंक की उदारीकरण नीति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवयव श्रमिकों का विनियमीकरण करना है। नयी नीतिगत सत्ता के अंतर्गत श्रम कानूनों की ओवरहालिंग करने का प्रस्ताव है ताकि श्रमिकों ने जो भी नाममात्र के अधिकार प्राप्त किये हैं, उन्हें उनसे भी वंचित कर दिया जाए। वर्तमान श्रम कानूनों की पहले ही बहुत कम सीमाएं हैं और उनका झुकाव नियोजकों के पक्ष में है। किन्तु अभी भी सत्ताधारी वर्ग विदेशी निवेशकों तथा भारतीय पूंजीपतियों के दबाव में आकर श्रमिकों संरक्षण देने वाले किसी भी कानून भले ही उसका अधिकार क्षेत्र कितना भी छोटा क्यों न हो, को कर देने की तत्पर है ताकि श्रमिकों को पूर्णतया अधिकार विहीन बना दिया जाए। श्रमिक अपने अधिकार का उपयोग नहीं कर सकें। और नियोजक श्रमिकों को अपनी इच्छानुसार काम पर रखने और जब चाहे निकाल बाहर करने का अधिकार प्राप्त करके श्रमिकों के प्रति अपनी कानूनी दात्यिवों से मुक्ति प्राप्त कर सकें। औद्योगिक संबंधों सम्बंधी कानून के प्रस्तावों जिन्हें भारतीय श्रम सम्मेलन में प्रसारित किया गया था, को यदि ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए तो नियोजकों तथा सरकार की हताशा भरी कार्रवाइयां अनावृत हो जाती है।

28. उदारीकरण की नीतियों के धर्मगुरू अर्थशास्त्री यह तर्क देना चाहते हैं कि श्रम कानूनों का विनियमीकरण अथवा दूसरे शब्दों में श्रम कानूनों की कठोरता को कम करना आवश्यक है ताकि श्रमिकों को जब चाहे रखने और जब चाहे निकाल बाहर करने सम्बंधी नियोजकों के अधिकार को सुनिश्चित बनाया जा सके। और यह रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना का उपकरण सिद्ध होगा। किन्तु न केवल भारत में अपितु विश्व भर में इस प्रकार की कार्रवाहियों के संबंध में हमारा अपना अनुभव अलग कहानी ही कहता है। आई एल ओ द्वारा प्रकाशित विश्व रोजगार रिपोर्ट (1996-97) ने टिप्पणी की है, "आंखें मूंद कर इस तथ्य को मान लेने का कोई आधार नहीं है कि ये कानून निश्चित रूप से कठोर हैं और कि विनिमयीकरण से स्वयंमेव ही समस्या (बेरोजगारी की समस्या का) का समाधान निकल आएगा।"

सर्वव्यापी गिरावट

29. पिछले पांच वर्षों से अपनाई गई उदारीकरण की नीति के चलते अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सर्वव्यापी गिरावट आई है और इसका सर्वाधिक दुष्प्रभाव श्रमिक वर्ग पर पड़ा है।

30. सर्वप्रथम इसमें औद्योगिक बीमारी को बढ़ाया है और सैकड़ों-हजारों श्रमिकों के रोजगार को हाशिये पर धकेल दिया है। सरकारी नीति बीमार उद्योगों के पुनर्जीवन की संभावनाओं को अवरुद्ध करती है।

31. दूसरे, प्रतिस्पर्धात्पक स्थिति उत्पन्न करने के नाम पर

अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के साथ-साथ भारी संख्या में स्वदेशी उद्योग भी सम्मिलित हैं। और विशेष रूप से परिष्कृत सामान के आयातों का उदारीकरण किया जा रहा है।

32. तीसरे, जूट, कपड़ा इत्यादि परंपरागत क्षेत्र के उद्योग पर उदारीकरण की नीति का सर्वाधिक दुष्प्रभाव पड़ा है और वे भूमण्डलीयकरण से उत्पन्न वातावरण में चले नहीं पा रहे। विशेश रूप से कपड़ा क्षेत्र में परम्परागत औद्योगिक इकाइयां संकटपूर्ण स्थिति को झेल रही है क्योंकि उस क्षेत्र में अनेक निर्यातोन्मुखी इकाइयां उभर रही है। इन इकाइयों में उच्चतर प्रौद्योगिक उपयोग में लाई जाती है और श्रमिकों को अत्यंत अल्प वेतन दिये जाते हैं।

बहुराष्ट्रीय निगमों की और अधिक बाजार चाहियें

33. आज तक उद्योग में जो भी विदेशी निवेश हो रहा है, वह वर्तमान उपक्रमों हस्तगत करके तथा संयुक्त उद्यमों को खोलने के माध्यम से हो रहा है। इससे रोजगार के अवसर नहीं बढ़े हैं। बहुराष्ट्रीय निगम भारतीय कंपनी को लेने के स्थान पर श्रम शक्ति को तर्क संगत बनाने के नाम पर उसके श्रमिकों पर दबाव डालती है और उनके ट्रेड यूनियन अधिकारों की धज्जियां उड़ाती हैं। इसका श्रमिकों तथा रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इस संदर्भ में टामको द्वारा अधिगृहीत हिन्दुस्तान लीवर, जिल्लट द्वारा अधिगृहीत ब्लेड निर्माता कम्पनी मैसर्ज मल्होश, कोका कोला द्वारा अधिगृहीत मैसर्ज पारले गोबल्ड की उदाहरणें दी जा सकती हैं। बहुराष्ट्रीय निगमों की अधिक दिलचस्पी भारतीय बाजार में है। इसकी अपेक्षा नये कारखाने लगाने तथा उत्पादन की सुविधाएं उपलब्ध कराने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है।

34. जहां कहीं भी नये उद्यमों/इकाईयों की स्थापना हुई है- वे अधिकतर पूंजी की सघनता वाले क्षेत्र हैं और निवेश तथा उत्पादन क्षमता की तुलना में वहां कम से कम रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। यहीं पर बस नहीं, अनेक उद्योगों में यूनियनकृत श्रम शक्ति के पक्ष में होता है। नयी इकाइयों में यह रुझान विशेष रूप से पाया जाता है। ये इकाइयां उदारीकरण के वर्षों में अस्तित्व में आई है।

भारत को अ-उद्योगीकरण का सामना

इन नीतियों के समग्र रुझान की इस प्रकार रेखांकित किया जा सकता है। उदारीकरण की नीति स्वेदेशी औद्योगिक आधार का क्षरण करने का काम कर रही है। शुद्ध अर्थों में, औद्योगिक क्षेत्र की उत्पादन गतिविधियों का विकास नहीं किया जा रहा। जो भी नये उद्यम अस्तित्व में आ रहे हैं उन्हें रोजगार सर्जन के मामले में निष्प्रभावी बनाया जा रहा है। बीमारी, कामबंदी तथा अनेक सार्वजनिक इकाइयों को अन्यायोचित प्रतिस्पर्धा के माध्यम में बाजार से निकाल बाहर किये जाने के कारण वे घाटे में चलने लगते हैं और इस प्रकार उनमें उत्पादन क्षमता का विकास हो ही नहीं पाता। दूसरी ओर भारतीय बाजार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों के लिये आखेट (शिकारगाह) बन गया है। भारतीय बाजार भारत की धरती पर रोजगार अवसरों को उपलब्ध कराने के मूल्य पर मंदे से पीड़ित तथा आवश्यकता से अधिक क्षमता वाली पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं को राहत देने की पेशकश कर रहा है।

इस नीति के विरुद्ध संघर्ष:

शक्ति तथा दुर्बलताएं

36. भारत के श्रमिक वर्ग ने एकजुट होकर कोष/बैंक निदेशित उदारीकरण की नीति के विरुद्ध संघर्ष किया है और वह श्रमिक संघों के प्रभाव क्षेत्र के बाहर अपने संघर्ष के मंच का विस्तार करके जनता के सभी वर्गों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर चुका है। उदारीकृत सत्ता के पिछले पांच वर्षों में चार देश व्यापी हड़ताले संगठित की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय श्रमिक वर्ग सभी प्रकार के हमलों तथा दमनात्मक कार्रवाइयों का सामना करते हुए अनेक क्षेत्रवार तथा उद्योगवार संघर्ष की कार्रवाइयां की है।

37. उल्लेखनीय है कि संघर्ष के मंच का विस्तार स्वयं संघर्ष की प्रक्रिया में ही हुआ है । राष्ट्रीय जन संगठन मंच का गठन छात्रों , युवाओं , महलिाओं , किसानों , तथा अन्य व्यवसायों के जन संगटनों को संघर्ष में सम्मिलित करने के लिये ही गठित किया गया था । श्रमिक वर्ग जनता के अन्य वर्गो को संघर्ष में सम्मिलित करने की प्रक्रिया का नेतृत्व कर सका । इसकी भारी आवश्यकाता अनुभव की जा रही थी।

38. विश्व बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि उन सभी देशों जहां विश्व बैक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निदेशों संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम का समारम्भ किया गया था, में से भारत के श्रमिक वर्ग ने ही उसका सर्वाधिक प्रतिकार किया है । यह तथ्य भी अपने स्थान पर बना हुआ है कि श्रमिक वर्ग के नेतृत्व में तथाकथित उदारीकरण की नीति के विरूद्ध भारतीय जनता के संघर्ष के फलस्वरूप तथाकथित सुधारों की गति को मद्धम किया जा सका है । यद्यपि उन्हें पूर्ण रूपेण विपरीत मोड़ नहीं दिया जा सका है ।

39. किन्तु इसके साथ ही हमे स्वीकार करना होगा कि हमाारे संघर्ष में अभी भी कुछ विशेष प्रकार की दुर्बलताएं हैं । यह संघर्ष सम्पूर्ण श्रमिक वर्ग को अपनी पंक्तियों में नहीं ला सका है और श्रमिकों की विशाल संख्या अब भी इस संघर्ष में नहीं कूदी । दूसरे , सभी जन संगठनों को सक्रिय नहीं किया जा सका और सभी सम्बद्ध पक्षों पर नीति का नकारात्मक प्रभाव पड़ने पर भी नयी आर्थिक नीति के विरुद्ध संघर्ष में उसकी सम्पूर्ण शक्ति को झोंका नहीं गया । तीसरे, श्रमिक वर्ग द्वारा की गई हड़ताल की कार्रवाई तथा अन्य प्रकार के आंदोलनों को प्रभावशाली ढंग से किसानों के साथ जोड़ा नहीं गया ताकि श्रमजीवी जनता को अधिक केन्द्रित किया जा सकता, संघर्ष और शक्ति शाली तथा विस्तृत होता और वास्तव में ही प्रभावशाली सिद्ध होता ।

40. इन दुर्बलताओं का देश के राजनीतिक परिदृश्य पर भी प्रभाव पड़ा जो स्वाभाविक ही है । यद्यपि देश में पिछले चुनाव नयी आर्थिक नीति के विरुद्ध चले निरंतर संघर्ष / आंदोलन की पृष्ठभूमि में सम्पन्न हुए थे तथापि चुनाव परिणामों से उदारीकरण विरोंधी मंच के पक्ष में ध्रुवीकरण में वांछित परिवर्तन प्रतिबिम्बित नहीं होता । यद्यपि चुनावों में कांग्रेस को पराजय का मुंह देखना पड़ा था । चुनावों के बाद के परिदृश्य में श्रमिक वर्ग के समक्ष स्थिति का विशेष द्विभाजन नहीं हुआ - उदारीकरण की नीति के विरुद्ध संघर्ष करने की आवश्यकता है और साम्राज्यवाद की शक्ति को भी धाराशायी करना आवश्यक है ।

41. और इन दुर्बलताओं ने नयी आर्थिक नीतियों के विरुद्ध जारी

संघर्ष को पठार जैसी स्थिति में ला पटका है और इस स्थिति से बाहर निकल आने की आवश्यकता है । इसके लिये नयी नीति के विरुद्ध प्रतिकारात्मक संघर्ष में किसानों तथा श्रमजीवी जनता के सभी वर्गों को सम्मिलित करना अत्यावश्यक है।

सामूहिक सौदेबाजी के संघर्ष पर प्रभाव

42. उदारीकरण की प्रक्रिया के चलते औद्योगिक सम्बन्ध प्रबन्धन के ढांचे तथा सामूहिक सौदेबाजी की संरचना में भी विशेष उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं ।

43. उद्योगों के संगठित क्षेत्र विशेष रूप से इस्पात, कोयला, बी एच ई एल, उर्वरक , सीमेंट, चीनी, एयरलाइन्स, बैंकिंग, ऊर्जा क्षेत्र, तेल इत्यादि में जिसके बहु-इकाई उत्पादन केन्द्र पूरे देश में फैल रहे हैं, में राष्ट्रीय स्तर पर उद्योग आधारित समझौता बातचीत के मंच का एक ढांचा है । इस ढांचे के अन्तर्गत पिछले अनेक वर्षों के संघर्ष के फलस्वरूप प्राप्त किये गये वेतनों तथा अन्य सेवा लाभों का निर्धारण होता है। यद्यपि इस ढांचे के अन्तर्गत एक विशेष उद्योग की विभिन्न इकाईयों में कार्यरत श्रमिकों के वेतनों में समानता लाई जा सकी है और श्रमिक संघों के प्रयासों से वहां विभिन्न शक्तिशाली श्रमिक संघ महासंघ अस्तित्व में आ गए हैं । उदारीकरण के पिछले परिदृश्य में नियोजकों का वर्ग राष्ट्रीय स्तर के उद्योग आधारित इन मंचों की कार्रवाईयों को समाप्त करने : वेतन वथा श्रमिकों के लिये अन्य सेवा लाभों पर इकाई स्तर की वार्ताओं का विकेन्द्रीयकरण करने के लिये बहुत सक्रिय हो उठे हैं ।

44. सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक उद्योग में पहले ही कुछ तो अत्यंत लाभ अर्जित करने वाली इकाईयां हैं, वे उर्वरक उद्योग के राष्ट्रीय मंच से अलग हो गई हैं और उन्होंने पृथक इकाई स्तरीय वार्ताएं की हैं जबकि शेष उर्वरक इकाईयों को घाटे पर चलने के नाम पर वेतन संशोधन से बाहर रखा गया है । सीमेंट उद्योग में भी कुछ ऐसे मामले हुए हैं और कुछ अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की बातें हो रही हैं । दुर्भाग्यवश नियोजकों की इस प्रकार की कार्रवाईयों का इकाई स्तर पर सम्बन्धित श्रमिक संघों/श्रमिकों द्वारा अधिक प्रतिरोध नहीं किया जाता और वे केवल राष्ट्रीय स्तर पर औपचारिक रूप से विरोध व्यक्त करके ही अपने कर्त्तव्य की इतिश्री मान लेते हैं । शायद इस्पात उद्योग ही इसका एकमात्र अपवाद है जहां बीमारी के नाम पर इस्पात उद्योग के वेतन समझौते से इस्को को बाहर रखने के प्रयासों का श्रमिक आंदोलन द्वारा प्रतिकार किया जा सका है ।

45. किनतु श्रमिक आन्दोलन राष्ट्रीय स्तर के मंचों को दृष्ठिलोप करके उद्यम स्तर पर सामूहिक सौदेबाजी के इस सुनियोजित अभियान की श्रमिक आन्दोलन अनदेखी नहीं कर सकता । यह अभियान सरकार तथा नियोजकों द्वारा चलाया जा रहा है । यदि यह सफल हो गया तो यह श्रमिकों के उद्योग आधारित संघर्षों तथा अखिल भारतीय जागरूकता क्षीण बनाने का उपकरण बन जाएगा तथा और भी अधिक विकेन्दीयकरण का रुझान स्थापित हो जाएगा जो श्रमिक आन्दोलन के लिये समग्र रूप में और अधिक घातक सिद्ध होगा ।

विचारधारात्मक हमले

46. उदारीकरण की नयी आर्थिक नीति को केवल आर्थिक मोर्चे पर ही लागू नही किया गया किन्तु इसके लिये प्रचार माध्यमों के द्वारा एक सशक्त अभियान चलाया गया है और प्रत्येक ढंग की सामग्री इसके प्रचारार्थ प्रकाशित कराई गई है । जनता के सभी वर्गों में इसका शाखा विस्तार हुआ है । श्रमिक वर्ग तथा मानवीय मूल्य भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके । इसके द्वारा व्यक्तियों के दृष्टिकोण में मौन परिवर्तन होने लगा है और इसका प्रभाव समाज के सभी वर्गों में फैलने लगा है ।''जिसकी लाठी उसी की भैंस '' तथा '' किसी भी मूल्य पर सफल होने '' और ''स्वार्थ आधारित प्रस्तुतितकरण'' को मूल शब्दों के रूप में प्रतिपादित करने का प्रयास किया जा रहा है । और यह अभियान पूर्व सोवियत संघ तथा पूर्वी युरोप में समाजवाद के पराभव की पृष्ठभूमि में चलाया जा रहा है । इसके परिणामस्वरूप समाजवादी नैतिक मूल्यों के प्रति भ्रांत धारणाएं उत्पन्न हुई हैं और जनता में इन मूल्यों के चिरन्तन होने के प्रति संशय की स्थिति बना दी गई है । जन साधारण इस मिथ्या प्रचार अभियान में बहने लगे हैं ।

47. इस प्रकार के सुधार समर्थक विचारधारात्मक अभियान का प्रधान उद्देश्य देश में एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति बनाना है जिससे जन मानस को लगे कि''समाजवाद का कोई भविष्य नहीं'' है इसलिये लोग कोष / बैंक मार्का उदारीकृत पूजीवाद को स्वीकार कर लें । हमें अब भी श्रमिक आंदोलन पर इस प्रकार के विचारधारात्मक हमले का मुंहतोड़ उत्तर देना है । इसमें विफलता का प्रभाव श्रमिक आंदोलन के साथ-साथ श्रमिक संघों की संराचना पर भी पड़ेगा ।

तथाकथित स्वतंत्र ट्रेड यूनियनवाद का शोर

48. व्यक्तिवादी प्रस्तुतिकरण के विषाणुओं से एक और पक्ष प्रमुख रूप से उभर रहा है और यह पक्ष है तथाकथित ट्रेड यूनियनवाद अथवा उद्यम स्तरीय यूनियनवाद का । इस विचार का प्रसार करने के लिये विभिन्न एजेंसियों द्वारा सुनियोजित अभियान चलाया जा रहा है । उनका कहना है कि श्रमिक संघ को उद्यम की चारदीवारी के भीतर बंद रहना चाहिये । इस विचार के प्रतिपादक प्रचार करते हैं कि केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के साथ सम्बद्ध श्रमिक संघ में श्रमिकों की बात सुनी नहीं जाती और इस प्रकार का श्रमिक संघ श्रमिकों का ध्यान रख ही नहीं सकता । उसकी चिन्ता का प्रधान कारण तो अपनी राजनीतिक तथा केन्द्र स्तरीय गतिविधियां होती हैं । अत: इन श्रमिक संघों को श्रमिकों का नेतृत्व करने नहीं देना चाहिये और उन्हें केन्द्रीय श्रमिक संगठनों से स्वतंत्र रहना चाहिये ।

49. इन प्रवर्तकों का प्रधान उद्देश्य श्रमिक संघों को विशाल स्तर पर किये जा रहे श्रमिक वर्ग के संयक्त संघर्ष से तोड़ना है और उनकी एकजुटता को समाप्त कर देना है । ये सिद्धांतकार चाहते हैं कि श्रमिक संघ की गतिविधियां कारखाना स्तरीय जागरूकता तक सीमित रहें अर्थात् श्रमिकगण कुएं के मेंढक बने रहें

50. किन्तु इस तथ्य को हमें स्वीकार करना ही होगा कि इस प्रकार के अभियान तथाकथित स्वतंत्र ट्रेड यूनियनवाद के उन्माद को जन्म देते हैं अथवा उद्यम स्तरीय यूनियनवाद ने पहले ही कुछ विशेष क्षेत्रों में अपना प्रभाव डाल दिया है । बम्बई जैसे औद्योगिक केन्द्रों और गुजरात में भी नव स्थापित औद्योगिक इकाईयों तथा अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों में यह रुझान पाया जा रहा है । इस प्रकार के रुझान ने पश्चिम बंगाल की कुछ विशेष इकाईयों में भी अपना प्रभाव डाला है । बी एच ई एल

में हाल ही में गुप्त मतदान हुए। उसकी हरिद्वार, झांसी तथा त्रिची इकाईयों में केंद्रीय श्रमिक संगठनों के साथ सम्बद्ध श्रमिक संघों को पराजय का मुंह देखना पड़ा और वहां स्वतंत्र ट्रेड यूनियनवाद उभर रहा है। श्रमिकों को अपने व्यवसाय अथवा जाति के आधार पर अलग-अलग खेमों में बंट जाना भी इसी रुझान का एक संकेतक हैं।

दुर्बलताएं आधार उपलब्ध कराती हैं

51. श्रमिक आंदोलन के भीतर अलग-थलग रहने के रुझान को बढ़ावा देना आर्थिक उदारीकरण की रणनीति का एक अंग है। वह चाहे राष्ट्रीय स्तरीय वार्ताओं की उद्यम स्तरीय बनाने और फिर उसे वैयक्तिक स्तर पर ले आने की प्रक्रिया है। उद्यम स्तरीय अथवा स्वतंत्र ट्रेड यूनियनवाद के रूप में इसकी प्रस्तुति की जाती हैं। किन्तु श्रमिक आंदोलन में सांगठनिक दुर्बलताएं तथा श्रमिकों को शिक्षित करने में हमारी विफलता उदारीकरण के प्रचारकों की इस प्रकार की भद्दी रणनीति के लिये आधार भूमि अवश्य उपलब्ध करा रही है और उसकी जड़े हमारे श्रमिक आंदोलन भीतर ही है। अनेक श्रमिक संघों में जनवादी कार्य पद्धति की भयानक कमी है तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में निचले स्तर के श्रमिक को सहभागी नहीं बनाया जाता। इसके दुष्परिणामस्वरूप श्रमिक गण श्रमिक संघों की ओर से उदासीन होने लगते हैं। यह भी एक कारक है जिसके चलते श्रमिक में अलग-थलग रहने का रुझान पनपने लगता है।

52. एक और संवत्ति श्रमिक आंदोलन की कार्यसूची में उल्लिखित कार्यों से निपटने में गैर सरकारी संगठनों का कुकुरमुत्तों की भांति उभर आना। ये लोग वर्तमान परिदृश्य में श्रमिक संघों के अप्रासंगिक होने का प्रचार करते हैं। ये गैर सरकारी संगठन असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं को उठाने का स्वांग रचते हैं और विशाल स्तर पर मीडिया में प्रचार पाते हैं। वे स्वयं को ट्रेड यूनियन कार्रवाइयों का विकल्प बनाना चाहते हैं। इस प्रकार के संगठनों की सरकार का सक्रिय संरक्षण प्राप्त होता है। उनमें से अनेक विदेशी धन पर चलने वाले संगठन हैं और वे डब्ल्यू टी ओ (विश्व व्यापर संगठन) के साथ "सामाजिक अनुच्छेद" की जोड़ कर अपने विचार परोसती है। इस गैर सरकारी संगठनवाद ने भी श्रमिक आंदोलन के भीतर अनुप्रवेश कर लिया है और इसका कारण असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का यूनियनकरण नहीं किये जाने की दुर्बलता है।

53. बाजार-संचालित आर्थिक नीति के विचारधारात्मक हमले का मूल उद्देश्य श्रमिक वर्ग की उसकी वर्गीय अवधारणा से दूर ले जाना, सामूहिकतावाद के स्थान पर व्यक्तिवाद की प्रतिस्थापना करना है। क्योंकि श्रमिक वर्ग ही पूंजी के हमलों का प्रतिकार करने वाली एक समक्ष शक्ति है, इसलिये वे इसे विभाजित रखना चाहते हैं।

संघर्ष में विकल्प उभरा जाना चाहिये

54. भारत में श्रमिक वर्ग का आंदोलन अपनी सभी प्रकार की सीमाएं होने पर भी संघर्ष के एक विशाल मंच का निर्माण करने में सक्षम रहा है। किन्तु अब भी इस संघर्ष को ठोस रूप देना शेष है और हमें इन नीतियों के लिये वैकल्पिक नीतियां भी तैयार करनी होगी जो जन मानस को छू सकें और जिनके प्रभावाधीन देश भक्त जनता विशाल जनता संख्या में देश की आर्थिक सम्प्रभुता तथा आत्म निर्भर अर्थव्यवस्था को धाराशायी करने के प्रयासों के विरुद्ध चल रहे संघर्ष में खिंची चली आए।

55. वास्तव में इस प्रकार के कामकाजी एवं ठोस विकल्प को उभारना सक्षम की मांग है (इसे सामान्य अर्थों में ही नहीं लिया जाना चाहिये)। यह काम संगठन के संविधान के मूल ढांचे में रह कर किया जाना चाहिये। इससे नयी आर्थिक नीतियों के विरुद्ध संघर्ष में सम्मिलित शक्ति का उत्सादर्धन हो सकेगा।

वैकल्पिक नीति के अभाव का दुष्प्रभाव

56. ठोस वैकल्पिक नीति उपलब्ध कराने में हमारी विफलता क चलते नयी आर्थिक नीत के विरुद्ध हमारा संघर्ष पठार (अर्थात् निश्चलता) जैसी स्थिति में पहुंच गया है। इससे ऐसी प्रतिगामी नीतियों को परास्त करने की अवधारणा भी क्षीण पड़ने लगती है। ऐसी स्थिति बहुराष्ट्रीय निगमों की पक्षपाती उदारीकरण की वर्तमान नीति के मूल ढांचे मे रह कर समझौते करने की भावना को उत्पन्न करती है। हम भावना की अभिव्यक्ति संघर्ष के मंचों से भी यदाकदा होने लगती है और संयुक्त संघर्षों के मामले में एक प्रकार की झिझक सी दिखाई देने लगती है। यह रुझान श्रमिक वर्ग के सम्पूर्ण आंदोलन की साख पर भी अपना दुष्प्रभाव डालता है और नयी आर्थिक नीति के विरुद्ध संघर्ष में हमारे पहचान भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहती। श्रमिक आंदोलन का एक बड़ा भाग यह मान बैठा है कि नयी आर्थिक नीति का कोई विकल्प नहीं है। यह विषाणु श्रमिक आंदोलन के प्रति श्रमिकों की प्रतिबद्धता को चट कर जाता है।

52. संक्षेप में, विचारधारात्मक अनिश्चय की इस पृष्ठभूमि में व्यक्तिवाद, तथाकथित उद्यम स्तरीय यूनियनवाद, अलग-थलग रहने के विचार इत्यादि नकारात्मक पक्ष उभरने लगते हैं और सामान्य श्रमिकों में व्याप्त भ्रांतियां से लाभ उठाकर ये रुझान श्रमिक आंदोलन के भीतर पनपने लगते हैं। यूनियन की कार्य पद्धति का जनवादीकरण करने तथा यूनियन के कार्यों संघर्ष की नीति बनाने जैसे मामलों में सामान्य श्रमिकों को सहभागी नहीं बना सकने की हमारी विफलता हमारी सांगठनिक दुर्बलताएं हैं। हम विचारधारात्मक हमले का प्रतिकार करने के लिये उनकी जागरूकता के स्तर को भी ऊंचा नहीं कर सकें हैं और इस संघर्ष को ट्रेड यूनियनवाद के क्षितिज में आगे नहीं काम करने की हमारी सामंती शैली आंदोलन के भीतर ऊपर से नीचे तक संवाद के मार्ग बड़ा अवरोधक है और इससे विपरीत विचारधारा की श्रमिक आंदोलन के भीतर पनपने के लिये उर्वर भूमि मिल जाती है और उसका संक्रमण श्रमिकों में होने लगता है।

58. आर्थिक नीति में पूर्ण परिवर्तन लाना हमारा लक्ष्य है। इसके साथ ही हमें शोषक वर्ग के विचारधारात्मक शस्त्रों की धार को भी कुंद करना होगा जिनकी सहायता से वे श्रमिक वर्ग को अपने हमलों का प्रमुख लक्ष्य बनाते हैं और उसे हाशिये पर धकेलने के कुत्सित प्रयास करते हैं। यदि हम इस नीति की दशा को बदलना चाहते हैं तो हमें इस परिवर्तन के वास्तविक स्वरूप का अध्ययन करना होगा और सांगठनिक तथा विचारधारात्मक दोनों ही स्तरों पर इसका प्रतिकार करने के लिये सुसज्जित होना होगा। अत: विचारधारात्मक मोर्चे के संघर्ष का महत्व अत्याधिक हो जाता है। इस संघर्ष की श्रमिक वर्ग की सभी श्रेणियों तथा उससे बाहर विशाल स्तर पर आगे बढ़ाना होगा। इसके लिये आंदोलन के संगठन के साथ साथ हमें अपने सांगठनिक ढांचे में भी गुणात्मक परिवर्तन होगा।

सी आइ टी यू की ओर से डा. एम के पंधे द्वारा प्रकाशित तथा प्रोग्रेसिव प्रिटर्स, ए-21, शाहदरा, दिल्ली -95 से मुद्रित.